लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 54, सोमवार, 29 मई, 1972/8 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 54, Monday, May 29, 1972/ Jyaistha 8, 1894 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1022.	त्रिपुरा में चावल और तेल मिलों के लिए लाइसेंस	Licences for Rice and Oil Mills for Tripura ...	1
1024.	भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र के निदेश को स्वीकार करना	Acceptance by Orissa of Central Directive on Land Ceiling ...	3
1027	वर्ष 1972-73 में उर्वरक की राज्य-वार माँग	Requirement of Fertiliser during 1972-73 State-wise ...	6
1028.	लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली में दुर्व्यवस्था का समाचार	Reported mismanagement in the Lady Hardinge Hospital, Delhi ...	9
1029.	धूम्रपान विरोधी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन तथा अन्य कार्यवाही	Setting up of National Committee and other steps on anti-smoking programmes ...	10
1030.	संसद भवन के जलपान गृहों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई	Supply of full quantity of milk by Delhi Milk Scheme to Catering Establishments in Parliament House ...	12
1031.	बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दूध की कमी और वहाँ डेरियों की स्थापना करने के लिए कार्यवाही	Shortage of Milk in Bihar, Rajasthan, U. P. and W. Bengal and steps to set up Dairies therefor ...	13

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1032. अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को कार्य रूप देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता	Aid to U. P. Government for implementing revised pay scales of Teachers	17
1035. समवर्ती सूची में शिक्षा	Education in Concurrent List. ...	19
1036. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भर्ती संबंधी नीति में परिवर्तन	Change in Recruitment Policy of I. C. A. R. ...	21
1039. दिल्ली में अनधिकृत और अननुमोदित बस्तियाँ बनाना	Coming up of unauthorised and unapproved Colonies in Delhi ...	22
1040. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	Prevention of Food adulteration	23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1021. बड़े नगरों में विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centres in Big cities ...	24
1023. निजी/पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private/ Public Schools ...	25
1025. राष्ट्रीय नेताओं की विरासत का परिरक्षण	Preservation of heritage of National Leaders	26
1026. म्यूनिख ओलम्पिक के लिए हाकी टीम का चयन	Selection of Hockey Team for Munich Olympics ...	26
1033. हिन्दी में विधि पुस्तकों का तैयार किया जाना	Production of Law Books in Hindi ...	26
1034. औषधियों में मिलावट	Adulteration in Drugs ...	27
1037. बहुफसली खेतों के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाएँ	Pilot Projects for Multiple Cropping ...	29
1038. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल	Strike in I. I. T., Kanpur	29
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7661. ग्रामीण ऋण योजना में ऋण का कृषि साधनों से संबंध स्थापित किया जाना	Rural Credit Scheme Linking Supply of Credit with Input for Agriculture ...	30
7662. मध्य प्रदेश के हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Harijans and Adivasis in M. P. ...	31

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7664.	शारीरिक शिक्षा संस्थान का खोला जाना	Opening of Institute of Physical Education ...	31
7665.	स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थान	Autonomous Medical Institution ...	31
7666.	सचिवालय की ओर से यमुनापार के क्षेत्रों के लिए बस सेवा	Bus service from Secretariat side to Trans-Yamuna Area ...	32
7667.	उर्वरकों की सप्लाई के लिए रूस के साथ करार	Agreement with Soviet Union for the Supply of Fertilisers ...	32
7668.	वर्ष 1972-73 से केरल में छोटे तथा मंझले किसानों संबंधी विकास एजेंसी के लिये योजना	Scheme for small Farmer and Medium Farmer Development Agency in Kerala during 1972-73 ...	33
7669.	वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कोचीन पत्तन से उतारा और चढ़ाया गया माल	Freight Handled by Cochin Port during 1970-71 and 1971-72 ...	34
7670.	ग्राम्य जल संभरण योजनायें	Rural Water Supply Schemes ...	34
7671.	ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की मंजूरी	Sanction of Rural Water Supply Schemes ...	35
7672.	ग्राम्य जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes ...	36
7673.	देवनगर में 'ई' टाइप क्वार्टरों की स्थिति	Condition of type-E Quarter of Dev Nagar ...	38
7674.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ	Unauthorised Colonies in Delhi ...	39
7675.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्लास्टिक साइलों वेचा जाना	Plastic Silos being sold by F. S. I. ...	39
7676.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए मकान बनाने की योजना	Scheme for Construction of House for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	40
7677.	ग्रीन वेल्ट को रिहायशी क्षेत्र में बदलना	Change of Green Belt into Residential Area ...	40
7678.	झिलमिल कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटियों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव	Proposal for Shifting the Allottees of D. D. A. Quarters at Jhil Mill Colony ...	41
7679.	क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा देने वाले संस्थान	Institutions Imparting Regional Languages ...	41
7680.	सरकारी संसाधनों और गैर-सरकारी संसाधनों से सिंचित भूमि का क्षेत्र	Area of Land Irrigated through Government Resources and Private Resources ...	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7681.	विदेशी प्रचारक संगठनों द्वारा वित्त-पोषित शिक्षा संस्थाएं	Educational Institutions financed by Foreign Missionary Organisations ...	42
7682.	बुवाई से पहले खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों की घोषणा	Annauncements about procurement Prices of Foodgarains before sowing ...	43
7683.	हिमाचल प्रदेश में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना और उनको अपने नियंत्रण में लेना	Upgrading and taking over of Schools in H. P. ...	43
7684.	वृद्धावस्था पेंशन	Old Age Pension	44
7685.	चीनी की उत्पादन लागत	Cost of Production of Sugar. ...	44
7686.	प्रत्येक ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना	Setting up of Primary School in each Block ...	44
7687.	सेंट्रल इंस्ट्रीट्यूट आफ फिशरीज ओपरिटिव्ज के मद्रास यूनिट से सम्बद्ध स्वीडिश उपहार जहाज के डूब जाने की जाँच	Enquiry into sinking of Sweedish gift vessel attached to Madras unit of Central Institute of Fisheries Coperatives ...	45
7688.	गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा गुलाबी बाग में भूमि की खरीद	Purchase of Land in Gulabi Bagh by the Gujranwala House Building Co-operative socicty, Delhi ...	45
7689.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी और होम्योपैथी अनुभागों में कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारी	Technical staff works in Ayurvedic, Unani, Tibb and Homoeopathy sections of Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy ...	46
7690.	होम्योपैथी के लिए अलग सलाहकार	Separate Advisor for Homoeopathy ...	47
7691.	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Area ...	48
7692.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच	Probe against Delhi Development Authority ...	48
7693.	आंध्र प्रदेश में छोटे कृषक तथा सीमांत कृषक विकास एजेंसी के लिए निधि का नियतन	Allocations for Small Farmers and Marginal Farmers Development Agency in A. P. ...	48
7694.	आंध्र प्रदेश में छोटे कृषक तथा सीमांत कृषक विकास एजेंसी	Small Farmers and Marginal Farmer Development Agency in Andhra Pradesh ...	49
7695.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ	Unauthorised Colonies in Delhi ...	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7696. विभिन्न विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम का लागू किया जाना	Provision of Industrial Disputes Act to non-teaching staff of various Universities ...	52
7697. 1971-72 और 1972-73 में छोटे किसानों को नलकूपों के लिए धनराशि का नियतन	Allocation for tube-wells for small farmers during 1971-72 and 1972-73 ...	52
7698. 1972-73 में यंत्रों से खेती करने के लिये निधि का नियतन	Allocation of funds for Mechanised Farming during 1972-73 ...	53
7699. भारत-नार्वे परियोजना, कोचीन	Indo-Norwegian Project, Cochin ...	53
7700. ब्याज दर	Rate of Interest ...	54
7701. पर्यावरण दूषण	Environmental Pollution ...	58
7702. सरकारी विभाग में खस की टट्टी पर किया गया व्यय	Expenditure on 'Khas-Khas Tattis' in Government Department ...	59
7703. पूर्व निर्मित मकानों के निर्माण हेतु कारखानों की स्थापना के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन	Formation of Expert Committee for setting up factories to produce prefabricated houses ...	59
7704. ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रमों में सुधार	Modification in Crash Programme for Rural Employment ...	60
7705. पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentive to Jute Producers ...	61
7706. मध्य प्रदेश में अपर्याप्त सिंचाई सुविधायें	Inadequate Irrigation facilities in M. P. ...	62
7707. छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में कल्याणकार्य	Welfare of Adivasi Areas of Chhotanagpur ...	62
7708. गोवध बंद करने के बारे में अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति को दिया गया आश्वासन	Assurance given to 'Akhil Bhartiya Sarvdaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti' regarding banning Cow slaughter ...	63
7709. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा पंजाबी भाषा के अध्यापकों की सेवा समाप्त किया जाना	Termination of Punjabi Language Teachers by Director of Education, Delhi ...	63
7710. संयुक्त नौवहन सेवा स्थापित करने संबंधी चीन-श्रीलंका करार का प्रतिकूल प्रभाव	Effect of Sino-Ceylon agreement for Establishments of Joint Shipping Service ...	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7711. बोर्ड आफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कानपुर में स्नातक इंजीनिजरों की नियुक्ति	Appointment of Graduate Engineers in Board of Apprentice Training, Kanpur ...	64
7712. जौनपुर नगर में ऐतिहासिक स्मारक	Historical monuments in Jaunpur city ...	65
7713. वर्ष 1970-71 में बिहार को उर्वरक की कम सप्लाई करना	Short Supply of Fertiliser to Bihar during 1970-71	65
7714. राज्यों में खाद्य नियमों का क्रियान्वयन	Implementation of Food Laws in States ...	66
7715. पश्चिमी रेलवे के सेवा-निवृत्त मुख्य इंजीनियर द्वारा कम लागत पर मकान बनाने की योजना तैयार करना	Low Cost Housing Scheme evolved by a retired Chief Engineer of Western Railway ...	66
7716. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के लिए चयन समिति	Banaras Hindu University selection Committee for Teachers ...	67
7717. दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrear of Over time Allowance to Staff of all Day Milk Stalls of D. M. S. ...	67
7718. विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में श्री गाडगिल के आश्वासनों का पूरा किया जाना	Rehabilitation of displaced persons under Gadgil assurances ...	68
7719. नकली दवाइयाँ	Spurious drugs	68
7720. मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि सुधार योजना	Scheme for land reforms put up by Central Land Reforms Committee before Chief Ministers' Conference	70
7721. संसद सदस्यों के क्वार्टरों में परिवर्धन और परिवर्तन	Addition and alteration in M. P. Quarters	71
7722. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के मानव-शास्त्र और समाज-शास्त्र के विभागाध्यक्ष द्वारा माँगा गया यात्रा भत्ता	T. A. claimed by Head of Departments of Humanities and Social Sciences of I. I. T., New Delhi	72
7723. माल के आयात तथा निर्यात के लिये किराये पर लिये गये जहाज	Charter of Ship for exporting and importing goods ...	73
7724. कला में राष्ट्रीय डिप्लोमा परीक्षा का स्थगित किया जाना	Postponement of National Deploma Examination in Arts ...	73

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7725.	परिवार नियोजन के लिए यूरिया प्लाज्मा	Urea Plasma for Family Planning ...	73
7726.	निर्माण कार्य करने वाली फर्मों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिये एक निगम	Corporation for bringing construction firms under Government control ...	74
7727.	त्रिपुरा में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of ground water resources in Tripura ...	75
7728.	राज्यों द्वारा समाज कल्याण परियोजनाओं की उपेक्षा	Neglect of Social Welfare Projects By States ...	75
7729.	नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई को नकली घड़ियों के परिणामस्वरूप हानि	Loss to National Cooperative consumers Federation Ltd., Bombay due to Fake Watches ...	76
7730.	कलकत्ता पत्तन पर नमक की ढुलाई में परिवहन-कठिनाइयाँ	Transport difficulties for Salt Movement in Calcutta Port ...	76
7731.	भारतीय खाद्यनिगम द्वारा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of Soyabeen Plant by F. C. I. ...	77
7732.	दिल्ली के विकास के लिए बोर्ड	Board for Development of Delhi ...	77
7733.	पिछड़े वर्गों की सूची में लम्बाड़ियों समुदाय को शामिल करना	Inclusion of 'Lambadies' Community in the List of Backward Classes ...	78
7734.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (कोलियरी) के मोरवा बाजार को पीने के पानी की सप्लाई	Supply of drinking water of Morwa Market of N. C. D. C. Colliery ...	78
7735.	कृषि श्रमिकों के शोषण पर रोक	Check on exploitation of Agricultural Labourers. ...	78
7736.	तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए रूसी सहायता	Soviet Aid for expansion of Technical Education ...	79
7737.	जर्मन भाषा शिक्षण संस्था	Institute for teaching German Language ...	80
7738.	शिक्षा मंत्रालय से भवन अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थायें	Institutions receiving building grants from Ministry of Education ...	80
7739.	नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के छात्रों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniform to students of N. D. M. C. Schools ...	81
7740.	कलकत्ता महानगर विकास एजेंसी के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Calcutta Metropolitan Development Agency ...	81
7741.	वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिये कानून	Legislation for protection of Wild Life ...	82

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7742.	चाँदीपुर, उड़ीसा के समुद्रतटी विश्राम-स्थल को जाने वाली पृथक सड़क के लिए प्रस्ताव	Proposal for a separate road to Sea side resort of Chandipore Orissa ...	83
7743.	कम्पनी कार्य विभाग की परामर्शदात्री समिति	Consultative Committee for Department of Company Affairs ...	83
7744.	नई शब्दावली वाली पाठ्य पुस्तकें तैयार करना	Preparation of Text Books with New Terminology ...	84
7745.	हिन्दी-टाइप राइटरों के की-बोर्ड	Key Board of Hindi Type-writer	85
7746.	गैर-छात्र युवकों का कल्याण कार्य	Welfare of non-student Youth ...	85
7747.	मध्य प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों को कृषि योग्य भूमि का वितरण	Distribution of cultivable land in M. P. to Harijans and Adivasis ...	85
7748.	तमिलनाडु में कृषि योग्य भूमि का हरिजनों और भूमिहीनों में वितरण	Allotment of Cultivable land in Tamil Nadu to Harijans and Landless persons ...	86
7749.	हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का हरिजनों और भूमिहीनों को भूमि का वितरण	Allotment of unutilised cultivable land in Haryana to Harijans and landless persons ...	86
7750.	उड़ीसा में कृषि योग्य भूमि को हरिजनों और भूमिहीनों में वितरित करना	Allotment of cultivable land in Orissa to Harijans and landless persons ...	86
7751.	पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि का हरिजनों और भूमिहीनों में वितरण	Allotment of cultivable land in West Bengal to Harijans and landless persons ...	87
7752.	त्रिपुरा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मकानों के लिए सुविधा	Housing facility in rural and urban areas of Tripura ...	87
7753.	स्वतंत्रता सेनानियों के लिये राज्य में कालोनी की स्थापना	Colonies for Freedom Fighters in States	88
7754.	डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध	Ban on Private practice by Doctors ...	88
7755.	सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial assistance to cultural Institutions ...	89
7756.	होम्योपैथिक गर्भ निरोधक औषधि	Homoeopathic Contraceptive Drug ...	89
7757.	उड़ीसा में परिवार नियोजन कार्य	Family Planning work in Orissa ...	89
7758.	उड़ीसा में बालासोर जिले में फसल को क्षति	Damage of Crop in Balasore, Orissa ...	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7759.	उड़ीसा के बालसोर जिले में उठाऊ सिंचाई के अधीन भूमि	Acreage of land under lift Irrigation, Balasore, Orissa ...	90
7760.	युवा पीढ़ी में धूम्रपान की प्रवृत्ति	Smoking habits among young generation ...	90
7761.	भूमि सुधार नीति में विलम्ब का कृषि-उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Delay in land Reform on Agricultural Growth ...	91
7762.	1970-71 तथा 1971-72 में बिहार को सप्लाई किये गए बीज	Seeds Supplied to Bihar During 1970-71 and 1971-72 ...	93
7763.	चौथी योजना के अंत तक मध्य प्रदेश में नकदी फसलों के उत्पादन का अनुमान	Estimate of Products of cash crops in M. P. by the end of Fourth Plan ...	94
7764.	छात्रावास बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मध्य प्रदेश के कालिजों को अनुदान	U. G. C. Grants to Colleges in Madhya Pradesh for construction of Hostels ...	95
7765.	बच्चों की संख्या निर्धारित करने के लिए कानून	Legislation for fixing the Limit of Issues ...	95
7766.	विकलांगो के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के के बारे में समिति	Committee on National Centre for Orthopaedically Handicapped ...	96
7767.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पश्चिम बंगाल और असम को आबंटित किए गए धन का उपयोग न करना	Nonutilised amount allocated to West Bengal and Assam for Uplift of Scheduled Castes and Scheduled tribes and Backward Classes ...	96
7768.	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान की क्रियान्विति	Implementation of revised pay scales of Delhi School Teachers ...	97
7769.	गुजरात में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	Opening of Central University in Gujarat	98
7770.	वास्तुविदों (हैल्थ विंग) के कार्यभार के लिये माप-दंड	Yard-stick for work-load of Architect (Health-wing) ...	98
7771.	शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यक्ष का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को अभ्यावेदन	Representation from Head of Teachers Training Centre to Chairman, Board of Governors of I. I. T., New Delhi	99
7772.	महानगर आवास योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य को आबंटित धनराशि	Amount Allotted to Punjab under Metropolitan Housing scheme ...	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7773.	दिल्ली स्थित सरकारी कालोनियों में पानी की सप्लाई	Water Supply in Government Colonies, Delhi	100
7774.	भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में पीछे हटना	Backsliding on Land Ceiling Issue ...	100
7775.	मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिए अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधा	Hospitalisation of Retarded Children ...	101
7776.	तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Three-year Degree Course ...	101
7777.	अंधे तथा बहरे वयस्कों के प्रशिक्षण के लिये निर्धारित धनराशि का उपयोग में न लाया जाना	Non-utilization of amount ear market for training of adult blind and deaf ...	102
7778.	छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए अलग सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों की स्थापना	Setting up of separate Cooperative Societies and Rural Bank for small and marginal Farmers ...	103
7779.	उर्दू भाषा का प्रचार एवं विकास	Propagation and development of Urdu ...	103
7780.	जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रतिवेदन	Report of U. N. Commission on Population ...	104
7781.	नगर आयोजकों का सम्मेलन	Conference of Town Planners ...	104
7782.	सौंफ, जीरा, मिर्च, और हल्दी की खेती और खाद्य विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा उनकी जाँच	Cultivation of aniseed, cuminseed, chillies and turmeric and their examination by inspectors of Food Department ...	105
7783.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ	Appointment in Jawaharlal Nehru University ...	105
7785.	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में खुदाई	Excavations of Partapgarh (Uttar Pradesh) ...	106
7786.	चुने हुए जिलों में उर्वरकों के प्रसार हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	Centrally sponsored scheme for fertiliser promotion in Selected Districts ...	106
7787.	नई दिल्ली की सर्वोदय कालोनी में जल की कमी	Scarcity of water in Sarvodhya Colony, New Delhi ...	106
7788.	चीनी का अधिक उत्पादन	Additional Production of Sugar ...	107
7789.	समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों को दिया गया धन	Amount given to various states by social welfare department ...	107
7790.	मकानों के निर्माण के लिये हरिजनों को अनुदान	Grant to Harijans for construction of Houses ...	108

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7791.	राजस्थान में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये हरिजनों को सहायता	Assistance to harijans in Rajasthan for setting up Cottage Industry ...	108
7792.	बंगलौर विश्वविद्यालय में कुप्रबंध	Mismanagement in University in Bangalore ...	109
7793.	राजस्थान के गंगानगर जिले के भूमि हीन हरिजनों को भूमि का आबंटन	Allotment of land to landless Harijans of Ganganagar District, Rajasthan ...	109
7794.	आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के केन्द्र की स्थापना	Setting up of Manufacturing Centre for Ayurvedic Medicines ...	110
7795.	ग्रामीण रोजगार के द्रुत-कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिये स्वीकृत धनराशि का उपयोग	Utilisation of Funds sanctioned to District Basti, U. P. under crash Programme for rural employment ...	110
7796.	मध्य प्रदेश में सहकारी आदिवासी विकास निगम की स्थापना	Setting up Cooperative Tribal Development Corporation in M. P. ...	111
7797.	अलीपुर विकास खंड, दिल्ली में आग के कारण गेहूँ को क्षति	Destruction of wheat due to fire in Alipur Development Block, Delhi ...	111
7798.	पारादीप पत्तन पर अयस्क चढ़ाने और उतारने की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Ore-handling capacity at Paradeep Port. ...	112
7799.	जड़ी बूटियों की खेती के लिए केरल में भूमि का अधिग्रहण	Land acquired for Herbs plantation in Kerala ...	112
7800.	नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन का केन्द्र	Centre for German Studies at Jawahar lal Nehru University, New Delhi	113
7801.	ट्रैक्टरों के वितरण के बारे में नई नीति बनाना	Measure to Streamline distribution of Tractors ...	114
7802.	वर्ष 1971-72 में स्थापित किये गए कृषि अनुसंधान संस्थान	Agricultural Research Institution set up during 1971-72	114
7803.	कृषि, उद्योग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना	Setting up Agricultural Industries Training-cum-Exhibition Centre	115
7804.	तमिलनाडु में मिलों द्वारा गन्ने के लिए अदा किया गया मूल्य	Payment of sugarcane prices by Mill in Tamil Nadu. ...	115
7805.	अच्छे किस्म के गेहूँ की वसूली के संबंध में आदेश	Instructions regarding quality restrictions for procurement of wheat ...	116
7806.	जहाजों द्वारा लौह-अयस्क भेजने के बारे में जापान के साथ समझौता	Agreement with Japan to ship Iron Ore	116

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7807. अखिल भारतीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक फैडरेशन, पटना से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from All India Primary Teachers Federation, Patna	117
7808. वर्ष 1971-72 में उपलब्ध की गई चीनी और उसका मूल्य	Sugar released during 71-72 and its price ...	117
7809. दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल किया जाना	Mass copying in Examination in Delhi University ...	118
7810. भारत में ब्रिटिश शासन काल के संबंध में 'माइक्रो-फिलमड' रिकार्ड प्राप्त होना	Aquisition of microfilmed record about British period in India ...	119
7811. बाल कल्याण संबंधी समिति	Committee for child welfare ...	120
7812. देश में निम्न आय वर्गों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of houses for low income groups in the country ...	120
7813. दिल्ली तथा उत्तरी भारत में नारियल की खेती के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to study growing of coconut in Delhi & Northern India ...	121
7814. आई० आई० टी०, दिल्ली को आबंटित की गई वार्षिक धनराशि में दुर्विनियोग	Misappropriation of Annual Financial allotment to I. I. T., Delhi ...	121
7815. दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी में एक अतिरिक्त हाल का निर्माण	Construction of Addition hall in I. I. T., Delhi ...	122
7816. नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी के निदेशक के लिए मकान	Residential Quarter of Director, I. I. T., New Delhi ...	123
7817. आई० आई० टी०, नई दिल्ली के मानव शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, द्वारा निधियों का दुरुपयोग	Misuse of Funds by Head of Deptt. of Humanities and Social Science of I. I. T., New Delhi ...	124
7818. दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी की कर्मशाला में निर्मित फर्नीचर की वस्तुसूची	Inventory regarding furniture manufactured in Workshops of I. I. T., Delhi ...	124
7819. आई० आई० टी०, दिल्ली के होस्टलों के मेस के एकाउन्ट्स	Mess Accounts of I. I. T. Hostels, Delhi ...	125
7820. आई० आई० टी०, नई दिल्ली के सेंट्रल स्टाक रजिस्टर में आस्तियों तथा उपकरणों का दर्ज न किया जाना	Non entry of Assets and Equipment in Central Stock Register of I. I. T., New Delhi ...	126

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7821. हस्त-ट्रैक्टरों की माँग तथा इनकी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही	Demand for Hand Tractors and steps to increase supply ...	126
7822. फार्म मशीनरी संबंधी अनुसंधान, विकास और निर्माण को युक्तिसंगत बनाना	Rationalization of Research, Development and Manufacture of Farm Machinery ...	127
7823. सरगुजा अथवा सिद्धी के किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने हुतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का दौरा	Visit of Scientists of Indian Council of Agricultural Research to study problems of Farmers of Sarguja or Sidhi ...	128
7824. कानपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के चंदेरी डिपो में 1971 के दौरान नष्ट हुआ खाद्यान	Foodgrains demaged during 1971 in F. C. I. Chanderi Depot, Kanpur	128
7825. नई कृषि प्रौद्योगिकी	New Agricultural Technology	129
7826. श्री राम यूरिया के बोरों पर नाइट्रोजन की मात्रा का गलत अंकित किया जाना	Wrong marking of Nitrogen content on Shri Ram Urea Bags ...	130
7827. दिल्ली में गंदी बस्तियाँ हटाने संबंधी नीति	Slum clearance Policy in Delhi ...	130
7828. राजधानी में और अधिक सरकारी अस्पताल स्थापित करना	Setting up of more Government Hospitals in the Capital ...	131
7829. दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग	Utilisation of Medical facilities in Private Hospitals in Delhi ...	131
7830. चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि	Break-through in Rice production ...	132
7831. खाद्य पदार्थों में मिलावट	Food Adulteration ...	133
7832. गाँवों में पानी की सप्लाई के लिए आबंटित परिव्यय	Outlay earmarked for Rural Water supply	134
7833. हुगली पायलट सेवा के लिए मास्टर मैरीनर सर्टीफिकेट प्राप्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता तथा पायलटों के वेतन-मान में पुनरीक्षण	Non-availability of persons with Master Mariners' Certificate for Hooghly Pilot Service and revision of Scale of pay for Pilots ...	135
7834. भारतीय नौवहन निगम (इंडियन शिपिंग कारपोरेशन) द्वारा बड़े तेल-वाहक जहाजों का लिया जाना तथा उनका प्रयोग किया जाना	Acquisition of large sized Tankers by Indian Shipping Corporation and utilization of these Tankers ...	136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

7835. कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट तथा इसका ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Fall in price of Agricultural products and its effect on rural economy ...	137
7836. स्वास्थ्य परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं में असंतुलन	Imbalance in facilities in Rural and Urban Areas under Health Projects ...	137
7837. ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं की सेवा शर्तें	Service Conditions of Village Level Workers and Gram-sevikas ...	138
7838. दिल्ली की शिक्षा संहिता में संशोधन	Amendment to Delhi Education Code ...	139
7839. ओला वृष्टि तथा वर्षा के कारण फसल को क्षति	Damage to Crop due to Hail-storm & Rains	139
7840. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई गई अतिरिक्त एक्सप्रैस बसें तथा प्राप्त राजस्व	Additional Express D. T. C. Buses introduced and Revenue earned ...	140
7841. विदेशी जहाजी व्यापारियों द्वारा भाड़े में की गई वृद्धि पर आपत्ति	Opposition to Freight increase by Foreign Shippers ...	141
7842. 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज़', कोचीन के प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा वृत्ति की सुविधाएं	Facilities for Apprenticeship to Trainees of Central Institute of Fisheries Operatives, Cochin ...	142
7843. तमिलनाडु में गैर विद्यार्थी युवा वर्ग के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Welfare of Non-Student Youth in Tamil Nadu ...	143
7844. भारतीय विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से करना	Hindi Medium for Teaching Law in Indian Universities ...	143
7845. पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Text Books ...	143
7846. हिन्दी में पी-एच० डी० की डिग्री-पाने वाले व्यक्ति	Persons Awarded Ph.D Degree in Hindi ...	143
7847. सेन्ट्रल स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Central School, Port Blair ...	144
7848. कलकत्ता पत्तन पर अयस्क तथा इस्पात को उतारे जाने का कार्य	Ore and Steel Unloading Work at Calcutta Port ...	144
7849. नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली फ्लेटों में गंदगी का जमा हो जाना	Accumulation of Filth in North Avenue Flats, New Delhi ...	145
7850. किसी विशेष क्षेत्र में उचित फसल उगाने के बारे में सर्वेक्षण	Survey for growing suitable Crop in a Particular Area ...	145
7851. युवकों में हृदय रोग	Heart Ailment of Youth ...	146
7852. विहार में सप्लाई किये गए नकली बीज	Artificial Seeds Supplied to Bihar ...	146

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
7853. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में कानून बनाने के उपरांत उपलब्ध फालतू भूमि तथा उसका आबंटन	Surplus Land available after Legislation on land ceiling and its Allotment	...	146
7854. हैक्साक्लोरोफीन के कुप्रभाव पर अध्ययन	Study on Ill-effects of Hexochlorophine	...	147
7855. मंदसौर (मध्य प्रदेश) स्थित भूमि विकास बैंक को लघु सिंचाई योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank aid to Land Development Bank of Mandsaur in M. P. for Minor Irrigation Scheme	...	147
7856. सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के ग्रामीण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for Rural Programme for Chronically Drought Areas	...	148
7857. आर्किटेक्टों (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा निजी कार्य किया जाना	Private Practice by Architects, (Health Wing)	...	149
7858. केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	Centrally Sponsored Scheme in Kerala	...	149
7859. मकानों के निर्माण की लागत तथा अन्य पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण	Survey in regard to Cost and other aspects of Construction of Houses		150
7860. नर्मदा और ताप्ती नदियों के तलकर्षण की योजना	Scheme for Dredging of Narmada and Tapti Rivers	...	151
साक्षरता के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2324 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. No. 2324 dated April 12, 1972 re : Literacy		151
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...	153
सदस्य को वापिस जेल भेजना (श्री ए० के० गोपालन)	Remand of Member (Shri A. K. Gopalan)	...	154
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	...	155
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—		
(एक) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	General Insurance Business (Nationalisation) Bill		155
(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill		156
(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक	University Grants Commission (Amendment) Bill	...	159
संविधान (इकत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-First Amendment) Bill	...	160

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	160
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ...	161
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	162
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das ...	163
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan ...	163
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ...	163
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ...	164
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ...	165
श्री अटल बिहारी वायपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	165
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ...	166
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	166
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	166
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivanath Singh ...	167
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1 ...	168
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended ...	169
संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty Second Amendment) Bill ...	171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	171
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ...	171
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya ...	172
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	172
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ...	173
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi ...	174
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair ...	174
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan ...	174
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	175
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait ...	175
श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै	Shri R. Balakrishna Pillai ...	175
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ...	176
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1 ...	178
परित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended ...	179
कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में चर्चा	Discussion Re. Ceiling on Agriculture Holdings ...	180
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda ...	181
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	182
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya ...	182
श्री सी० चित्ति बाबू	Shri C. Chittibabu ...	183
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ...	184
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	185

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्रीमती बी० जयालक्ष्मी	Shrimati V. Jeyalakshmi		186
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	...	186
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	...	188
श्री श्यामानन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	...	189
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	...	189
श्री एच० एम० पटेल	Shri. H. M. Patel	...	189
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	...	190
श्री नाथुराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	...	190
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...	191
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	...	192

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 **मई**, 1972/8 **ज्येष्ठ**, 1894 (**शक**)

Monday, May 29, 1972/Jyaistha 8, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

त्रिपुरा में चावल और तेल मिलों के लिए लाइसेंस

*1022. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के आदिवासियों को चावल और तेल मिलें स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा में गत तीन वर्षों में चावल और तेल मिलों के लिए कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ग) उक्त अवधि में त्रिपुरा में (डिवीजन-वार) कितने आदिवासी आवेदकों को उक्त लाइसेंस दिये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). चावल मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री दशरथ देव : पिछड़े हुए आदिवासियों को इस व्यापार में आकर्षित करने के लिये क्या

सरकार का विचार आदिवासियों के मामले में चावल तथा तेल मिलों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाने का है, विशेषकर शिक्षित आदिवासी युवकों के लिये जो इस व्यापार को आरम्भ करना चाहते हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु जैसाकि मैंने कहा ये सभी अधिकार राज्य सरकारों को दे दिये गये हैं। लाइसेंस जारी करने के लिए, त्रिपुरा सरकार समेत राज्य सरकारें सक्षम हैं और हम इसका स्वागत करेंगे। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं किसी विशेष मामले पर विचार करूं तो मैं राज्य सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ।

श्री दशरथ देव : इस समय ऐसा व्यापार करने के लिए इन आदिवासियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई होने तथा आदिवासी लोगों के गरीब होने और ऐसी मिलें आरम्भ न कर सकने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार राष्ट्रीकृत बैंकों से आदिवासी लोगों को ऋण देने की शर्तों को उदार बनाने का है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल लाइसेंसों से संबंधित है न कि बैंकों से ऋण देने से।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : श्रीमन्, मेरे लिए आपकी क्या सलाह है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न लाइसेंसों से संबंधित है और माननीय सदस्य ऋणों के बारे में पूछने लगे हैं।

श्री दशरथ देव : ऋणों का लाइसेंस जारी किए जाने से संबंध है। ऋण के बिना आदिवासी व्यापार आरंभ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : इससे और भी बात निकल सकती है। प्रश्न संगत होना चाहिए। वह ऋण के बारे में प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं। वह वित्त मंत्री नहीं हैं। आप इससे संगत और कोई स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री डी० बसुमतारी : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कहा है कि आदिवासी लोगों को लाइसेंस जारी करना राज्य सरकार का काम है। यह नीति है। परन्तु हमारा अनुभव है कि जहाँ आदिवासी जनसंख्या थोड़ी है वहाँ राज्य सरकारें इस नीति का पालन नहीं करती हैं। ऐसे मामलों में क्या सरकार किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है जिससे त्रिपुरा जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को लाइसेंस मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपने क्या नया प्रश्न किया है ?

श्री डी० बसुमतारी : श्रीमन्, मंत्री महोदय इसे समझ गए हैं। एक सामान्य नियम है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को ऐसे सभी मामलों में सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु कुछ राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। जहाँ आदिवासी लोगों की संख्या अधिक होती है वहां कभी-कभी ऐसा किया जाता है परन्तु जहाँ आदिवासी लोग संख्या में कम हैं वहाँ उनकी

सुनवाई नहीं होती ? ऐसे मामलों में सरकार का क्या करने का विचार है ? क्या सरकार इसका उत्तरदायित्व लेगी तथा संबद्ध राज्य सरकारों से ऐसे मामलों पर बातचीत करेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रश्न दो बातों से सम्बद्ध है । चावल मिलें तथा तेल मिलें । जहाँ तक चावल मिलों का संबंध है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राज्य सरकारों को अधिकार दिये जाते हैं । यह बात कहीं भी हमारे ध्यान में नहीं लाई गई कि राज्य सरकारें इसे प्रोत्साहित नहीं कर रही हैं । यदि ऐसे उदाहरण हमारे ध्यान में लाये जायेंगे तो हम सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ उस पर विचार करेंगे । इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, विशेषकर जब आदिवासी युवकों का संबंध हो, उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा कर्त्तव्य होगा ।

जहाँ तक तेल मिलों का संबंध है, लाइसेंस देने की सामान्य नीति यह है कि यदि परियोजना एक करोड़ रुपए से कम की हो और उसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो अथवा उपकरण का आयात न होता हो तो किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है । यह बात त्रिपुरा पर भी लागू होती है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या उस राज्य में आदिवासी लोगों की कोई चावल मिल अथवा तेल मिल है अथवा उन्हें पीसने आदि के लिए अन्य राज्यों को भेजा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता है, जो प्रश्न संगत नहीं हो उसे पूछना आवश्यक नहीं है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : This question relates to rice mills and oil mills, but small farmers in the rural areas get one or two bags of rice husked and a little oil extracted from mills. For this small machine the shopkeeper have to take licence. May I know the steps being contemplated by the hon. Minister in this regard ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि चावल उद्योग को भूसी अलग करने वालों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये । उसमें काफी मात्रा बर्बाद होती है । हाथ से चावल कूटने तथा अन्य बातों को संरक्षण दिया जाता है ।

भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र के निदेश को स्वीकार करना

*1024. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में केन्द्र के निदेश को उड़ीसा सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). कृषि मंत्री द्वारा केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशें राज्य सरकार को इस अनुरोध सहित भेजी गई हैं

कि वर्तमान भू-सीमा नियमों को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्यवाही की जानी चाहिए । उड़ीसा के राजस्व मंत्री ने 14-4-72 को भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था । उन्होंने केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के विषय में कोई आपत्ति नहीं की थी । आशा है उड़ीसा सरकार केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सुझावों के अनुसार भूमि की सीमा के नियमों में संशोधन करेगी ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : राजस्व मंत्री ने कोई राय व्यक्त नहीं की। इससे यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र तथा उत्कल काँग्रेस की मिली-जुली सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अधिकतम सीमाओं का विरोध कर रही है । क्या भारत सरकार उस पर कोई नैतिक अथवा अन्य दबाव डालेगी जिससे वह अन्य राज्यों के समान आ सके ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : वास्तव में मुख्य मंत्री श्री अहमद से मिले थे और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सरकार के मस्तिष्क में क्या बात थी परन्तु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संबंध में विधान के मामले में वे पूर्ण सहयोग करना चाहेंगे और इस मामले में अन्य राज्यों से पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या मंत्री महोदय को पता है कि मध्य प्रदेश की तरह उड़ीसा में भी भूमि स्थानान्तरण तेजी से हो रहा है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस बारे में समाचार-पत्रों में समाचार अवश्य आये हैं परन्तु इस संबंध में भारत सरकार की नीति यह है कि यदि निम्न-सीमा के लिए भूमि सुधार कानून बनाये जाते हैं तो उन्हें सितम्बर, 1970 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ माना जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether land-reforms is a state subject and whether the States are free to enact any law in this regard ? If so, can the Central Government give any directive in this regard ? If any directive has been given, unde r which article of the Constitution has that been given ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इसमें निदेश देने का कोई प्रश्न नहीं है । हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है जिसमें देश का हित है । इसका संबंध कृषि उत्पादन तथा खाद्यानों एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता से भी है, लाखों भूमिहीन श्रमिकों के साथ न्याय करने के अतिरिक्त, पहली योजना से ही भारत सरकार की यही नीति रही है; यह नई बात नहीं है । यह पहली योजना, दूसरी और तीसरी योजना में सन्निहित था जब उन योजनाओं को बनाया गया था । इसका राष्ट्रीय विकास परिषद् में जिसके सदस्य मुख्य मंत्री होते हैं, सदा उल्लेख रहता था । अतः मैं तकनीकी रूप से यह नहीं सभझता कि इस सिफारिश में कोई बाधा आनी चाहिए । ऐसा मतैक्य के अनुसार किया जाता है तथा मेरा स्वयं का अनुभव है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग करने को तत्पर हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रश्न के उत्तर के लिए इतने लम्बे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो उत्तर आप पाना चाहते हैं वह अनुपूरक प्रश्न से नहीं मिल सकता परन्तु मंत्री महोदय आपको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने मुझे पूर्णतया असंतुष्ट रहने दिया है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : क्या मैं अपना उत्तर पूरा कर सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें केवल यही कहना चाहिए था कि माननीय सदस्य स्वयं कानून का अर्थ निकाल सकते हैं, यह बात कानून का अर्थ निकालने की है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अर्थ निकालने का कोई प्रश्न नहीं है, मेरा सीमित प्रश्न यह था कि क्या भूमिसुधार का मामला राज्य का विषय है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : क्या मैं अपना उत्तर पूरा कर लूं ? कानून बनाने का कार्य राज्य सरकारों की क्षमता के अन्तर्गत है, यह सर्वविदित है ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों के माध्यम से राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1969 को आदर्श अधिनियम के रूप में स्वीकार करें ?

अध्यक्ष महोदय : आप उड़ीसा से केरल चले गए हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यद्यपि हम केरल के माननीय सदस्यों की प्रशंसा करते हैं कि वहाँ प्रगतिशील कानून बनाया गया है तथापि वह कानून ऐसा कोई आदर्श कानून तो नहीं है । यद्यपि यह अच्छा विधान है तथापि लाड़-प्यार के कारण स्थानान्तरण की अनुमति देने संबंधी उपबंध कोई प्रगतिशील उपबन्ध नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडे : केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को निदेश दिये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि कितने राज्यों ने आवश्यक विधान बना लिया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : बहुत से राज्यों ने ऐसा किया है । बिहार ने अधिकतम सीमा की अनुमति दे दी है । तमिलनाडु सरकार ने कुछ कार्यवाही की है । केरल सरकार ने अच्छा कानून बनाया है । आसाम ने सीमाओं को कम करते हुए कानून बनाया है । राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में भी काफी अच्छा कानून बनाया गया है ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं उड़ीसा के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आज सायं हम इस विषय पर वाद-विवाद करने जा रहे हैं । तब आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । सीधा-सा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कार्य-निदेश दिया है । उससे हम केरल और फिर अन्य राज्यों के बारे में पूछने लगे । मुझे यह सुनिश्चित करना है कि यह मेरे नियंत्रण में रहे । अगला प्रश्न ।

वर्ष 1972-73 में उरर्वक की राज्य-वार माँग

*1027. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उर्वरक की राज्यवार अनुमानित माँग क्या है; और

(ख) इस मांग को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है :

विवरण

अप्रैल-मई, 1972 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में राज्यों द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए उर्वकों की माँग के अनुमान को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

आशा है कि राज्यों की 1972-73 की माँगें निम्नलिखित प्रबन्धों के परिणामस्वरूप पूरी हो जायेंगी :—

(क) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को 1972-73 की खरीफ और रबी की फसलों के दौरान प्रयोग के लिए 9·40 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 2 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है।

(ख) वित्त मंत्रालय ने 6·56 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 2·04 लाख मीटरी टन पी$_2$ओ$_5$ और 1·50 लाख मीटरी टन के$_2$ ओ का अतिरिक्त आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नियतित की है। आपूर्ति मंत्रालय और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को समय पर इन उर्वरकों की प्राप्ति के लिए आयात कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है।

(ग) पहली अप्रैल, 1972 को मौजूद भण्डार तथा इन उपायों की क्रियान्विति से राज्यों की माँगें मोटे-तौर पर पूरी होनी चाहियें।

1972-73 के लिए उर्वरकों की राज्यवर माँग

एकक : मीटरी टन

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	1972-73		
		एन	पी	के
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	250,000	90,000	32,000
2.	केरल	40,000	24,000	22,000
3.	मैसूर	115,000	55,000	35,000
4.	तमिलनाडु	274,000	91,000	75,000

1	2	3	4	5
5.	पांडिचेरी	3,700	2,200	1,550
6.	बिहार	117,700	23,100	9,900
7.	उड़ीसा	56,000	1,2,500	7,200
8.	आसाम	5,500	2,450	1,450
9.	पश्चिम बंगाल	90,000	24,500	27,600
10.	नागालैंड	33	26	20
11.	त्रिपुरा	626	240	300
12.	महाराष्ट्र	167,500	85,000	55,000
13.	गुजरात	132,000	70,000	9,000
14.	गोवा	2,400	1,300	1,100
15.	उत्तर प्रदेश	430,000	99,000	75,000
16.	मध्य प्रदेश	1084,00	50,000	10,500
17.	राजस्थान	60,000	12,000	5,000
18.	दिल्ली	2,800	375	210
19.	पंजाब	250,000	80,000	20,200
20.	हरियाणा	98,000	9,300	3,225
21.	हिमाचल प्रदेश	6,000	2,000	1,250
22.	जम्मू और कश्मीर	6,500	1,100	400
*	समस्त भारत	2249,159	735,091	392,905

* इसमें 3,300 मीटरी टन एन भी शामिल है, जिसका उपयोग बागान फसलों में किए जाने की सम्भावना है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : राज्यवार उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता के बारे में मंत्री महोदय द्वारा जो विवरण दिया गया है क्या उस विवरण में उर्वरकों के उपभोग में अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर भी दी हुई है, और यदि नहीं, तो उर्वरकों के उपभोग को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हाल के अनुभव, विशेषकर गत वर्ष के अनुभव से ऐसा लगता है कि उपभोग दर संतोषजनक ढंग से बढ़ रही है। परन्तु उसके बावजूद उर्वरकों के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोग, मिट्टी के विश्लेषण जैसी बहुत सी कार्यवाही की जा रही हैं तथा प्रोत्साहन देने वाले अन्य उपाय किये जा रहे हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि मैसूर जैसे कुछ राज्य केन्द्र की ओर से अपर्याप्त आबंटन किए जाने के कारण उर्वरकों का राशन करने का विचार कर रहे हैं और यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुख्यत: हम राज्यों की न्यायोचित माँगें पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु हाल ही में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के परिणामस्वरूप आयात में कुछ अव्यवस्था हो जाने के कारण कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। हम आयात कार्यक्रम में तेजी लाने तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मामले से पूरी तरह अवगत हैं और राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : केन्द्र सरकार द्वारा पूल प्रणाली से उर्वरक का वितरण न केवल अपर्याप्त है बल्कि कृषक के पास यह उस समय पहुँचता है जबकि उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में यह आम शिकायत है कि उन्हें समय पर उर्वरक का वितरण नहीं होता। मैसूर में उर्वरकों का बहुत अभाव है। आज भी मुझे एक तार मिला है कि मैसूर को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं आबंटित किया गया। चाय की फसल के लिए भी उर्वरक की वितरण-व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : इसे "वाद-विवाद काल" मत बनाइये।

श्री के० लकप्पा : मैं कुछ तथ्य बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आप बाद में करलें। इस समय तो अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : समूची उर्वरक वितरण प्रणाली ही पुरानी है। क्या केन्द्र सरकार उर्वरक वितरण करने की कोई नई प्रणाली बनाने का विचार कर रही है जिसके फलस्वरूप किसानों को समय पर उर्वरक मिल जायें और उनको अपेक्षित मात्रा में भी मिल जायें ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहाँ तक पृथक-पृथक राज्यों में अपर्याप्त वितरण का प्रश्न है, यह तो राज्यों की सरकारों की ही स्वेच्छा पर निर्भर करता है। हम तो राज्य सरकारों को आबंटित करते हैं। यद्यपि कमी के कारण कुछ कठिनाई तो है परन्तु मेरे विचार से यह कमी भी बहुत थोड़ी ही है। उदाहणार्थ, खरीफ की फसल के लिए कुल माँग 9·4 लाख टन नाइट्रोजन की है जबकि 8·25 लाख टन नाइट्रोजन उपलब्ध है। इस प्रकार कमी केवल 1·15 लाख टन की है जोकि बहुत ही थोड़ी है। स्वभावत: राज्य सरकारों को इसमें से न्यायपूर्ण ढंग से उर्वरक का वितरण करना चाहिए। विद्युत की कमी तथा अन्य कारणों से भारतीय कारखानों से आशा के अनुकूल उत्पादन नहीं प्राप्त हो रहा है परन्तु हम अन्य संबंधित मंत्रालयों से भी इस बारे में बात-चीत कर रहे हैं। जहाँ तक मैसूर का प्रश्न है, हम मैसूर सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। इस समय जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है हम उससे ही हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय पर वितरण के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री के० लकप्पा : किसानों को उर्वरक उस समय मिलता है जबकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। आयश्यकता के समय नहीं मिलता।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों को हमारी सलाह है कि राज्यों में अनेक

ऐसे स्थान हैं जहाँ वे मौसम आने से पूर्व उर्वरक जमा कर सकती हैं। उन्हें कुछ ऋण-सुविधायें दी गई हैं। हम इस मौसम में राज्य सरकारों को कुछ ऋण भी दे रहे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा ये कठिनाइयाँ थोड़ी सी कमी के कारण आड़े आ रही हैं जो कि मेरे मंत्रालय के वश से बाहर की बात है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उर्वरकों के उपयोग के बारे में समुचित कृषि-ज्ञान के अभाव के कारण उर्वरक के उपयोग में असंतुलन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में एक प्रकार की प्रतिक्रिया सी हुई है। क्या सरकार ने यह सुनिश्चय करने के लिए कोई सावधानी बरती है कि उर्वरक का उपयोग उचित समय पर तथा उचित मात्रा में हो।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। हमारे कार्य की यही दिशा है और इस समस्या के बारे में हमारा और राज्य सरकारों का एक ही मत है।

Reported Mismanagement in the Lady Hardinge Hospital, Delhi

*1028. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the new items published in the column 'Nazar Apni Apni' of the daily Nav Bharat Times dated the 25th April, 1972 regarding the mismanagement in the Lady Hardinge Hospital, Delhi;

(b) if so, whether Government are conducting an enquiry into the said incident; and

(c) if so, the outcome of the findings ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). इस मामले की जाँच की जा रही है।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know when this enquiry would be completed and also which of the complaints are being investigated ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Umashanker Dikshit) : As per the press report, we have ordered the Additional Director General to inquire into it. We have received no complaint or infoımation from the Hospital. However, it has been learnt that quite a large number of women go there daily for maternity and other medical treatment. They do not go to other Hospitals even if seats are avail-ble there. It may be beause of nearness or the number of beds available that the number of women visiting this hospital is double the number of beds available there. Some of them are given beds and the rest have to be kept on the floor. A meeting on this issue was held in April wherein a proposal was placed before the Board of Management that admission should be retused when there was no bed in the hospital. But considering all the aspects, the board decided not to refuse admission. I have come to know of it just now and

I don't like this decision. We are looking into it and will take action as and when found necessary.

Shri M. C. Daga : May I know whether the hon. Minister ever pays a surprise visit to the hospital ?

Shri Uma Shanker Dikshit : I have gone to other hospitals but not to this one.

Dr. Laxminarain Pandey : The hon. Minister has stated that there is dearth of beds in the hospital and admission has to be refused. But is he not thinking of enhancing the number of beds so as to benefit the maximum number of women and in case there is dearth of space to increase the number of beds, more space may be arranged for.

Shri Uma Shankar Dikshit : We do want to increase the number of beds but that is not possible there. In addition to beds, other equipment and facilities have also to be increased. We will either have to undertake the expansion of the hospital or make arrangements at some other place. Increasing the number of beds only would not do. These days, all the flowers are full. At times, the paients who need only rest have to be given one bed per two patients.

Shri M. Ram Gopal Reddy : The hon. Minister has stated that he visited other hospitals but not this one. Did he go there for treatment or inspection ?

Shri Uma Shankar Dikshit : For treatment I went to Willingdon Hospital only; but I inspected the Safdarjang Hospital and the Medical Institute also.

Shri Phool Chand Verma : It is generally found that the women visiting these hospitals for maternity treatment are ill-treated and not looked after properly after they are admitted. Would the hon. Minister look into it ?

Shri Uma Shanker Dikshit : We have no information about ill-treatment. We are told that a large number of patients go there and the hospital authorities wrongly give them admission. They should not admit patients beyond the prescribed limit. However, there is a complaint of lack of facilities, and I will look into it.

धूम्रपान विरोधी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन तथा अन्य कार्यवाही

*1029. **श्री वेकारिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) धूम्रपान विरोधी कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति गठित करने, (ii) सिगरेट का विज्ञापन बन्द करने और (iii) अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में धूम्रपान पर रोक लगाने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उक्त सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री वेकारिया : मुझे यह उत्तर पाकर बड़ा आश्चर्य है कि इतने लम्बे समय से यह मामला विचाराधीन है ।

मैं जानना चाहूँगा कि सिगरेट-निर्माता कब तक अपने पैकटों पर यह लिखना आरम्भ कर देंगे कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकर है तथा इस संबंध में आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने श्री जार्ज फरनेन्डीज़ के दृष्टिकोण का जिक्र किया है जिन्होंने 26 जुलाई, 1969 को एक मसौदा-विधेयक पेश किया था जिसमें राज्य सरकारों को सिगरेट प्रचारकों से यह अनुरोध करने को कहा गया था कि वे मोटे अक्षरों में यह लिखें कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। इसकी ओर हमने राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है और श्री फरनेन्डीज के विधेयक को प्रत्येक राज्य सरकार के पास भेजा गया था कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। अब यह राज्य सरकारों पर है कि वे उचित कार्यवाही करें।

श्री वेकारिया : बड़े आश्चर्य की बात है कि यह मामला अब राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। क्या केन्द्र सरकार भी धूम्रपान विरोधी कोई अभियान चलाने जा रही है तथा क्या इस अभियान में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): जहाँ तक सामान्य दृष्टिकोण की बात है सरकार माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत है कि धूम्रपान को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहियें। अमरीका तथा भारत को नशा बन्दी करने से हुए अनुभव के आधार पर और यह देखते हुए कि यहाँ तक कि संसद-सदस्यों, अन्य माननीय भद्र पुरुषों तथा महिलाओं में भी यह लत है तो हमारे विचार से लोगों को इस बारे में विश्वास दिलाने के लिए आरंभ में तो प्रचार तथा प्रापोगेन्डे की बड़ी आवश्यकता है और जब जनमत तैयार हो जायेगा तो वही समय इस संबंध में उचित कानून बनाने का होगा।

जहाँ तक इस रिपोर्ट का संबंध है, यह हम तक नहीं पहुँची है। जब हमने सुना तो हमने विश्व स्वास्थ्य संस्था को लिखा और हमें 24 मई को इसका उत्तर मिला। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य रूप से हम इस मामले से अवगत हैं परन्तु स्पष्ट रूप से यह एक जटिल मामला है और इस पर पूरे ध्यान से विचार करने की जरूरत है।

श्री पीलू मोदी : क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें लोक सेवा के अध्यक्ष को सभा में धूम्रपान करने की अनुमति देने को राजी किया जाये ?

Mr. Speaker : If it were within my power, I would stop it completely.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या बच्चों में भी धूम्रपान की आदत बढ़ रही है। यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में कुछ राज्य सरकारों ने कानून बना रखे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप हर प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछते-पूछते थके नहीं ? लगता है आप तो दूसरे श्री कछवाय हैं।

श्री एस० ए० कादर : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सिगरेट के पैकेट पर एक प्रकार की चेतावनी प्रकाशित की जाये। क्या ऐसी चेतावनी सिगार के डिब्बों पर भी लिखी जानी चाहिए। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिगार भी बहुत लोग पीते हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें बताया गया है कि सिगार सिगरेट से कम हानिकर है।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने कहा है कि संभवतः वह धूम्रपान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और यह बुरी आदत चलती रहेगी। इस दृष्टि से क्या देश में सिगरेट के निर्माण पर किसी प्रकार का किस्म-नियंत्रण लागू करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री पीलू मोदी : यह स्वास्थ्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सामान्यतः संसद भवनों में अलग से धूम्रपान-गृह होते हैं, स्वयं सभा भवन में नहीं।

संसद भवन के जलपान-गृहों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई

*1030. **श्री सूर्यनारायण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए रेलवे केटरिंग सर्विस, काफी बोर्ड और टी बोर्ड जैसे जलपान-गृहों को अपेक्षित मात्रा में दूध सप्लाई करने में दिल्ली दुग्ध योजना को क्या कठिनाइयाँ हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन जलपान-गृहों को संसद भवन के लिए गैर-सरकारी एजेन्सियों से दूध खरीदना पड़ता है; और

(ग) इस मामले को सुलझाने के लिए तथा संसद भवन स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्टाल को अपेक्षित मात्रा में दूध उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली दुग्ध योजना को निदेश देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कोई कठिनाई नहीं है और दिल्ली दुग्ध योजना संसद भवन के तीनों केटररों को उनकी माँग के अनुसार दूध सप्लाई कर रही है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि क्या केटरर दिल्ली दुग्ध योजना के अतिरिक्त और कहीं से भी दूध खरीदते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या कृषि मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व संसद भवन के विभिन्न जलपान-गृहों, जैसे रेलवे काफी बोर्ड तथा चाय बोर्ड से इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है क्या उन्हें दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की उतनी सप्लाई की जाती है जितनी कि उन्हें आवश्यक है क्योंकि प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर सत्र के दौरान पूछे गये अतारांकित प्रश्नों के उत्तर से मेल नहीं रखता है। दिनांक 4-4-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1818 के उत्तर में विदेश व्यापार मंत्री ने बताया है कि काफी बोर्ड सार्वजनिक दूध सप्लाई, करौल बाग, नई दिल्ली से कुछ दूध लेता है। इसके पश्चात 11 अप्रैल, 1972 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया है कि संसद भवन की रेलवे कैन्टीन में कुछ दूध दिल्ली योजना से लिया जाता है कुछ कैवेन्टर्स से। मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें आवश्यकतानुसार दूध की सप्लाई नहीं होती है इसीलिये उन्हें बाहर से दूध की व्यवस्था करनी पड़ती है।

प्रो० शेर सिंह : यदि अग्रिम भुगतान किया जाये तो हम उन्हें जितना दूध वे चाहें उतना दूध दे सकते हैं। हम ऐसा कर भी रहे हैं। इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री के० सूर्यनारायण : दोनों में विरोधाभास है क्योंकि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सरकार को इस बात का पता नहीं है।

प्रो० शेर सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि वे बाहर से दूध नहीं लेते हैं। परन्तु हमारे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वे बाहर से दूध लेते हैं अथवा नहीं।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या आपने ठीक प्रकार परीक्षण कर लिया है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद भवन के जलपान-गृहों को उनकी माँग के अनुरूप दूध की सप्लाई की जाती है। विशिष्ट रूप से मेरा प्रश्न यही है। आपने सीधा उत्तर नहीं दिया है।

प्रो० शेर सिंह : हम सप्लाई कर रहे हैं। अग्रिम भुगतान करने पर जितनी दूध की सप्लाई माँगी जाये, पूरी की जा सकती है। यदि वे उसे खरीदना ही नहीं चाहते तो उनके लिये दूध की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दूध की कमी और वहाँ डेरियों की स्थापना करने के लिए कार्यवाही

\+
*1031. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेषकर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दूध की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सस्ता दूध उपलब्ध कराने हेतु इन राज्यों में केन्द्रीय डेरियाँ खोलने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन राज्यों में ऐसी डेरियाँ संभवतः कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित सारे देश में दूध की सामान्य कमी है ।

(ख) तथा (ग). केन्द्र का बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में डेरी स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, संबंधित राज्य सरकारों ने विभिन स्थानों पर डेरी संयंत्र स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं ।

इस समय बिहार में भागलपुर, गया, पटना, राँची तथा बरौनी में 5 डेरी संयंत्र कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, बरौनी में एक अन्य बड़े आकार का डेरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । इसी प्रकार, धनबाद तथा बोकारो औद्योगिक क्षेत्रों की दूध की माँग पूरी करने के लिये बोकारो में भी एक अन्य बड़े आकार का डेरी संयंत्र स्थापित करने का विचार है ।

राजस्थान में एक डेरी संयंत्र जयपुर में कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त अजमेर तथा जोधपुर में दो और डेरी संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, अलमोड़ा, अलीगढ़, बरेली, देहरादून, गोरखपुर, हलद्वानी, लखनऊ, मुरादाबाद तथा वाराणसी में 13 डेरी संयंत्र कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, फैजाबाद में एक बड़े आकार का डेरी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तथा हरिनघाट में दो डेरी संयंत्र कार्य कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त, दुर्गापुर तथा सिलीगुड़ी में 2 और डेरी संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं । कलकत्ते में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अंतर्गत एक अन्य बड़े आकार का डेरी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे लम्बे उत्तर विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिये जाने चाहियें ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि देश में दूध की कमी है । अतः मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूँ कि देश में अब तक राज्यवार कितनी केन्द्रीय डेरी स्थापित की गई हैं । दूसरे, इस कमी को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय ने कौन से कदम उठाये हैं ।

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेरी स्थापित करने के लिये 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है । दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों में लगभग 6 डेरियों की स्थापना की जायेगी ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैंने केन्द्रीय डेरियों के विषय में प्रश्न पूछा है ।

प्रो० शेर सिंह : इन डेरियों का वित्तपोषण केन्द्र द्वारा किया जायेगा । 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 17 पोषक डेरियाँ स्थापित की जायेंगी । मैं उन राज्यों के

नाम बता सकता हूँ। ये राज्य हैं—हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि।

श्री जगन्नाथ मिश्र : केन्द्रीय डेरियों के विषय में आपका क्या उत्तर है ?

प्रो० शेर सिंह : केन्द्रीय डेरी जैसी कोई डेरी नहीं है। केवल एक डेरी ऐसी है जिसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और वह डेरी दिल्ली में स्थित है। शेष सभी डेरियों का प्रबंध राज्य सरकारें करती हैं और केन्द्र 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत नई डेरियाँ खोलने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। जैसा कि मैंने बताया है विभिन्न राज्यों में 17 पोषक डेरियाँ स्थापित की जायेंगी तथा चार महानगरों—बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में चार लाख लिटर दूध की क्षमता वाली तथा मद्रास में दो लाख लिटर दूध की क्षमता वाली मूल डेरियाँ स्थापित की जायेंगी।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। सरकार देश में दूध की कमी को दूर करने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रो० शेर सिंह : मैं बता चुका हूँ हम 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी पान्च वर्षों में दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा नस्ल सुधार द्वारा दूध देने वाले जानवरों की किस्म में सुधार करने के लिये ·95 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे। बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और राज्यों में भी डेरियों का विस्तार करने और बड़े पैमाने पर नस्ल सुधार करने के कार्यक्रम हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल बहुत पिछड़े हुए राज्य है और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये दूध अत्यावश्यक है। इन राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों को, जहाँ बहुत समय से दूध की कमी है, दूध की सप्लाई करने के संबंध में मंत्री महोदय कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। हम दूध का अधिक उत्पादन कर रहे हैं और इससे संबंधित योजनाओं के विषय में मैं बता चुका हूँ। जब तक दूध का उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक दूध की सप्लाई किस प्रकार बढ़ायी जा सकती है। हमें उत्पादन बढ़ाना है।

Shri Ishwar Chaudhary : Besides the shortage of milk in four states, viz. Bihar, Rajasthan, U. P. and West Bengal, the existing dairy plants are not being run by the State Governments due to paucity of funds. Consequently, these plants do not give us profits as estimated. May I know whether any State Government has sought central assistance for this purpose and what programme they have initiated to provide special assistance even if it is not asked for ?

Prof. Sher Singh : As I have already submitted, "The Operation Flood Programme" is in hand in all these four States and a sum of Rs. 18·94 crores in West Bengal, Rs. 3·82 crores in Rajasthan, Rs. 3·82 crores in Uttar Pradesh and Rs. 3·82 in Bihar will be spent in the next five years.

Shri Ishwar Chaudhary : May I know whether these States *viz*, Rajasthan, Uttar

Pradesh, Bihar and West Bangal have sought central assistance so that their dairy plants lying idle due to paucity of funds may run properly and what special arrangements Government is going to make to give the desired assistance ?

Prof. Sher Singh : The Government of India is undertaking cattle development programme under which assistance is provided to the States as 30 percent grant and 70 percent loan. Besides, additional programme of 'Operation Flood' is also in hand in the States.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speakar, Sir, the Government have set up five dairies. Bihar is divided into four Divisions–Tirhut, Bhagalpur, Patna, Chhota Nagpur. There is no dairy in Tirhut Division, which is a densely populated area of the State. There is no milk available in villages even to prepare tea. Therefore, may I know when they set up these dairy plants why they made them lop-sided ? May I know whether the Government will consider setting up of a dairy in Tirhut ?

Prof. Sher Singh : The State Government set up these dairies. A big dairy is being set up in Patna. As regards Champaran, we will consider the matter.

Shri Bibhuti Mishra : The distance from Patna to North Bihar is long enough. It takes two hours in a steamer and 100-200 of miles remain to go. How this problem regarding Patna and North Bihar will be solved ?

श्री डी० बसुमतारी : क्या सरकार को पता है कि असम में दूध का उत्पादन शेष भारत की अपेक्षा सब से कम होता है तो सरकार ने असम में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ? आपने बहुत से राज्यों के नाम गिनाये हैं परन्तु उनमे असम का नाम नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने असम में दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कौन से कदम उठाये हैं । (**व्यवधान**) मुझे आश्चर्य होता है । मूल प्रश्न कुछ राज्य विशेषों में दूध की कमी के विषय में है । परन्तु प्रश्न कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया है । ठीक है, यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी है तो वह उत्तर दे सकते हैं ।

प्रो० शेर सिंह : यह सच है कि भारत में असम में दूध का उत्पादन सबसे कम होता है, प्रतिवर्ष लगभग 100,000 मीटरी टन उत्पादन है । यह मात्रा बहुत कम है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल जी भाई । आपको दूध की आवश्यकता है ?

श्री लालजी भाई खड़े हुये--

श्री डी० बसुमतारी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि सरकार ने असम में दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कौन से कदम उठाये हैं ।

प्रो० शेर सिंह : 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के प्रथम चरण के संबंध में मैंने कुछ राज्यों के नाम बताये हैं । दूसरे चरण में अन्य राज्यों को भी लिया जायेगा और तब असम के मामले पर विचार किया जायेगा ।

Shri Lalji Bhai : May I know the places where dairy farms are being established in Rajasthan and whether Udaipur is also one of them ?

Mr. Speaker : The question is regarding the shortage of milk in Bihar.

Prof. Sher Singh :I have mentioned that we are going to set up dairies at Jodhpur and Ajmer.

Shri Lalji Bhai : What about Udaipur ?

अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों को कार्यरूप देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता

1032. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा सौर समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के लिए अप्रैल, 1966 में घोषित किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों को कार्यरूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान सहायता के रूप में कोई धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) विश्वविद्यालयों, कालिजों तथा सरकारी कालिजों के सभी शिक्षकों को चाहे उनकी नियुक्ति का समय तीन वर्ष से कम हो या अधिक, पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिए कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों को कार्यरूप देने के संबंध में तथा इनसे लाभान्वित हुये और लाभों से वंचित रहे शिक्षकों की संख्या के विषय से संबंधित सूचना सरकार सभा पटल पर रखेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों (1966-71) में सुधार की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित अनुदान अस्वीकृत किए गए थे :—

वर्ष	राशि
1968-69	कुछ नहीं
1969-70	रु० 37,78,565
1970-71	रु० 49,69,740

इसके अतिरिक्त 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान कुल 81 लाख रुपए का अनुदानों के रूप में भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की पद्धति के अनुसार एक पद लगातार तीन वर्षों तक चलते रहने पर सामान्यत: सरकारी सहायक अनुदान के लिये पात्र बन जाता है। राज्य सरकार ने 1-4-66 को विद्यमान पदों के संबंध में केन्द्रीय सहायता के लिये कोई माँग नहीं की थी। तथापि ऐसे अध्यापकों को भी कालेज प्रबन्धों द्वारा अनुमोदित वेतनमानों में रखना अपेक्षित हैं।

(घ) संशोधित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयों में तथा साथ ही आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों (कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी) में लागू कर दिये गये हैं। शासकीय कालेजों के वेतनमान संशोधित नहीं किये गये थे क्योंकि वे पहले ही से पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के अनुसार थे। इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये कुल अध्यापकों की संख्या के आँकड़े इस समय सुलभ नहीं है।

श्री राजदेव सिंह : योजना के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 में कोई भी राशि क्यों नहीं दी गयी? क्या अध्यापकों तथा प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं बता चुका हूँ कि योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र से सहायता माँगनी चाहिए थी परन्तु राज्य सरकार ने सहायता नहीं माँगी क्योंकि वेतनमान अप्रैल, 1966 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किये गये थे और राज्य सरकार को लेखे के आधार पर कुछ अनुदान दिए गए जो इस बात पर आधारित थे कि राज्य सरकारें इन अनुदानों के संबंध में अन्तिम लेखे प्रस्तुत करेंगी। प्रश्न वास्तव में यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1966 से 1971 तक की योजना के लिए 25 अगस्त, 1967 को जो आदेश जारी किए उनको 1 अप्रैल, 1966 से लागू माना गया जिसके अन्तर्गत आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ विश्वविद्यालयों से संबंद्ध गैर-सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालिज आ जाते हैं। ये सभी कुछ विवरण में बता दिया गया है।

श्री राज देव सिंह : क्या इस योजना के अन्तर्गत आने तथा न आने वाले सभी शिक्षकों की कुल राशि राज्य सरकार को दी जायेगी, यदि हाँ तो कब तक?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इस संबंध में जानकारी एकत्र करके सूचना माननीय सदस्य के पास पहुँचा दूँगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मंत्री महोदय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसा अभ्यावेदन दिया है कि कोठारी आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हाँ तो क्या यह इस कारण हुआ

है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना को कार्य रूप देने के लिए वित्तीय सहायता माँगी और यदि हाँ, तो क्या सहायता देने से इन्कार कर दिया गया है अथवा सहायता दे दी गयी है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरी जानकारी में राज्य सरकार ने नियमानुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार जो कुछ माँगा था वह उन्हें दे दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोठारी आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया ? उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें क्रियान्वित करना चाहती थी परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण क्रियान्वित नहीं कर सकी। क्या केन्द्र ने उन्हें कोई धनराशि दी है जिससे कोठारी आयोग की सिफारिश क्रियान्वित की जा सके ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : बहुत से विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में कोठारी आयोग के वेतनमान लागू कर दिये गये हैं। कठिनाई केवल सरकारी कालिजों के बारे में थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना था कि उनके अपने वेतनमान हैं जिनकी सिफारिश राज्य की वेतन निर्धारण समिति ने की है और जो राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतनमानों से सामंजस्य करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में सरकारी कालिज बहुत कम हैं।

समवर्ती सूची में शिक्षा

*1035. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हो गई हैं; और

(ग) कितनी राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से असहमत हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). श्री पी० एन० सप्रू की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा पर संसद सदस्यों की समिति (1963) की सिफारिश के अनुसरण में इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ 1964 में बात की गई थी कि कम से कम उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। केवल एक राज्य सरकार, अर्थात् पंजाब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अन्य सभी ने इसका विरोध किया। अतः इस विषय को छोड़ दिया गया। हाल ही में, एक प्राइवेट सदस्य का विधेयक, संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 विचार-विमर्श के लिए लोक सभा में आया, जिसमें संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन का तथा उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का सुझाव दिया गया था, जिस पर 12 मई, 1972 को एक संशोधन स्वीकृत किया गया कि विधेयक पर 23 अक्टूबर, 1972 तक सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे परिचालित किया जाए। सरकार आगे के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 1964 में राज्य सरकारों के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें एक राज्य को छोड़ अन्य सभी ने इसे अस्वीकार किया था । 1964 के पश्चात् कोई सम्मेलन नहीं हुआ । यह प्रश्न मैं 1972 में कर रहा हूँ । क्या इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित करने के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का कोई सम्मेलन भी बुलाया गया था और यदि हाँ, तो उसमें विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हाल ही में हमने शिक्षा मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्मेलन पर मुख्य मंत्रियों अथवा उप-कुलपतियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और क्या अधिकांश उप-कुलपतियों ने निर्णय किया था कि इसे समवर्ती सूची में रखा जाये ? यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : खेद है कि माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । परन्तु मैं उनका ध्यान 1964-66 के शिक्षा आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका इस मामले पर मतभेद था । परन्तु बहुमत की सिफारिश थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए आगे कोई कार्यवाही न की जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बारे में केन्द्र का क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करने को सहमत हो गई है और उसके परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : राज्य सरकारों द्वारा इस सिफारिश को अस्वीकार करने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अलग से मिल कर पूछ लें । वह सभी कारण प्रश्न काल में नहीं बता सकते ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इसका मुख्य कारण क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : केवल एक राज्य ने इसे स्वीकार किया है और शेष सभी ने अस्वीकार किया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानना चाहते हैं कि पंजाब ने इसे क्यों स्वीकार किया ? (**व्यवधान**) ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राज्य ने यह मत व्यक्त किया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना उसकी स्वायत्तता पर अतिक्रमण करना है ? यदि हाँ, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसे मत व्यक्त किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : राज्य सरकारों ने पी० एन० सप्रू समिति की सिफारिशों पर वैमत्य क्यों व्यक्त किया इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस मामले का निपटारा आठ वर्ष पूर्व हुआ था और अधिकांश राज्यों में संबद्ध व्यक्ति अब सत्ता में नहीं हैं । इसलिए मैं इसकी जाँच भी नहीं करवा सकता ।.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भर्ती संबंधी नीति में परिवर्तन

*1036. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदों पर भर्ती करने की प्रथा बदल दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया तथा कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हाँ । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उससे संबद्ध अनुसंधान संस्थानों में समस्त वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती जो कि पहले संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती थी, 1-4-1966 से आयोग के अधिकार-क्षेत्र से ले ली गई है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उससे संबद्ध समस्त अनुसंधान संस्थानों एवं केन्द्रों में ऐसे समस्त वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए चयन अब स्वयं परिषद द्वारा गठित प्रख्यात वैज्ञानिकों जो कि अधिकतर बाहर के संगठनों से होते हैं, से बनी चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं । सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रत्येक पद के लिए एक अलग चयन समिति का गठन किया जाता है ।

(ग) अप्रैल, 1969 से आज तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उससे संबद्ध अनुसंधान संस्थानों में ऐसी समितियों द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए 1468 व्यक्तियों का चयन किया गया है । इसमें बैरकपुर स्थित जूट कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ श्रेणी I और श्रेणी II के वैज्ञानिकों आदि के चयनों से संबंधित जानकारी सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर चुने गए लगभग समस्त व्यक्ति परिषद/संबंधित संस्थान की सेवा में ले लिये गये हैं । अभी हाल ही में किए गए चयनों के संबंध में प्रार्थियों को नियुक्ति-पत्र भेज दिए गए हैं और आशा है कि वे शीघ्र ही कार्य संभाल लेंगे ।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : विवरण से पता चलता है कि सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर नियुक्तियाँ 1-4-1966 तक संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर होती थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस प्रक्रिया को समाप्त कर चयन समिति का गठन क्यों किया गया ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : एक विशेषज्ञ समिति ने इस बारे में सिफारिश की थी और वैज्ञानिकों ने भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन पर असंतोष व्यक्त किया था। इसलिए भारत सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निश्चय किया। मुख्य कारण यह है कि विज्ञान के बहुत से विभाग हैं और जब तक वैज्ञानिकों को उससे संबद्ध नहीं किया जाता, तब तक चयन समिनि द्वारा उचित चयन कर पाना संभव नहीं है। मुख्यत: इसी कारण यह परिवर्तन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : विवरण से स्पष्ट है कि चयन समिति का गठन किया गया और संस्था के बाहर के बहुत से वैज्ञानिकों को उसमें लिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि संस्था से बाहर से इन समितियों में लिए जाने वाले वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : समय-समय पर बहुत सी चयन समितियाँ गठित की गईं। इसलिए बिना पृथक सूचना के उनका विवरण देना संभव नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत और अननुमोदित बस्तियाँ बनाना

*1039. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित विभागों में अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली नई/दिल्ली में रातोंरात अनधिकृत और अननुमोदित बस्तियाँ बनती जा रही हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ख) क्या पटपड़गंज गाँव के निकटवर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की एक बस्ती बन रही है और उसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ग) क्या सरकार तत्काल कोई कार्यवाही करेगी जिससे अनधिकृत/अनुमोदित मकान बनाने की प्रवृत्ति बिल्कुल रुक जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार की कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियाँ बढ़ती जा रही हैं परन्तु यह दिल्ली की विशिष्ट विशेषता नहीं है तथा यह संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। ठोस कदम उठाये जा रहे हैं परन्तु मानवोचित एवं अन्य कारणों से, पर्याप्त कठोर निवारक कार्यवाही करने में व्यवहारिक कठनाइयाँ हैं।

(ख) जी हाँ, तथापि, कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(ग) तथा (घ). दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण अनधिकृत निर्माताओं के विरुद्ध अपने संबंधित अधिनियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करते हैं। अर्जित की गई या अर्जित की जा रही भूमि के अनधिकृत विक्रय/हस्तान्तरण को रोकने की दृष्टि से दिल्ली भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1972 नाम का एक विधेयक, 26 मई, 1972 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है, जिसके द्वारा ऐसे अनधिकृत सौदों को फौजदारी अपराध बना दिया गया है।

Shri Krishna Chandra Pandey : Sir, I want to know from the hon. Minister whether those unauthorized colonies which are being constructed and inhabited are being provided with Electric and water facilities ? I also want to know whether in the unauthorized colonies big people are constructing houses after purchasing plots ? Whether poor people also live in such colonies and if so whether they would be protected and big persons would be ousted from there ? I want a reply to these questions.

Shri I K Gujral : I can reply all these questions in the affirmative.

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

*1040. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम का कार्यकरण असन्तोषजनक पाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कानूनी तथा अन्य उपायों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या राज्यों ने नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने और वर्तमान प्रयोगशालाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता माँगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करने का काम राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का है। यह देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में मिलावट पाए गए नमूनों का प्रतिशत घटता जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न स्रोतों से इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के बारे में शिकायतें आदि आई हैं। ऐसे मत भी प्रकट किए गए हैं कि इस समस्या के हल करने में इस अधिनियम के उपबंध पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं। अतः यह महसूस किया जा रहा है कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। इस अधिनियम को और अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें उचित संशोधन करने के प्रश्न पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

खाद्य जाँच प्रयोगशालाओं के विस्तार और विकास करने के लिए कुछ राज्यों ने केन्द्रीय

सहायता माँगी है। भारत सरकार यह मानती है कि खाद्यान्नों में मिलावट की जाँच करने के लिए पूर्ण सुसज्जित खाद्य जाँच प्रयोगशालाओं का काफी संख्या में होना एक अनिवार्यता है। यह विषय मुख्यतः राज्य सरकारों का है। फिर भी, इस प्रयोजन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं जानता चाहता हूँ कि क्या अधिनियम को कठोरता से लागू करने की केन्द्र समर्थित योजना को योजना आयोग ने अस्वीकार कर दिया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसी किसी योजना को योजना आयोग ने अस्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत इस बारे में एक योजना का योजना आयोग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अधिनियम को थोड़ी अवधि में कठोरता से लागू किया जाएगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह अधिनियम का प्रश्न नहीं है अपितु योजना का प्रश्न है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इसे 34 वर्ष अथवा आगामी वर्ष के आरम्भ में क्रियान्वित किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बड़े नगरों में विश्वविद्यालय केन्द्र

*1021. **श्री नवलकिशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े नगरों में विश्वविद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला सुविधाओं से युक्त विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और किन-किन नगरों में उक्त केन्द्र स्थापित किये गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). अवर स्नातक कालेज छात्रों तथा प्राइवेट छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े नगरों में शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना के लिए सुझाव दिये गये हैं, परन्तु इस पर कोई विस्तृत प्रस्ताव विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विश्वविद्यालय के मुख्यालय के बाहर उपयुक्त स्थानों पर उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिए विश्व-विद्यालय-केन्द्रों की स्थापना के हेतु विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक योजना है :

(क) केन्द्र के लिये भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिये;

(ख) पुस्तकालय-भवन का एक-तिहाई खर्चा राज्य-सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए;

(ग) केन्द्र के प्रशासनिक कर्मचारियों का खर्चा, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये;

(घ) भवन इत्यादि के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिये;

(ङ) केन्द्र के विशिष्ट विभागों के लिये अनुदान की व्यवस्था उसी आधार पर की जायेगी, जिस आधार पर विश्वविद्यालय के उत्तर-स्नातक विभागों के लिये की जाती है।

आयोग ने अब तक उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिये निम्नलिखित केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृत किया है :

विश्वविद्यालय	स्थान
1. आन्ध्र	गुंटुर
2. मैसूर	मंगलौर
3. उस्मानिया	वारंगल
4. पंजाब	(i) रोहतक
	(ii) शिमला (यह केन्द्र अब हिलाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भाग है।)
5. श्री वेन्केटेश्वर	आनन्तपुर
6. मद्रास	(i) कोयम्बटूर
	(ii) तिरुचिनापल्ली
7. कर्नाटक	गुलबर्गा
8. जवाहरलाल नेहरू	इम्फाल

Nationalisation of Private/Public Schools

*1023 **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Chhatrapati Ambesh :

Will the Minister of **Education and Social welfare** be pleased to state :

(a) whether a demand was made to do away with public schools and nationalise private schools through a Resolution adopted in a School Teachers' Conference held under the auspices of the Institute of Socialist Education in Delhi on the 1st May last; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is being looked into.

राष्ट्रीय नेताओं की विरासत का परिरक्षण

*1025. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नेताओं की विरासत के परिरक्षण और मातृभूमि के प्रति उनके योगदान के प्रति आदर प्रकट करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) ऐसे नेताओं के नाम क्या हैं और इस आशय की योजना के कार्यान्वियन पर गत तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

म्यूनिख ओलम्पिक के लिए हाकी टीम का चयन

*1026. **श्री प्रियरंजनदास मुंशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष म्यूनिख में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिये हाकी टीम का चयन करने के मामले में कोई गम्भीर विवाद खड़ा हो गया है;

(ख) क्या विश्व हाकी टूर्नामेंट में भारत के हार जाने के पश्चात् भारतीय खिलाड़ियों, विशेषतया युवा खिलाड़ियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की कोई जाँच कराई गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । भारतीय हाकी संघ ने सरकार को सूचित किया है कि ऐसा कोई विवाद नहीं उठा है ।

(ख) और (ग). भारतीय हाकी संघ ने सूचित किया है कि ऐसा कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ था ।

हिन्दी में विधि पुस्तकों का तैयार किया जाना

*1032. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों अथवा संदर्भ पुस्तकों के रूप में प्रयोग करने, और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यवसायी वकीलों द्वारा प्रयोग के लिए हिन्दी में मानक विधि पुस्तकें तैयार करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

पाठ्य पुस्तकों अथवा संदर्भ पुस्तकों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए मानक विधि पुस्तकों के हिन्दी भाषा में लेखन, अनुवाद तथा प्रकाशन की योजना की तीन मुख्य बातें भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 22·4/69—जे० एल० (प्र) दिनांक 10-2-1972 के पैरा 2 में दी गई है जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-3078/72.**] । इन तीन बातों में से प्रत्येक पर हुई अब तक की प्रगति इस प्रकार है :

(i) केलेंडर वर्ष 1971 के दौरान हिन्दी में लिखी गई उक्त विधि पुस्तकों के हेतु दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिये प्रविष्टियाँ 30 जून, 1972 तक आमंत्रित की गयी हैं । इसके बाद पुरस्कार दिऐ जाने के संबंध में सिफारिश करने के हेतु इन पुस्तकों की जाँच मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी ।

(ii) मौलिक विधि पुस्तकें हिन्दी में लिखने के लिये 33 विषय चुने गए हैं । इन विषयों में से 26 विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए 26 चुने हुए लेखकों के साथ करार किए गए हैं । छ: विषयों पर पुस्तकों की पूरी पाण्डुलिपियाँ संबंधित लेखकों से प्राप्त हो चुकी हैं तथा मूल्यांकन समिति द्वारा इन पाण्डुलिपियों की जाँच की जा रही है ।

(iii) इन विषयों में से 59 मानक विधि पुस्तकें जो विषय में उत्कृष्ट कोटि की समझी गई हैं, हिन्दी में अनुवाद के लिए चुनी गई हैं । इन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए उचित अनुवादकों का चयन इस समय मूल्यांकन समिति के विचाराधीन है ।

औषधियों में मिलावट

*1034. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों में मिलावट की रोक-थाम के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). घटिया किस्म की तथा मिलावटी दवाइयों के निर्माण और बिक्री को समाप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :

(1) औषधियों के बिना लाइसेन्स वाले निर्माताओं को समाप्त करने के लिये, जो आम तौर पर मिलावटी औषधियाँ बनाते और बेचते हैं, लाइसेन्स शुदा औषध निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची छाप दी गई है और इसे नाम मात्र मूल्य पर सभी संबंधित व्यक्तियों आदि को आम उपलब्ध कर दिया गया है। इस सूची में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं और इस प्रकार संशोधित सूची की प्रतियाँ राज्य औषध नियंत्रक संगठनों तथा औषधि व्यापारियों के संघों को भेज दी जाती हैं।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयाँ बनाने तथा बेचने तथा बिना लायसेन्स के दवाइयाँ बनाने और बेचने की सज़ा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष कर दी गई है। उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके आधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें लाने ले जाने के साधनों को छीना जा सकता है।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने यहाँ मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिये पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखें।

(4) जब कभी केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन को मिलावटी दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तर-राज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय संबंधित राज्यों को सचेत करने तथा, राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिये विशेष सावधानियाँ बरती जाती हैं।

(5) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने औषध निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जाँच करने की सुविधायें भी बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जाँच-रिपोर्ट जल्दी-जल्दी मिल सकें।

(6) केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिये बम्बई कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं। मण्डल अधिकारियों का एक खास काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जायी जा रही हों, की जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तरराज्य बाजार में बिकने वाली औषधियाँ हर हालत में मानकों के अनुसार हों। उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट सम्पर्क में काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। मण्डल अधिकारियों से सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

(7) औषध निर्माताओं और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सहायता और उनका सहयोग लिया जा रहा है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों। मिलावटी दवाइयों के विरुद्ध अभियान में भी उनका सहयोग लिया जा रहा है।

(8) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम औषध मानक नियंत्रण को कठोरता से लागू करने में मदद देंगे।

(9) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें, मण्डल राज्य औषध नियंत्रकों की बैठकें करने तथा मण्डल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श की व्यवस्था करके तथा पत्र-व्यवहार द्वारा निरन्तर सम्पर्क तथा बातचीत जारी रखते हैं। सूचना के इस निरन्तर विनिमय से औषधियों के गुणों पर नियंत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने और उन्हें तेज करने में बड़ी मदद मिलती है।

बहुफसली खेती के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाएं

*1037. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहुफसली खेती के लिये अब तक कितनी प्रयोगात्मक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उक्त परियोजनाओं की क्रियान्विति से क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1971-72 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चुने हुए खण्डों में बहुमुखी फसलों की 53 प्रायोगिक परियोजनायें चालू करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

(ख) इन परियोजनाओं का मुख्य लक्षण फसलों की सघन कृषि को अधिकाधिक बढ़ावा देना है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों के लाभ भी बढ़ सकें। इनका उद्देश्य अनुकूल परीक्षणों, वैज्ञानिक प्रदर्शनों, संगठित विस्तार प्रयत्नों द्वारा सम्पूर्ण ग्राम-विकास के प्रयासों, आदानों की व्यवस्थित आपूर्ति तथा ऋण सेवाओं और संगठित विपणन एवं संबंधित गतिविधियों के समेकित कार्यक्रम द्वारा लाभदायक बहुफसली और फार्म उपक्रमों का तीव्र विकास करना है।

(ग) परियोजनायें केवल वर्ष 1971-72 में ही मंजूर की गई हैं। योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसको मंजूर कराने और कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों ने पर्याप्त समय लिया। अतः अनुभव करने की दृष्टि से यह अवधि बहुत ही अल्प रही है।

Strike in I. I. T., Kanpur

*1038. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the causes leading to the recent strike in the Indian Institute of Technology, Kanpur and the action taken in this regard ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

In the last ten years when the Indian Institute of Technology was in the process of establishment and development, different categories of workers were employed on daily wages/ consolidated pay for campus development, water supply and sanitation services, minor construction, setting up of laboratories/workshops etc. As of December, 1971, the approximate number of such employees was 513, consisting of 368 persons on daily wages and 145 on consolidated pay.

While the Institute was making every effort to absorb as many of these temporary employees as possible in regular vacancies in a phased manner, a Karamchari Sangh was formed which included daily wage and consolidated pay staff and some regular employees. The Sangh started an agitation demanding immediate absorption of all the temporary employees in regular jobs. The authorities intervened and appointed a Grievances Committee consisting of representatives of the Karamchari Sangh and the Faculty of the Institute.

The Grievances Committee considered the question of regularising the temporary employees and made a set of recommendations on 23rd February, 1972. While an examination of these recommendations was in progress, the Karamchari Sangh started a strike on 18th March, 1972 as a result of which the normal working of the Institute was disrupted. The authorities intervened again and after detailed negotiations the strike was called off. The authorities have agreed to implement the recommendations of the Grievances Committee. So far 428 daily wage and consolidated pay workers have been regularised, 182 with effect from 1st January, 1972 and 246 with effect from 1st May, 1972. The authorities have also agreed not to retrench the rest of the workers till alternative employment is found for them. The rest of the demands are being considered favourably by the authorities according to the general orders and rules of the Government.

ग्रामीण ऋण योजना में ऋण का कृषि साधनों से संबंध स्थापित किया जाना

7661. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी समेकित ग्रामीण ऋण योजना बनाई है जिसमें ऋण की सप्लाई कृषि साधनों की व्यवस्था पर आधारित हो; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). ऋण की सप्लाई को कृषि आदानों से संबद्ध करने की इस प्रकार की अलग-से कोई योजना नहीं है। फिर भी, सहकारी संस्थायें कृषि कार्यों के लिए ऋण जहाँ तक संभव है फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत सामान के रूप में दे रही हैं। इस प्रकार फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को तीन भागों अर्थात् नकद परिव्यय की पूर्ति के लिए 'नकद भाग,' उर्वरकों, कीटनाशियों, कृषि औजारों, जैसे आदानों के लिए 'सामान भाग' और आदानों के प्रयोग के कारण अतिरिक्त धन-राशि की पूर्ति के लिए एक अन्य 'नकदी भाग' में बाँटा गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में उधार लेने वाले व्यक्ति को नकदी प्राप्त करने के लिए सामान लेने की पूर्व शर्तें भी हैं। वाणिज्यिक बैंक भी यथासंभव कृषि कार्यों के लिए सामान के रूप में ऋण दे रहे हैं और बैंकों द्वारा सम्भरणकर्त्ताओं को अदायगियाँ कराके इसे सुनिश्चित कर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश के हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि का आबंटन

7662. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में गत दो वर्षों में कितने हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि का आबंटन किया गया; और

(ख) वितरित भूमि का एकड़ों में ब्यौरा क्या है, तथा भूमिहीन लोगों को भूमि बाँटने के समय सरकार ने क्या कसौटी अपनाई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शारीरिक शिक्षा संस्थान का खोला जाना

7664. **श्री वेकारिया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में शारीरिक शिक्षा संस्था खोलने का सरकार का विचार है जैसा कि ग्वालियर में खोला गया है; और

(ख) यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थान

7665. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के अनुरूप स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थान विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय): (क) और (ख). 26 सितम्बर, 1971 से 28 सितम्बर, 1971 तक भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० ए० के० एन० सिन्हा ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक-एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

यह सुझाव चिकित्सा शिक्षा तथा परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए दिया गया था।

यह सोचा गया है कि एक राज्य के सभी चिकित्सा कालेजों के लिए इस प्रकार का कोई विश्वविद्यालय एक एफिलिएटिंग निकाय का काम करेगा और इन चिकित्सा कालेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों के ऊपर नियंण रखेगा।

इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

सचिवालय की ओर से यमुनापार के क्षेत्रों के लिए बस सेवा

7666. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय की ओर से यमुना पार जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवा नियमित नहीं है और उनके चक्कर हमेशा छूट जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यमुना पुल पर भीड़ के कारण यमुना पार कालोनियों तथा शहर के बीच, जिसमें सचिवालय भी शामिल है, चलने वाली बसें प्राय: काफी समय के लिए रुकी रहती हैं। इससे समय सारणी में गड़-बड़ी हो जाती है जिसके फलस्वरूप फेरे छूट जाते हैं। फेरे छूटने का दूसरा कारण यह है कि दिल्ली परिवहन के निगम के बेड़े में पुरानी बसें हैं जो कि कुल बस बेड़े का लगभग 30 प्रतिशत है। यह सच नहीं है कि सचिवालय तथा जमुना पार कालोनियों के बीच चलने वाली बसें बिल्कुल नियमित नहीं है और सदा फेरे छोड़ देती हैं। अप्रैल, 1972 में इन मार्गों पर 63 प्रतिशत फेरे समय-सारणी के अनुसार लगाए गए।

उर्वरकों की सप्लाई के लिए रूस के साथ करार

7667. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की सप्लाई के बारे में सरकार ने रूस के साथ कोई करार किया है,

(ख) यदि हाँ, तो कितने उर्वरक का आयात किया जायेगा तथा किस मूल्य पर खरीदा जायेगा तथा राज्यों के उपभोक्ताओं को उन्हें किस मूल्य पर बेचा जायेगा; और

(ग) देश में उत्पादित उर्वरकों से आयातित उर्वरकों के मूल्य कितने न्यूनाधिक होंगे तथा आयातित उर्वरकों में विभिन्न राज्यों का कितना-कितना भाग होगा तथा क्या इससे देश की आंतरिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी और यदि नहीं, तो कितने उर्वरक की कमी रहेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) 1972-73 में 1 लाख मीटरी टन यूरिया तथा 40,000 मीटरी टन म्यूरियेट आफ

पोटाश की सप्लाई के लिए रूस के साथ ठेका किया गया है। यूरिया और म्यूरियेट आफ पोटाश का लागत और भाड़ा मूल्य क्रमशः 485·00 रु० और 327·50 रु० प्रति मीटरी टन होगा। 15 प्रतिशत सीमा कर, बन्दरगाह पर रख-रखाव लागत, वित्त, भंडारण, परिवहन और वितरण की लागत को पूरा करने के पश्चात् यूरिया और म्यूरियेट आफ पोटाश काश्तकारों को क्रमशः 959·00 और 554·00 रु० प्रति मीटरी टन के खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है।

(ग) देश में म्यूरियेट आफ पोटाश का उत्पादन नहीं किया जाता। देश में ही निर्मित यूरिया की लागत विभिन्न तत्वों और कच्चे माल की लागत पर निर्भर करती है जो एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भिन्न-भिन्न है। साधारणतः देश में उत्पादित यूरिया का मूल्य आयातित यूरिया से अधिक होता है।

विभिन्न राज्यों की आयातित उर्वरकों की आवश्यकताओं का अनुमान राज्य सरकार और देशीय उत्पादकों की सलाह से अर्द्ध-वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में किया जाता है। कमी को उर्वरकों के आयात द्वारा पूरा किया जाता है जिसे राज्य सरकारों को बाँट दिया जाता है। इस प्रकार जिन राज्यों की आवश्यकताएँ देशीय उर्वरक उत्पादकों द्वारा पूरी की जा सकती हैं उन्हें, उन राज्यों की तुलना में जिनकी आवश्यकतायें देशीय उत्पादकों द्वारा पूरी नहीं की जा सकता, कम मिलेगी। देश की उर्वरक आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि 1972-73 में कोई कमी नहीं होगी।

किसानों संबंधी विकास एजेंसी के लिए योजना

7668. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मंझले किसानों संबंधी विकास एजेंसी के अधीन वर्ष 1972-73 में केरल में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं की संक्षेप में रूपरेखा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) केरल राज्य के कन्नानोर तथा क्विलन दोनों जिलों में एक-एक सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक और लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना मौजूद है। लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत सारा जिला आता है, लेकिन सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना के अंतर्गत केवल सीमित क्षेत्र लिया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1972-73 के दौरान मुद्रा संरक्षण, भूमि समतलन, बागवानी प्रदर्शन, खुदाई के कुओं, नलकूपों, पम्पसैटों का संस्थापन, उठाऊ सिंचाई, डेरी, कुक्कुट-पालन तथा सूअर-पालन विकास, सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, सेवाई सुविधाओं की व्यवस्था करना, ग्राम शिल्पकारी का विकास, कृषि श्रमिकों के लिए ग्राम निर्माण कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का विचार है।

(ख) चारों एजेंसियों का अनुमानित परिव्यय 2·5 करोड़ रुपये है, जो उनके प्रस्तावित समस्त कार्यक्रमों के लिए सहकारी संस्थाओं की जोखिम राशि, व्यक्ति विशेष तथा संस्थाओं को राज सहायता तथा प्रशासनिक व्यय के रूप में होगा।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कोचीन पत्तन से उतारा और चढ़ाया गया माल

7669. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कोचीन पत्तन से कुल कितना माल उतारा और चढ़ाया गया; और

(ख) इस पत्तन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1970-71 और 1971-72 वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन द्वारा वहन किया गया कुल यातायात निम्न प्रकार से है—

	(लाख टनों में)
1970-71	48·40 (वास्तविक)
1971-72	46·56 (अस्थायी)

(ख) पत्तन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोचीन पत्तन संबंधी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में कई परियोजनाएँ शामिल की गई हैं। इनमें एक खुले घाट का निर्माण, अतिरिक्त निकर्षकों की प्राप्ति से घाटों पर डुबाव में सुधार, यान्त्रिक माल धरा-उठाई उपकरण की प्राप्ति जैसा कि फार्क लिफ्ट ट्रक, भारी चलती-फिरती क्रेनें आदि, रात्रि चालन का चालू करना और अतिरिक्त माल गोदाम संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं। योजना कार्यक्रम में कोचीन तेलशोधक कारखाने के लिए कच्चा तेल लाने वाले गहरे डुबाव के तेल पोतों के लिए उपयुक्त बड़े तेल पोत घाट और उर्वरक प्रायोजना के लिए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उर्वरक घाट का निर्माण भी शामिल है।

ग्राम्य जल संभरण योजनायें

7670. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं क्रियान्वित करने में विलम्ब का कारण जी० आई० पाइपों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) कुछेक राज्यों ने बताया है कि जी० आई० पाइपों की कमी के कारण ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

(ख) जी० आई० पाइप की सप्लाई में वृद्धि करने के प्रश्न पर औद्योगिक विकास मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसी बीच राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जहाँ वे देखें कि ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पड़ेगी वहाँ वे जी० आई० पाइपों के स्थान पर पी० वी० सी० पाइपों का प्रयोग करें।

ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं की मंजूरी

7671. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी ग्राम्य सम्भरण योजनाएँ मंजूर की गई हैं;

(ख) कितनी योजनाएँ पूरी हो गई हैं; और

(ग) शेष क्षेत्रों में योजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी एवं पर्यावरणिक संगठन ने 1971-72 में जिन ग्राम जल पूर्ति योजनाओं को तकनीकी मंजूरी दी थी उनके बारे में सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) और (ग). ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में आता है। इसलिये विभिन्न योजनाएँ तैयार करना, उन्हें क्रियान्वित करना तथा ऐसी योजनाओं आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति देना पूर्णतः राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। अतः अपेक्षित सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	तकनीकी रूप से मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	योजना का नाम
1	2	3	4
1.	असम	1	जमुगुरु ग्राम (असम की जलपूर्ति योजना)
2.	गुजरात	2	(1) छापर जलपूर्ति योजना (बुलसर) गुजरात (2) जलपूर्ति योजना कटवारा (पंचमहल) गुजरात
3.	हिमाचल प्रदेश	1	श्वरघाट ग्राम (विलासपुर) हिमाचल प्रदेश जलपूर्ति योजना

1	2	3	4
4.	हरियाणा	5	(1) अतेला बर्साना (मोहिन्दर गढ़ जिला, हरियाणा) जलपूर्ति योजना (2) नगीना, अस्सिका, झिर्का ग्राम (हरियाणा) जल पूर्ति योजना (3) गोरघिरी, पनिहार चाक गवर (हिसार, हरियाणा) (4) सिन्धवी, खेड़ा आदि जींद ब्लाक (नं० 7) जिला जींद, हरियाणा के लिए जलपूर्ति योजना (5) बासी, सज्जन पुर ग्राम, हरियाणा की जलपूर्ति योजना
5.	पंजाब	3	(1) लोशिम्लि एवं जमियत गढ़ वर्ग के ग्राम (पटियाला जिला) पंजाब (2) सिखवाला ग्राम, पंजाब की जलपूर्ति योजना (3) मैली सननग्वाली तौवाल (पंजाब)

ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें

7672. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी 30 ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं और उनका अनुमोदन कुछ निश्चित अवधि के अन्दर करना है;

(ख) यदि हाँ, तो उनको अन्तिम रूप से कब तक स्वीकार अथवा रद्द किया जायेगा;

(ग) स्वीकृत योजनाएँ कब कार्यान्वित और पूरी की जायेंगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी योजनाओं का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). 30 अप्रैल, 1972 की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय

के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी और पर्यावरण संगठन में 14 ग्राम जल पूर्ति योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति पर विचार किया जा रहा था। इस संगठन के अधिकारियों के साथ कुछेक योजनाओं पर बात-चीत की है और उनसे उन्होंने और अधिक तकनीकी ब्यौरा तथा स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया है। यद्यपि इन योजनाओं को शीघ्रता से तैयार किया जा रहा है, तथापि यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है कि कब तक इन योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि ये स्वीकृत योजनायें कब कार्यान्वित और पूरी हो जायेंगी क्योंकि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

(घ) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

विवरण

क्रमांक	राज्यों का नाम	विचाराधीन योजनाओं की संख्या	योजनाओं का नाम
1	2	3	4
1.	असम	1	सिमालुगुड़ी संशोधित जलपूर्ति योजना
2.	गुजरात	1	124·76 लाख रुपए वाली सेंट्रल बाड़ा ट्रेक्ट वर्ग के गाँव, जिला बड़ौच
3.	हिमाचल प्रदेश	2	(1) 6·28 लाख रुपये की जिला कांगड़ा के परौर, खरोट आदि गाँवों वाली जल-पूर्ति योजना (2) 41·61 लाख रुपए की लोंगवालटी और बोमसन वाली जलपूर्ति योजना
4.	पंजाब	3	(1) 26·76 लाख रुपये की मल्लेवाल, पोजेवाल आदि गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (2) 72 लाख रुपए की रलाबर्ग भाग 1 वाली जलपूर्ति योजना (3) 42 लाख रुपए की झुनीरवर्ग भाग 2 (फ्लोरोसिस ग्रस्त 76 गाँव) वाली जलपूर्ति योजना
5.	चण्डीगढ़	1.	1·57 लाख रुपए की काझेरी गाँवों वाली जलपूर्ति योजना

1	2	3	4
6.	राजस्थान	6	(सूखा वाले इलाकों संबंधी कार्यक्रम के अधीन तकनीकी छानबीन के लिए विचाराधीन राजस्थान की योजनायें) (1) 13 लाख रुपए की जिला जालोर के सांथू से अकोली गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (2) 15·50 लाख रुपए की जिला जोधपुर के नोखरा से चम्पासार गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (3) 15 लाख रुपए की जिला जोधपुर के सोमसर से सुवालिया गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (4) 14·50 लाख की जिला जोधपुर की बोयल से कपर्दा गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (5) 20 लाख रुपए की पंचरोली चाँदिया गाँवों वाली जलपूर्ति योजना (6) 19 लाख रुपए की बगागाँव से चनेड गाँवों वाली जलपूर्ति योजना।

देवनगर में 'ई' टाइप क्वार्टरों की स्थिति

7673. **श्री जीवराज मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनगर, नई दिल्ली में 'ई' टाईप के बहुत से क्वार्टरों की दीवारें गीली रहती हैं तथा बरसात के मौसम में उनसे पानी चूने लगता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देवनगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय की ओर से सरकार को यह सुझाव दिए गए हैं कि छत की मुंडरों पर दुबारा पलस्तर कराया जाए तथा उस क्षेत्र से भूमिगत पानी को निकालने के लिए नलकूप लगाए जायें; और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुझाव कब प्राप्त हुआ था तथा इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) निर्माण के समय इन क्वार्टरों में सील रोक रद्दा न लगाना तथा भूमिगत जल का स्तर बढ़ना, सीलन का मुख्य कारण है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ

7674. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के बारे में 8 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5412 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभा पटल पर रखे गए विवरण II में उल्लिखित 101 बस्तियों में से उन 59 बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें नियमित कर दिया गया है; और

(ख) क्या लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज रोड 'जे' एक्सटेंशन कालोनी को अलग बस्ती माना जाता है अथवा वह लक्ष्मी नगर पटपड़गंज रोड कालोनी के अन्तर्गत आती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०—3079/72.**]

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा (1967 में) 101 अनधिकृत कालोनियाँ जो 1-9-62 तथा 31-1-67 के बीच बनी थीं, के सर्वेक्षण के अनुसार पटपड़गंज रोड की लक्ष्मी नगर कालोनी में लक्ष्मी नगर 'जे' एक्सटेंशन कालोनी नहीं आती है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्लास्टिक साइलो बेचा जाना

7675. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, एक प्राइवेट फर्म द्वारा खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए निर्मित प्लास्टिक साइलो बेच रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खाद्य निगम देश की पूर्ण माँग को पूरा कर सकेगा और अनुमानित माँग कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी अन्य फर्म ने प्लास्टिक साइलो बनाने के लिए आवेदन-पत्र भेजा है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । तथापि,

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने मिलकर एक प्राइवेट फर्म अर्थात् पोलिथीन इण्डस्ट्रीज के सहयोग से प्लास्टिक साइलों का विकास करने के लिए कार्य किया है। इस फर्म के पास इन साइलों का निर्माण करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फार्म स्तर पर ऐसे साइलों की उपयोगिता के बारे में अब तक केवल कुछेक प्रदर्शनों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) यह केवल एक संवर्धनात्मक कार्य है जोकि भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने के लिए किया गया है और इसलिए भारतीय खाद्य निगम देश की समूची माँग को पूरा करने की स्थिति में होगा अथवा नहीं—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस अवस्था में प्लास्टिक साइलों के निर्माण का कार्य केवल समन्वेषी स्वरूप का है और प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था में है और किसी अन्य फर्म ने अब तक इन्हें बनाने के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने की योजना

7676. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व आन्ध्र प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा बताई गई एक योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ और वित्तीय सहायतार्थ भेजी है जिसमें अनुमानतः 10 करोड़ रुपये की लागत पर जून, 1972 के अन्त तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 55,000 मकान बनाने और उन्हें देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपरोक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं।

अलबत्ता, भारत के जीवन बीमा निगम की ऋण सहायता से अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से 55,546 मकानों की व्यवस्था करने की आंध्र प्रदेश सरकार की एक योजना है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

ग्रीन बेल्ट को रिहायशी क्षेत्र में बदलना

7677. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहेला के निकट 'शास्त्री नगर' दिल्ली की बृहत योजना में ग्रीन बेल्ट दिखाया गया है;

(ख) क्या ग्रीन बेल्ट को रिहायशी क्षेत्र में बदलने के बारे में उपरोक्त बस्ती के निवासियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने तदनुसार बृहत योजना में संशोधन करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

झिलमिल कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटियों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

7678. **श्री मोहन राज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झिलमिल कालोनी, दिल्ली-शाहदरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटियों को स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अलाटियों को इसके बदले कोई अन्य स्थान दिया जाएगा और यदि हाँ, तो कहाँ और कब ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा देने वाले संस्थान

7679. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबकि राजधानी में सायंकाल में विदेशी भाषाएँ सिखाए जाने की व्यवस्था है देश की क्षेत्रीय भाषाओं की कम खर्च पर शिक्षा दिए जाने के लिए सरकारी संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यथस्था की गई है; और

(ख) देश में एकता लाने के लिए राजधानी तथा सम्पूर्ण देश में ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजधानी के अनेक स्कूलों, जिनमें सरकार द्वारा संचालित स्कूल शामिल हैं, और कुछ प्राइवेट संस्थाओं में, जिनमें से कुछ सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, प्रादेशिक भाषाओं के सीखने के लिए सुविधाएँ मौजूद हैं।

(ख) देश में एकता की भावना की उन्नति के विचार से त्रिभाषा सूत्र, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को मातृभाषा के अलावा एक प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु को छोड़कर सारे देश में चालू है। इस सूत्र के अधीन शिक्षण प्रदान करने वाले स्कूलों में से अनेक सरकारी संस्थाएँ हैं। राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के स्कूलों में प्रादेशिक भाषाओं की उत्तम शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने मैसूर, भुवनेश्वर, पटियाला और पूना में चार प्रादेशिक भाषा केन्द्र स्थापित किए हैं, जिसमें देश के विभिन्न स्कूलों में कार्य करने वाले प्रादेशिक भाषाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पास भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की एक योजना है जिसके अन्तर्गत प्रादेशिक भाषाओं के अध्यापन का कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को 75 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध की जाती है। अहिन्दी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी शिक्षण के लिए भी इसी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

सरकारी संसाधनों और गैर-सरकारी संसाधनों से सिंचित भूमि का क्षेत्र

7680. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री देश में कृषि योग्य भूमि के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि योग्य भूमि में से सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों से, राज्यवार, सिंचित भूमि कितनी-कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : कृषि आँकड़ों के संग्रह करने की मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत नहरी सिंचाई के अतिरिक्त सरकारी और निजी संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के लिए अलग-अलग आँकड़े संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर सिंचाई के संसाधनों के विषय में जो नवीनतम आँकड़े उपलब्ध हैं वे प्रायः वर्ष 1968-69 से संबंधित हैं। तद्नुसार, कृषि योग्य क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र और संसाधन-वार ब्यौरों के राज्यवार आँकड़े प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3080/72.**]

विदेशी प्रचारक संगठनों द्वारा वित्तपोषित शिक्षा संस्थाएँ

7681. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी शिक्षा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशी प्रचारक संगठनों द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाती है;

(ख) क्या इन विदेशी संगठनों से सहायता बन्द हो जाने अथवा सहायता कम कर देने के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ संस्थाओं के बन्द हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बुवाई से पहले खाद्यान्नों के वसूली मूल्य की घोषणा

7682. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों का वसूली मूल्य बुवाई से पहले घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त निर्णय के अनुसार आगामी फसलों के लिए कोई घोषणा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका फसलवार ब्यौरा क्या है और यदि कोई घोषणा नहीं की गई तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सरकार ने अगली गेहूँ की फसल का अधिप्राप्ति मूल्य बुवाई मौसम से पूर्व घोषित करने का निश्चय किया है।

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना और उनको अपने नियंत्रण में लेना

7683. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश के स्कूलों का दर्जा बढ़ाने और उनको आपने नियंत्रण में लेने के बारे में संसद सदस्यों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अध्यापक संघ और विधान सभा के सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में क्या लिखा है और उस पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा एवं समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). अध्यापक संघ से इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; जिनमें से एक पत्र का संबंध, जिसे इस सभा के सदस्य श्री शशि भूषण

द्वारा अग्रेषित किया गया था, जिला कांगड़ा के शासकीय प्राधुनिक स्कूल, खेरियाँ के दर्जे बढ़ाने से है, और दूसरे पत्र का संबंध जिसे राज्य सभा के सदस्य श्री सूरज प्रसाद के जरिए श्री चूड़ामणि, एम० एल० ए० द्वारा भेजा गया था, (जिला काँगड़ा के ही) ग्राम पंचायत हाई स्कूल, खटियार के दर्जा बढ़ाने और उसे अपने नियंत्रण में लेने से है। दोनों मामले हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिये गये हैं, चूँकि इनसे संबंधित कार्रवाई की जिम्मेदारी उसी सरकार की है।

वृद्धावस्था पेंशन

7684. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री वृद्धावस्था पेंशन के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन संबंधी मामलों के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1971-72 में और चालू वर्ष में इस योजना से लाभ उठाने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) 1971-72 = 1828

चालू वर्ष = 1828, अब तब चालू वर्ष के दौरान किसी भी नए व्यक्ति को पेंशन नहीं दी गई है।

चीनी की उत्पादन लागत

7685. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 7·37 रुपये के निर्धारित निम्नतम मूल्य पर आधारित प्रत्येक राज्य में चीनी की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : प्रत्येक ज़ोन में चीनी के उत्पादन के निकासी मूल्य का हिसाब प्रत्येक ज़ोन में औसत पिराई अवधि और मौसम में चीनी की उपलब्धि के आधार पर लगाना पड़ता है। क्योंकि मौजूदा मौसम अभी भी चल रहा है और कुछ चीनी कारखाने अभी भी कार्य कर रहे हैं इसलिए इस अवस्था में उत्पादन की लागत का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्येक ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना

7686. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** :
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय और जिला स्तर पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए स्थानों का चयन किस आधार पर किया जायेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार संबंधित क्षेत्रों के संसद सदस्यों के साथ परामर्श करके स्थानों का चयन करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो ये विद्यालय किस तिथि तक खोले जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). प्रत्येक खंड में एक के हिसाब से पर्याप्त संख्या में आदर्श प्राथमिक स्कूल तथा प्रत्येक जिले में एक स्कूल की दर से आदर्श माध्यमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव अभी भी तैयार हो रहा है। अन्तिम निर्णय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् लिया जायेगा।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज के मद्रास यूनिट से सम्बद्ध स्वीडिश उपहार जहाज के डूब जाने की जाँच

7687. **श्री वयालर रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज से संबद्ध स्वी डन से उपहार स्वरूप प्राप्त जहाज "रेड स्नेपर्स" उसके इंजन रूम में समुद्री पानी आ जाने के कारण लगभग डूब गया था;

(ख) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मद्रास बन्दरगाह में जब "रेड स्नेपर्स" जहाज की वार्षिक मरम्मत हो रही थी तो सोमवार, दिनांक 5 जुलाई, 1971 की प्रातः देखा गया कि समुद्री पानी इंजन तथा अगले कक्ष में प्रवेश कर गया है। प्रातः 10 बजे तक पानी बाहर निकाल दिया गया था और दूसरे दिन मुख्य इंजन को पुनः चालू कर दिया गया।

(ख) तथा (ग). संस्थान के दो तकनीकी अधिकारियों की एक समिति ने घटना की जाँच की। उनकी रिपोर्ट संस्थान के निदेशक को पेश की गई थी, जिन्होंने उस पर कुछ प्रश्न किए और मद्रास स्थित शाखा के प्रभारी उपनिदेशक को रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करने को कहा। अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा गुलाबी बाग में भूमि की खरीद

7688. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री भूमि खरीदने के लिये गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति दिल्ली द्वारा भुगतान की गई राशि के संबंध में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जब भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी उसके बाद सहकारी समिति ने गुलाबी बाग में भूमि खरीदने की बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो गुलाबी बाग में भूमि खरीदने की अनुमति लेते समय क्या इस बात को समिति की आम सभा के ध्यान में लाया गया था; और

(ग) जब भूमि के अधिग्रहण की सूचना दे दी गई थी, खरीद के लिये बातचीत करने के क्या कारण थे तथा समिति के सदस्यों के हितों की रक्षा करने एवं इस भूमि की खरीद के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकार द्वारा अर्जन की कार्यवाही शुरू किए जाने से पूर्व बातचीत आरंभ हो चुकी थी।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा प्राणाली और होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी और होम्योपैथी अनुभागों में कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारी

7689. **श्री जियाउर्रहमान अंसारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा प्राणाली और होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बी और होम्योपैथी में अनुसंधान परियोजना चला रही है;

(ख) परिषद् के मुख्यालय में उल्लिखित चिकित्सा प्रणालियों में कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के अनुसंधान में कार्य कर रही केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों / अनुसंधान एककों / अनुसंधान पूछताछ कार्यालयों आदि की संख्या कितनी है और उनका चिकित्सा प्रणालीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1976-71 और 1971-72 में उपरोक्त प्रणालियों पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के लिये बजट के आँकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) परिषद् के मुख्यालय में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

पद का नाम	पद संख्या		
	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथी
उप-निदेशक	1	शून्य	शून्य
सहायक निदेशक	2	*	1
अनुसंधान अधिकारी	शून्य	शून्य	1
सहायक अनुसंधान अधिकारी	3	शून्य	शून्य
अनुसंधान सहायक	3	1	1

* स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (स्वास्थ्य विभाग) के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (यूनानी) यूनानी पद्धति संबंधी अनुसंधान कार्य को देखते हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक—I में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3081/72.**]

(घ) वर्ष 1970-71, 1971-72 में आयुर्वेद, यूनानी तिब्बी तथा होम्योपैथी की प्रत्येक पद्धति पर खर्च की गई राशि एवं लघु वित्तीय वर्ष के लिये बजट-आँकड़े इस प्रकार हैं :

	1970-71	1971-72	1972-73
	रुपये	रुपये	रुपये
आयुर्वेद	25,55,442	65,49,214	67,96,500
यूनानी तिब्बी	89,494	3,50,286	6,05,000
होम्योपैथी	7,33,934	6,36,825	6,96,000

होम्योपैथी के लिए अलग सलाहकार

7690. **श्री जियाउर्रहमान अंसारी :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी के लिये अलग सलाहकार है, परन्तु यूनानी के लिये नहीं है;

(ख) क्या सरकार अखिल भारतीय यूनानी संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन यूनानी औषधालय खोलने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है; यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) होम्योपैथी के लिए एक अलग अवैतनिक सलाहकार है। भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के लिए एक साझा सलाहकार है जिनकी मदद के लिए एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (यूनानी) भी है।

(ख) जी नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे किसी संस्थान की स्थापना करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन कोई यूनानी औषधालय खोलने के लिए कोई भारी माँग नहीं है। फिर भी, यह मामला विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

7691. **श्री जयाउर्रहमान अंसारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके स्थान पर हकीमों को नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जहाँ तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संबंध है, 31 दिसम्बर, 1971 की स्थिति के अनुसार उनमें से केवल 3·4 प्रतिशत केन्द्रों में डाक्टर नहीं थे। वैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर डाक्टरों की कमी है।

(ख) देशी पद्धतियों सहित विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों के अन्तर्गत उपलब्ध जन-शक्ति का उपयोग करके ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच

7692. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 16 मई, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कराने का विचार कर रही है, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों की सहायता करने में प्रायः बाधा डाली है; और

(ख) क्या इस बीच जाँच आरंभ हो गई है और यदि हाँ, तो यह कब तक पूरा हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में छोटे कृषक तथा सीमांत कृषक विकास एजेंसी के लिए निधि का नियतन

7693. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में प्रत्येक छोटे कृषक विकास एजेंसी (एम० एफ० डी० ए०) तथा सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों (एम० एफ० एल० ए०) के लिये प्रत्येक परियोजना के लिये इन योजनाओं के आरम्भ होने के पश्चात् कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई तथा प्रत्येक योजना के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश राज्य में लघु कृषक विकास एजेन्सियों और दो सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सियों ने निम्न-लिखित राशि नियुक्ति और व्यय की :

(रुपये लाखों में)

एजेंसी का जिला	निर्मुक्त राशि		व्यय की गई राशि
	1970-71	1971-72	(प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर)
छोटे कृषक विकास एजेंसियाँ			
1. कुड्डापहा	5·00	17·50	11·52
2. नालगोंडा	7·00	14·00	17·36
3. श्री काकुलम	5·00	13·00	8·93
	17·00	44·50	37·81
सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक			
1. नालगोंडा	3·00	8·70	6·80
2. विशाखापत्तनम	5·00	4·00	5·21
	8·00	12·70	12·01

छोटे कृषक विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत राज्य में 96,236 व्यक्तियों को लाया गया है, जिन में से 2,427 को सहकारिता के अन्तर्गत लाया गया। मार्च, 1972 के अन्त तक 2 नलकूपों, 1261 खुदाई के कुओं, 1301 मोटर और पम्पसेटों तथा 474 दुधारू पशुओं की व्यवस्था और 11 पोलट्री एककों की स्थापना अन्य महत्वपूर्ण प्राप्तियां हैं।

सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत 18,209 व्यक्ति लाये गये हैं, जिनमें से 5,562 को सहकारिता के अन्तर्ग्रत लाया गया। मार्च, 1972 के अन्त तक प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ 1 नलकूप, 630 खुदाई के कुँऐ, 593 पम्पसेट और 1745 दुधारू पशुओं की व्यवस्था और 47 पोलट्री एककों की स्थापना है।

आंध्र प्रदेश में छोटे कृषक तथा सीमांत कृषक विकास एजेंसी

7694. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल निदेशालय द्वारा योजनाओं को स्वीकृति न देने के कारण नये कुएं खोदने तथा पंपिंग सेट लगाने के लिए आंध्र प्रदेश में छोटे कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत ऋण दिये जाने के कार्य में भारी बाधा पड़ी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप गुडुधा, नागगोंडा, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों के बहुत से गाँव इन योजनाओं से नितान्त वंचित रह गये हैं अथवा उनमें से बहुत ही कम गाँवों के लिये योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या परियोजना अधिकारियों के विचार और छोटे कृषक विकास एजेंसी के लिये आंध्र प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम द्वारा की गई जल-भूगर्भीय जाँच के निष्कर्ष भूमिगत जल-निदेशालय के अनुमानों के मूल आधारों से मेल नहीं खाते जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और वित्तपोषक राष्ट्रीयकृत बैंकों का भूमिगत जल निदेशालय से इस बात पर विरोध है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये प्रभावकारी समन्वयपूर्ण कार्यवाही करने के लिगे क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). अप्रैल, 1972 के दौरान नयी दिल्ली में छोटे और सीमान्त कृषकों के विषय में हुई राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भूमिगत जल निदेशालय द्वारा अपनाए गये मापदण्ड के कारण छोटे कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रमों की क्रियान्विति में आई कुछ कठिनाइयों के विषय में बताया था ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ

7695. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के बारे में 10 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 36 बस्तियों के नाम क्या हैं जो असंगत क्षेत्रों में अथवा ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ थोड़े से मकान बने हुए हैं;

(ख) क्या इस बीच नियमित की गई बस्तियों में मकान बनाने के लिये मकान के नक्शे पास किये जाते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन बस्तियों में जिन सरकारी कर्मचारियों के प्लाट हैं उन्हें मकान बनाने के लिये ऋण दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भूमि के अर्जन तथा नियमितीकरण प्लान में समायोजित प्लाटों/मकानों को पट्टे पर दिये जाने के बाद ही केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन प्लान स्वीकार किये जा सकते हैं ।

(ग) जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित भवन प्लान पेश नहीं किये जाते, वे ऋण के पात्र नहीं होंगे ।

विवरण

क्रम संख्या	कालोनियों के नाम	
1.	भोलानाथ नगर, निकाला गया भाग ।	
2.	विष्णु गार्डन एक्सटेंशन टी ब्लाक ।	
3.	विष्णु गार्डन एक्सटेंशन 'के' ब्लाक ।	
4.	श्री निवास पुरी, नई दिल्ली ।	
5.	रामेश्वर नगर एक्सटेंशन माडल टाउन के निकट ।	
6.	मोहन पार्क माडल टाउन के निकट ।	
7.	मेजर भूपिन्द्र सिंह कालोनी पहले जिसे संतगढ़ कहते थे ।	
8.	हरिजन कालोनी जाटव बस्ती, भोला नाथ नगर ।	
9.	सूरज भान ब्लाक, जी० टी० रोड ।	
10.	सरस्वती गार्डन एक्सटेंशन ।	
11.	हरिनगर 'जे' ब्लाक ।	
12.	सराय रोहिल्ला के निकट शास्त्री नगर ।	
13.	अपर रिज रोड पर नेहरू पर्वत ।	
14.	विष्णु गार्डन 'एफ' ब्लाक ।	
15.	रामपुरा व एक्सटेंशन कालोनियाँ (हंसापुरी, बुद्ध नगर आदि आदि) ।	
16.	धर्मपुरा (ईस्ट) गांधी नगर ।	
17.	रतन बाग कालोनी ।	पालम रेलवे स्टेशन के निकट
18.	शाद नगर	
19.	राज नगर	
20.	पालम एनक्लेव	
21.	उत्तम नगर (निकाला गया भाग) ।	
22.	ईस्ट गुरु अंगद नगर ।	
23.	पाण्डव नगर ।	
24.	शक्कर पुर खास के निकट प्लाटों की दो पंक्तियाँ ।	
25.	विष्णु गार्डन (भाग)	
26.	विष्णु गार्डन ('जे' एण्ड 'पी' ब्लाक्स) ।	
27.	विष्णु गार्डन 'एस' ब्लाक ।	
28.	विष्णु गार्डन 'एन' ब्लाक ।	
29.	नागल राया एक्सटेंशन ।	
30.	हरि नगर ब्लाक एम० एस० ।	
31.	गोल्डन पार्क, रोहतक रोड पर ।	
32.	विश्वास नगर (भाग) ।	
33.	प्रीत नगर ।	
34.	शंकर पुरी, नजफगढ़ रोड पर ।	
35.	आदर्श नगर ।	
36.	सराय पीपल थाना एक्सटेंशन ।	

विभिन्न विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम का लागू किया जाना

7696. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापक कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता है; और

(ख) क्या देश में विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों पर सरकार का औद्योगिक विवाद-अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित उद्योग में सम्मलित नहीं समझा जा सकता है ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

1971-72 और 1972-73 में छोटे किसानों को नलकूपों के लिए धनराशि का नियतन

7697. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को नल-कूपों की सुविधा देने के लिए क्या योजना है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार प्रत्येक राज्य में सरकार ने इन किसानों को नलकूपों के लिए कितना-कितना ऋण दिया है; और

(ग) 1971-72 में कितनी राशि नियत की गई तथा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है तथा इस कार्य के लिए 1972-73 में कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) छोटे और सीमान्त कृषकों को खेती, मुर्गी पालन और सूअर पालन आदि के लिए नल-कूप की सुविधायें प्रदान करने की कोई अलग योजना नहीं है । तथापि छोटे और सीमान्त कृषकों के विकास के उद्देश्य से इन मदों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित एजेन्सियों द्वारा सहायता दी जाती है । छोटे कृषक विकास एजेन्सियाँ नल-कूपों सहित लघु-सिंचाई योजनाओं के पूँजीगत व्यय की लागत पर 25 प्रतिशत तक सरकारी सहायता प्रदान करती हैं । सीमान्त कृषकों के संबंध में यह सहायता साधारणतः $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक दी जाती है । इसी प्रकार डेरी फार्म, मुर्गी पालन, भेड़ प्रजनन और सूअर पालन के लिए छोटे और सीमान्त कृषकों को पूँजीगत व्यय पर क्रमशः 25 प्रतिशत और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की सहायता दी जाती है । जहाँ सामुदायिक सिंचाई कार्य, सामूहिक लाभ के लिए बनाये जाते हैं, एजेंसियों द्वारा 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है ।

(ख) भारत सरकार ने सीधे छोटे और सीमान्त कृषकों को नलकूपों के लिए कोई ऋण नहीं दिए हैं। वित्तीय संस्थान अपेक्षित ऋण देते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

1972-73 में यन्त्रों से खेती करने के लिए निधि का नियतन

7698. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए यंत्रों से खेती करने के बारे में 1972-73 में सरकार ने कितनी धनराशि का उपबन्ध किया है; और

(ख) गत वर्ष कितनी राशि का उपबन्ध किया गया था, कितनी राशि खर्च की गई तथा किन-किन राज्यों तथा जिलों को इसका लाभ पहुँचा ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए यंत्रीकृत फार्म के संबंध में सरकार द्वारा कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त कृषकों के विकास के लिए छोटे/सीमान्त कृषकों की भूमि को खेती योग्य बनाने, ट्रैक्टरीकरण, कटाई, गहाई आदि तथा शक्ति स्प्रेयरों आदि के माध्यम से वनस्पति-रक्षण उपायों के संबंध में भी रियायती दरों पर सेवाई सुविधायें दी जाती हैं। छोटे कृषकों के संबंध में दरों में 25% और सीमान्त कृषकों के संबंध में $33\frac{1}{3}\%$ तक राजसहायता दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे सेवाई कार्य राज्य विभागों या कृषि-उद्योग नियमों या अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से किए गए हों।

पंचायत/सहकारी संस्थाओं को छोटे कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं की सहायता से सामुदायिक आधार पर सेवाई केन्द्र स्थापित करने के संबंध में प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में सरकार ने निर्णय किया है कि ये एजेंसियाँ उपकरण आदि की लागत के लिए 50% तक राज-सहायता दे सकती हैं, बशर्ते कि सेवाई केन्द्रों को चलाने वाली चुनींदा संस्थायें, जो परियोजना अवधि के दौरान उपकरण तथा सेवाओं के भाड़े के संबंध में छोटे तथा सीमान्त कृषकों के विषय में रियायती दरों को अपनायें। ऐसे मामले में परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक एजेंसी से कुल राज-सहायता 2·00 लाख रुपये तक मिल सकेगी।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान तथा सीमान्त कृषकों के लिए यंत्रीकृत फार्म के संबंध में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी।

भारत-नार्वे परियोजना, कोचीन

7699. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में स्थापित की गई भारत-नर्वे मछली पालन परियोजना में, जिसमें लगभग 150 कर्मचारी कार्य करते हैं कर्मचारियों को कार्मिक संघ बनाने के मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे तथा कर्मचारियों को परेशान तथा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को उस मामले में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारत-नार्वे परियोजना की गतिविधियाँ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (प्रे) के अन्तर्गत उद्योग की सीमा के अन्तर्गत नहीं आतीं। अत: श्रमिकों के श्रमिक संघ अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि परियोजना के कर्मचारियों को श्रमिक संघ अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिन कर्मचारी संघों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्होंने इस परियोजना को औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्मिलित न किए जाने पर आपत्ति की है। यह भी आरोप लगाया गया है कि श्रमिकों को तंग किया जा रहा है। यद्यपि तंग करने की कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं।

(ग) कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में विभिन्न संघों के माध्यम से प्रस्तुत की गई शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और उनकी विभिन्न माँगों पर संभाव्य सीमा तक उचित कार्यवाही की जा रही है।

ब्याज दर

7700. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ब्याज की वैध दर क्या है तथा वास्तव में क्या दर प्रचलित है;

(ख) ब्याज की वैध दर से अधिक वसूली करने पर क्या दण्ड दिया जाता है तथा गत तीन वर्षों में कानून का उल्लंघन करने के लिए कितने ऋणदाताओं को दण्ड दिया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). ऋणदाताओं और ऋण देने का विषय भारत के संविधान में राज्य सूची के सातवें अनुच्छेद में 30-वीं मद के रूप में सम्मिलित है। अत: प्रत्यक्ष रूप से इससे भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। फिर भी, ऋण देने के अधिनियम के अन्तर्गत, सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संबंध में ब्याज की राज्यवार स्वीकृत दरें 'रिपोर्ट आफ दी ऐक्सपर्ट ग्रुप आन स्टेट इनेक्टमेंट्स हैविंग ए बीयोरिंग आन कमर्शियल बैंक्स' के 10 वें अनुबन्ध में दी गई हैं। भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित यह एक समूल्य प्रकाशन है।

अनुबन्ध 10

ऋण देने से संबंधित कानून—जहाँ तक इसे बैंकों पर लागू किया जा सकता है तथा ब्याज की उल्लिखित दरें :

कानून	क्षेत्राधिकार से मुक्त बैंक	धारा	ब्याज की अधिकतम (साधारण प्रतिशत प्रति वर्ष) अनुमत दर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) ऋण दाता अधिनियम, 1349 फजल	बैंक कारी कम्पनी अधिनियम, 1949 में दिये गये बैंक, किसी अन्य कानून के अधीन रखे गये	(10)	6(*)	9(*)
2. आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) पान ब्रोकर्स अधिनियम, 1943	भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 में परिभाषित बैंक	(6)	$6\frac{1}{4}$-$9\frac{3}{8}$	—
3. आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) ऋण दाता विनियम, 1960	बैंक कारी कम्पनी अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंक	(7)	$6\frac{1}{4}$-$9\frac{3}{8}$ (वायदा ऋण) 9 (अन्य)	— 12
4. आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) ऋण दाता अधिनियम, 1957	बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	(7)	9	12
आसाम				
आसाम ऋणदाता अधिनियम, 1934	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक	(8)	$9\frac{3}{8}$	$12\frac{1}{2}$

* ब्याज के रूप में देय राशि पर साधारण ब्याज लिया जा सकता है किन्तु उसकी दर मूलधन पर ब्याज की आधी दर से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5
बिहार				
1. बिहार ऋणदाता अधिनियम, 1938 2. बिहार ऋणदाता (लेन-देन का विनियम) अधिनियम, 1939	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक	(5)	9	12
गुजरात/महाराष्ट्र				
बम्बई ऋण दाता अधिनियम, 1946	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंक, रिजर्व बैंक तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बैंककारी संस्थान	(25)	12	15
जम्मू और कश्मीर				
जम्मू और कश्मीर लेखा विनियम अधिनियम, 2001 (सम्वत्)	बैंक का कार्य कर रही कम्पनियों के रूप में परिभाषित बैंक		उल्लेख नहीं किया गया	
केरल				
केरल ऋण दाता अधिनियम, 1958	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंक	(7)	9	12
मध्य प्रदेश				
मध्य प्रदेश ऋण दाता अधिनियम, 1934	बैंक का कार्य कर रही कम्पनियों के रूप में परिभाषित बैंक तथा कम्पनियों से संबंधित किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बैंक		उल्लेख नहीं किया गया	

1	2	3	4	5
मैसूर				
मैसूर ऋणदाता अधिनियम, 1961	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचित सभी बैंककारी संस्थान	(28)	15	18
उड़ीसा				
1. उड़ीसा ऋण दाता अधिनियम, 1939	सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक	(9)	9	12
2. उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) ऋणदाता विनियम, 1967	बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 की व्याख्या के अनुसार बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया उसके सहकारी बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी वित्तीय संस्था	(7)	9	12
पंजाब/हरियाणा				
1. पंजाब लेखा विनियम अधिनियम, 1930 2. पंजाब ऋणदाता पंजीकरण अधिनियम, 1938	बैंक, जिसे बैंकिंग का कार्य करने वाली कम्पनी के रूप में निर्धारित किया गया हो और जो कम्पनियों संबंधी किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा संसद के किसी अधिनियम के द्वारा निगमित किया गया हो	उल्लेख नहीं किया गया		
राजस्थान				
1. राजस्थान ऋणदाता अधिनियम, 1963	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अन्तर्गत निर्देशित बैंक, इसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई भी बैंकिंग संस्था सम्मिलित है	(29)	9	12

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1. तमिलनाडु ऋणदाता अधिनियम, 1957	बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 की व्याख्या के अनुसार बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद भी इसमें सम्मिलित हैं			
2. तमिलनाडु साहूकार अधिनियम, 1943	बैंकिंग विनियम, अधिनियम, 1949 की धारा 5 की व्याख्या के अनुसार बैंक	(6)	$6\frac{1}{4}$·$9\frac{3}{8}$	—
उत्तर प्रदेश				
सूदखोर ऋण अधिनियम, 1918	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक	(3)	12	24
पश्चिम बंगाल				
बंगाल ऋणदाता अधिनियम, 1940	बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 की व्याख्या के अनुसार बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, उसके सहकारी बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी वित्तीय संस्था	(30)	10	$32\frac{1}{2}$

पर्यावरण दूषण

7701. **श्री राजदेव सिह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान संबंधी समिति के विशाखापतनम शाखा के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि पर्यावरण दूषण के लिए सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि काफी सीमा तक जिम्मेदार है क्योंकि सरकारी उद्योगों में प्रत्येक ही स्वामी है, जिम्मेदार कोई नहीं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, विशाखापत्तनम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान संबंधी समिति, विशाखापत्तनम के

अध्यक्ष डा० रामानधम ने 23 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुए बारहवें विश्व मौसम विज्ञान संबंधी दिवस के उत्सव में वायु दूषण पर बोला था परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वैसे, देश में वायु दूषण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए एक विधान बनाने का भारत सरकार का विचार है।

Expenditure on "Khas-Khas Tattis" in Government Department

7702. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on installing 'Khas-Khas Tattis' in the offices under the Central Government in Delhi every year during the last three years;

(b) whether these are manufactured on departmental or contract basis; and

(c) whether the said expenditure is borne by the department concerned or by his Ministry ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The information is being collected from various Ministries/Departments and shall be laid on the Table of the Sabha.

(c) The expenditure on 'Khas-Khas Tattis' is borne by the Department concerned.

Formation of Expert Committee for Setting up Factories to Produce Pre-fabricated Houses

7703. **Shri Nanjibhai Ravjibhai Vekaria** : Will the Minister of **Works and Housngi** be pleased to state :

(a) whether an Expert Committee has been formed for setting up factories to produce pre-fabricated houses; and

(b) if so, the terms of reference and the composition of the Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No. However, an Expert Committee to examine methods for achieving low cost large-scale housing construction in the major cities was appointed by Government on 22nd October, 1969. The Committee *inter alia* recommended the setting up of housing factories at Madras, Kanpur, Calcutta and Ahmedabad for producing pre-fabricated building components and a housing factory at Bombay for producing large panel prefabricated houses.

(b) A statement is attached.

Statement

(*i*) *Terms of reference of the Committee*

(a) To study the available building methods for achieving low-cost large-scale housing construction in the six cities of Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Ahmedabad and Kanpur;

(b) To suggest the methods, materials and techniques that will enable the achievement of a quicker pace of mass construction and securing, at the same time, as far as possible, a reduction in building costs in these cities, consistently with local conditions, availability of materials, trained and skilled manpower and other related factors;

(c) To work out the technical and financial details of foregoing methods, materials and techniques as recommended for adoption in each case;

(d) To indicate the requirements of training needed for the design and implementation of recommended building programmes;

(e) To identify the problem of research and development in promoting new building materials and techniques suited for adoption in low-cost, mass construction programmes; and

(f) To make recommendations on any other connected matters including the measures that may be useful in other large cities in the country.

(*ii*) *Composition of the Committee*

1. Dr. S. M. K. Chetty, Deputy Director, Central Building Research Institute, Roorkee.

2. Shri Z. George, Scientist, Structural Engineering (Regional) Research Centre, Madras.

3. Shri P. C. Khanna, Chief (Urban Development), Planning Commission, New Delhi.

4. Shri K. G. Salvi, Works Manager, Hindustan Housing Factory, New Delhi.

5. Shri G. C. Mathur, Convener, Joint Director (Design), N. B. O., New Delhi.

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रमों में सुधार

7704. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 50 करोड़ रुपये की राशि वाले द्रुत कार्यक्रम में पुनः सुधार किया गया है; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). ग्राम रोजागर की त्वरित योजना में किए गए संशोधनों की मुख्य बातें ये हैं :

(1) पैदा किए जाने वाले रोजगार की मात्रा का अनुमान 'श्रमदिनों' के रूप में लगाया जा रहा है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या के रूप में रोजगार का अनुमान लगाने में कठिनाइयाँ आ रही थीं।

(2) राज्यों को एक योजना के स्थान पर उसी प्रकार की दूसरी योजना आरम्भ करने की अनुमति दी गई है।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वर्ष 1971-72 के कार्यक्रम से दुगुना बड़ा कार्यक्रम तैयार करें और उसे कार्यान्वित करें, ताकि धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मन्दी के मौसम में भी कार्य निरंतरता में बाधा न पड़े। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अगले दो वर्षों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करें।

(4) प्रति जिला 12·50 लाख रु० का एक समान आबंटन करने के बजाय राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे जिलों में धनराशि का वितरण ऐसे ढंग से करें, जिसमें जिले में विद्यमान विशेष बातों और असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में लिया जा सकता हो।

(5) राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वे इस योजना के अन्तर्गत कुल परि-व्यय का 5 प्रतिशत भाग उतने अतिरिक्त क्षेत्र-कर्मचारियों को रखने के लिए व्यय करें जितने कि उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

(6) जिले के कुल आबंटन का कम से कम आधा भाग ऐसी योजनाओं पर व्यय किया जाना चाहिए जिनमें मजदूरी के आलावा अन्य मदों पर कुल लागत के 20 प्रतिशत भाग से अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन योजनाओं में मजदूरी के अलावा अन्य मदों पर कुल लागत के 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच व्यय करना आवश्यक होता है, वे जिले के कुल आबंटन के 50 प्रतिशत भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

(7) योजनायें मंज़ूर करने का अधिकार केवल उन योजनाओं के मामलों को छोड़कर राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया गया है, जो ग्रामीण गोदामों, समुदाय के कमजोर एवं गरीब वर्गों के लिए आवास बस्तियों और ऐसी अन्य योजनाओं, जो 1971-72 में आरम्भ नहीं की गई थीं, से संबंधित हों।

Incentive to Jute Producers

7705. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the maximum quantity of jute is produced in the Eastern and Northern regions of Bihar; and

(b) if so, whether Government propose to provide any incentive to the Jute producers of the area and if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Bihar accounts for about 25% to 30% of the total jute production of the country. 90% of the State's jute production is confined to North-Eastern Regions in the districts of Purnea and Saharsa.

(b) The Government of India are providing various incentives to jute growere under the Centrally Sponsored Schemes as detailed below :—

(1) *Special Package Programme on Jute* :

100% subsidy on cost of urea, low volume power sprayers, storage charges and transport and fuel for sprayers, and 50% subsidy on improved jute seed limited to Rs. 200/- per quintal of capsularis and Rs. 300/- per quintal of lolitorius variety.

(2) *Aerial Spraying of Urea* :

100% subsidy on cost of urea, operational charges and ground arrangements.

(3) *Quality Improvement* :

100% subsidy on community retting tanks and 50% subsidy on retting slabs and individual retting tanks.

In addition to the above, subsidy on the following items has been introduced under the Intensive Jute District Programme which has been taken up from 1972-73 :

(i) Subsidy of Rs. 25/- per hectere on irrigation charges.
(ii) 50% sudsidy on pesticides, weedicides and soil ameliorant.
(iii) 25% subsidy on custom service for mechanised cultivation.
(iv) 100% expenditure on provision of grading facilities.

मध्य प्रदेश में अपर्याप्त सिंचाई सुविधायें

7706. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण किसानों को छोटे बाँध बनाकर हर मौसम में पानी इकट्ठा करना पड़ता है ताकि भविष्य में उसे सिंचाई के काम में लाया जा सके; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन अस्थायी बाँधों को स्थायी बनाने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता ऋणों और अनुदानों के लिए इकट्ठी दी जाती है और इसका किसी विशेष कार्यक्रम या योजना से संबंध नहीं होता।

छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में कल्याण-कार्य

7707. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर (बिहार) के आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण-कार्य के लिए नियत धन का उपयोग केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शन में करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Assurance Given to 'Akhil Bhartiya Sarvdaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti' regarding banning Cow Slaughter

7708. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had given some written assurance to the 'Akhil Bhartiya Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti' in 1967 regarding banning cow slaughter;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Copy of a letter dated 3·2·67 sent by Government to the General Secretary of the Akhil Bhartiya Sarvdaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti and a copy of the statement sent along with this letter are annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—3082/72.]

(c) The Government of India have been urging such of the State Government as have not imposed a ban or imposed only a partial ban on the slaughter of cows to take steps for prohibiting the salaughter of cows and calves and other milch and draught cattle to secure an early compliance with Article 48 of the Constitution.

The Government of India have also appointed a Committee on Cow Protection to go, *interalia*, into all the question of imposing a total ban on the slaughter of cow and its progeny. The Committee is required to give its report by 31·3·73.

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा पंजाबी भाषा के अध्यापकों की सेवा का समाप्त किया जाना

7709. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए पंजाबी भाषा के अध्यापकों की सेवाओं को 30 अप्रैल, 1972 से समाप्त करने के अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम से स्थानान्तरित अध्यापकों की पदोन्नति से संबंधित स्थगन आदेश के कारण स्कूलों के प्राधानाचार्यों को प्राधिकृत किया गया था कि वे अल्पकालिक पदों को बिल्कुल अस्थाई आधार पर भर लें ताकि इन स्कूलों में अध्यापन कार्य पिछड़ न जाए। संबंधित अध्यापकों द्वारा ये नियुक्तियां इस स्पष्ट धारणा के साथ की गई थीं कि इनकी (तदर्थ अध्यापकों की) सेवाएं, जैसे ही शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त नियमित पदधारी अपना कार्यभार संभालते हैं अथवा दिनांक 30-4-1972 को, जो भी पहले हो, समाप्त कर दी जायेंगी। इन आदेशों के अनुसरण में पंजाबी के अध्यापकों सहित सभी वर्गों के ऐसे सभी पदधारियों की सेवाएं दिनांक 30-4-1972 को समाप्त हो जाती हैं। पंजाबी भाषा के अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए कोई अलग से विशेष आदेश जारी नहीं किये गये थे।

संयुक्त नौवहन सेवा स्थापित करने संबंधी चीन-श्रीलंका करार का प्रतिकूल प्रभाव

7710. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और चीन के बीच संयुक्त नौवहन सेवा स्थापित करने संबंधी हुए करार का हमारे नौवहन तथा जल सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). चूंकि लंका के विदेशी व्यापार का बहुत कम भाग भारतीय पोतों द्वारा ढोया जाता है, लंका और चीन के बीच हुए करार से न तो हमारे नौवहन पर ही अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और न ही हमारे क्षेत्रीय समुद्र पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Appointment of Graduate Engineers in Board of Apprentice Training, Kanpur

7711. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether some graduate engineers have been selected for appointment in the Board of Apprentice Training, Kanpur on a monthly stipend of Rs. 250/-;

(b) if so, whether all of them have since been appointed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir. 1999 engineering graduates were selected for one year's practical training in industry during the period 1st April, 1971 to 10th May, 1972.

(b) and (c). Only 1410 graduates joined. The rest were not interested in the training.

जोनपुर शहर में ऐतिहासिक-स्मारक

7712. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के जोनपुर नगर में 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक स्मारक बड़ी संख्या में हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो वाराणसी, जो कि पहले ही एक पर्यटक केन्द्र है, के सामीप्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस स्थान के पर्यावरण और इसकी प्राकृतिक छटा को विकसित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जोनपुर के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। पिछले वर्ष इस स्मारक की विशेष मरम्मत कर इसने 25,000 रु० खर्च किए थे और चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 रुपये की राशि निर्धारित की है। जहाँ तक उनके पर्यावरण संबंधी और प्राकृतिक अवस्थिति का संबंध है, फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण और पर्यटन विभाग दोनों ही देश के अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के विकास कार्यों में संलग्न हैं।

Short Supply of Fertilizer to Bihar During 1970-71

7713. **Shri Bibhauti Mishra** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Bihar received less of fertilizer during 1970-71 and up to 20th April, 1972 in comparison to other States; and

(b) if so, whether Government propose to distribute fertiliser on the basis of population ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) In 1970-71, Bihar's requirements of N. P. and K. fertilizers were supplied by the manufacturers and the Central Fertilizer Pool to the extent of 88%, which is more favourable than for some other States. In 1971-72, however, Bihar's requirements of N. P. and K. fertilizers were met by the manufacturers and the pool to the extent of 50%. There had been a shortfall in the domestic production of fertilizers in 1971-72 which came in the way of fulfilment of supply plans by manufacturers. Supplies from the Pool; uhowever, were to the extent of 65% of the effective demand on the Pool shortfall in s pply was largely due to transport bottlenecks in the eastern part of the country.

(b) The requirements of fertilizers for any given year are settled by discussion between the States and the Central Government's representatives, taking into account the past trends of fertilizer use and the agricultural programmes proposed for the year. Then, joint plans are made for supply in consultation with manufacturers of fertilizers in whose economic marketing zone the State is situated; the Central Government notes the deficit

which the manufacturers cannot supply and arrange for import of the fertilizers required to meet the gap.

There is no proposal to distribute fertilizers according to population.

राज्यों में खाद्य नियमों का क्रियान्वयन

7714. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने खाद्य अपमिश्रण को रोकने की दृष्टि से खाद्य नियमों का अधिक कड़ाई से पालन करने के बारे में राज्य के मुख्य मंत्रियों को लिखा है;

(ख) क्या मुख्य मंत्रियों ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने अथवा वर्तमान प्रयोगशालाओं में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सहायता की माँग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ। प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लगभग 3 साल पहले एक पत्र लिखा था।

(ख) जी हाँ, केन्द्रीय सहायता के लिए कुछ अनुरोध मिले हैं।

(ग) देश में खाद्य जाँच प्रयोगशालाओं के विस्तार और विकास की आवश्यकता को भारत सरकार मानती है। वैसे, यह विषय मुख्यत: राज्य सरकारों का है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए अभी तक कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

पश्चिमी रेलवे के सेवा-निवृत्त मुख्य इंजीनियर द्वारा कम लागत पर मकान बनाने की योजना तैयार करना

7715. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों की अत्यधिक कमी को हल करने के लिए, पश्चिमी रेलवे के सेवा निवृत्त मुख्य इंजीनियर, श्री एम० आर० वेंक्टारमन, द्वारा कम लागत पर मकान बनाने की एक योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या इस तरह की अन्य आवास योजनायें भी सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). जी हाँ । श्री वेंकटारमन ने निम्न लागत के निर्माण की तकनीक के बारे में सूचना उपलब्ध की है जो मुख्यत: पूर्व निर्मित कंक्रीट पोस्ट तथा बीम में जुड़े परिगुनाइटिड सीमेंट वाल तथा स्लैब पेनल के अनुरूप हैं । निम्न लागत की ऐसी निर्माण तकनीक पर प्राप्त सूचना की विस्तृत जाँच राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लागत, टिकाउपन तथा अन्य निष्पादन संबंधी विशेषताओं जैसे महत्वपूर्ण मानदण्डों के संदर्भ में की जाती है, तब यह राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा विभिन्न निर्माण अभिकरणों को प्रसारित की जाती है ताकि यदि तकनीक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो तो वे अपने निर्माण में तकनीक का उपयोग कर सकते हैं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के लिए चयन समिति

7716. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की प्रत्येक चयन समिति में अपेक्षित संख्या से अधिक विशेषज्ञ होते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख). बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय अधिनियमों के अधिनियम 27 के अनुसार 31 अक्तूबर, 1970 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से अनुमोदित, प्रोफेसर के पद को प्रवरण समिति अन्य बातों के साथ ऐसे तीन व्यक्तियों से कम से युक्त नहीं होगी जो न तो विश्वविद्यालय की सेवा करते होंगे अथवा कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे और जो उस विषय का विशेष ज्ञान रखते होंगे जिस विषय से नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबद्ध होगा । इसी प्रकार रीडर/लेक्चरर के पद के हेतु प्रवरण समिति में ऐसे कम से कम दो व्यक्ति होंगे । प्रवरण समिति में विशेषज्ञों की संख्या की व्यवस्था सुनम्य होने के कारण, अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का विश्वविद्यालय को अधिकार है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

7717. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को 11 अप्रैल, 1972 से पूर्व की अवधि के लिए, जबकि स्टाल 9·30 म० पू० से 6 म० प० तक खुले रहते थे, समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में श्री गाडगिल के आश्वासनों का पूरा किया जाना

7718. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री के० मालन्ना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों को सरकार ने इस बीच पूरी तरह से क्रियान्वित कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस आश्वासन के अन्तर्गत अभी तक कितने लोग पुनर्वास के पात्र हैं; और

(ग) क्या उनको शीघ्र ही बसाने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बसा दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) भूमि तथा विकास कार्यालय के नियन्त्रणाधीन भूमि पर बैठे 12 व्यक्ति गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र पाये गये हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1221 व्यक्तियों को (कुछ मामलों में प्रमाण अभी प्राप्त होने हैं) ऐसे ही लाभ के लिए पात्र पाया है ।

(ग) जहाँ तक भूमि तथा विकास कार्यालय का संबंध है, पंचकुई रोड पर सार्वजनिक भूमि पर बैठे एक व्यक्ति के दखल को नियमित किया गया है । शेष 11 व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए न्यू राजिन्दर नगर में 11 प्लाट विकासित किये जा रहे हैं । भूमि तथा विकास कार्यालय के नियन्त्रण के बाहर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैठे पात्र व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही है ।

Spurious Drugs

7719. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether spurious drugs are being sold in the country on a large scale;

(b) whether many cases in this regard are pending in courts;

(c) if so, the number of persons died on account of consuming spurious drugs and the number of persons arrested in this regard since 1969 upto date; and

(d) the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No.

(b) and (c). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(d) The following steps have been taken to combat manufacture and sale of substandard and spurious drugs :

(1) To eliminate unlicensed manufucturers of drags, who usually indulge in manufacture and sale of spurious drugs, are 'All-India List of Licensed Drug Manufacturers' has been printed and made freely avilable to all concerned at nominal price. This list is revised from time to time and copies of the revised list are circulated to State Drugs Control Organisations and to Associations of dealers in drugs.

(2) The Drugs and Cosmetics Act has been amended and the extent of penalty of one year's imprisonment for manufacture and sale of adulterated drugs and manufacture and sale without licence, has been raised from 3 to 10 years. Provision has also been made for the confiscation of equipment and implements employed for manufacture of such drugs as also the means of transport of such drugs.

(3) The States have been advised to maintain close liaison with the Police authorities for the campaign against spurious drugs to be carried on intensively.

(4) Whenever reports of spurious drugs are received by the Central Drugs Control Organisation and whenever a racket is supposed to be of Inter-State character, special precautions are taken to alert the States concerned and to advise them to take necessary action with the assistance of the State Police.

(5) The States have been requested to augment their Drugs Inspectorates and the testing facilities so that the scale of sampling is increased and quick test reports are obtained.

(6) Zonal Offices of the Central Drug Standards Control Organisation have been set up at Bombay, Calcutta, Madras and Ghaziabad to bring about a close liaison between the Central and State Organisations. One of the major functions of the Zonal Officers is to investigate the movement of spurious drugs, particularly in Intër-States commerce and to ensure that the standards of drugs moving in inter-State commerce are stringently observed. The Zonal Officers are assisted in their task by Central Drugs Inspectors who work in close liaison with the State Drugs Inspectors. The Central Inspectorate staff attached to the Zonal Offices is being augmented.

(7) The help and co-operation of Associations representing the interests of drug manufacturers and dealers are being enlisted to ensure maximum compliance with the Good manufacturing and sale practices and their co-operation in the campaign against spurious drugs is also being sought.

(8) A training programme for Drugs Inspectors and Government Analysts has been

arranged under the aegis of the Central Drug Standards Control Organisation. These training programmes will help in more stringent enforcement of Drug Standards Control.

(9) A constant liaison and dialogue with the State Drugs Control Organisations is maintained by the Central Drug Standards Control Organisation by holding meeting of the Drugs Consultative Commitee, meetings of the Zonal State Drugs Controllers and through discussions of the Zonal Officers with the State Drugs Control officials and by correspondence. This constant exchange of information helps coordination and intensification of quality control measures.

Scheme for Land Reforms put up by Central Land Reforms Committee Before Chief Ministers Conference

7720. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Land Reforms Committee had put forward any Scheme regarding land reforms in the Conference of the Chief Ministers;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the extent to which it has been approved ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). In August, 1971 the Central Land Reforms Committee made certain recommendations with a view to bring about a broad measure of uniformity in the ceiling laws of the different states. The main recommendations were that ceiling should be made applicable to the family as a whole; that where number of members in a family exceeds five, additional land may be allowed for each member in excess of five in such a manner that the total area admissible to the family does not exceed twice the ceiling limit for a family; that the ceiling for a family of five members may be fixed within the range of 10 to 18 acres of perennially irrigated land or land under assured irrigation from Government source capable of growing two crops; that for various other categories of land conversion ratios should be fixed taking into account the availability of water, productivity, soil classification, crops grown, etc; that the absolute ceiling for a family of five even in the case of dry land should be put at 54 acres which limit would, however, be relexable if there is special justification for doing so on account of the nature of soil, rainfall, chronic drought conditions etc; and that the exemptions under the existing State laws in favour of mechanised farms and well-managed farms should be withdrawn.

All these recommendations were accepted by the Government of India and on September 18, 1971. Minister of Agriculture wrote to all the Cheif Ministers requesting that necessary action be initiated to bring the State Ceiling Law in line with the recommendations of the Committee. Recently, Minister of Agriculture has again written to the Cheif Ministers suggesting that legislative measures be enacted during the Current Session of the State Legislatures.

With regard to other exemptions under the State ceiling laws the Committee recommended that the exemption in favour of plantations of tea, coffee, cardamon and rubber should be carefully examined in consultation with the concerned Ministries of the Government of India and that thereafter the necessity of continuing this and other types of exemptions should be discussed with the Chief Ministers in order to formulate the national policy.

The matter was accordingly examined in consultation with the Ministries of Finance and Foreign Trade and the Planning Commission. Thereafter it was discussed with the Chief Ministers on Friday, April 14, 1972.

The following concensus was arrived at in the meeting :

1. It was agreed that exemptions in favour of plantations of tea, coffee, rubber cardamom and cocoa should continue;

2. Lands held by the Bhoodan Yagya Committee, Cooperative Bank, Nationalised Bank, Central or State Governments and local bodies should continue to enjoy exemption. Similarly, land held by industrial or commercial undertakings for non-agricultural purposes should be exempted from the ceiling law;

3. In the case of registered cooperative farming societies it was agreed that exemption might be granted with the stipulation that while computing the ceiling area for a member his share in the cooperative society will be taken into account along with his other lands;

4. Lands held by Agicultural Universities, Agricultural Colleges, Agricultural Schools and Research Institutions should be exempted from the ceiling law;

5. There was a good deal of discussion about exemptions in favour of lands owned by religious, educational or charitable trusts, lands granted to members of the armed forces for acts of gallantry and lands covered by orchards.

   Regarding religious, educational or charitable trusts it was agreed that only genuine trusts of a public nature deserved special treatment. They may be either granted annunity or some other suitable arrangement may be made in order to ensure that the objectives for which the trusts were created are not frustrated. Regarding awards for gallantry it was agreed that lands covered by grants made since Independence should be exempted. The question of continuing to exempt grants made prior to Indenpendence will be examined further. About orchards the general concensus was that the ceiling limit of a person who owned orchards, whether or not in addition to ohter land, may be increased by 2 hectares or the actual area of the land comprised in orchards, whichever is less. Some Chief Ministers thought that there might be higher relaxation by computing the area under orchards as for dry lands. The State Governments which have serious difficulties in enforcing the ceiling in respect of orchards will individually discuss the matter further with the Government of India.

6. It was agreed that all other exemptions should be withdrawn.

   Meanwhile a point for consideration arose whether lands perennially irrigated or getting irrigation for two crops from private sources should be equated with land getting such irrigation from public sources. The Central Land Reforms Committee met on 8th and 9th May, 1972 to consider this issue. At the meeting held on 9th May, 1972 it was decided that a decision should be taken after consulting all the Chief Ministers.

संसद सदस्यों के क्वार्टरों में परिवर्धन और परिवर्तन

7721. **श्री विभूति मिश्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के रिहायशी बंगलों में परिवर्धन और परिवर्तन मितव्ययता को ध्यान में रखे बिना ही किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संसद सदस्यों के परिवर्धन और परिवर्तन की आवश्यक माँगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किया जाता है;

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थापत्य और अन्य कारणों के आधार पर संसद सदस्य की माँग को अस्वीकृत कर दिया जाता है; और

(घ) क्या संसद सदस्यों को सुविधायें देने के लिए उनकी माँगों को मानने पर सरकार विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). संसद सदस्यों के बंगलों में परिवर्धनों/परिवर्तनों के अनुरोधों पर सहानुभूति से विचार किया जाता है, बशर्ते कि निर्माण कार्य संबंधित आवास समितियों द्वारा अनुमोदित किये जायें, वे तकनीकी तौर पर व्यवहार्य हों, वास्तुकों तथा स्थानीय निकाय द्वारा प्लानों का अनुमोदन हो तथा संसद सदस्य निर्माण के लिए अतिरिक्त किराया अदा करने पर सहमत हों । तथापि, 18 नवम्बर, 1971 से मितव्ययता के उपाय के रूप में सरकार द्वारा रिहायशी तथा गैर-रिहायशी दोनों भवनों में सभी प्रकार के परिवर्धनों/परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । हाल ही में सरकार ने अनिवार्य प्रकार के निर्माणों के बारे में प्रतिबंध में ढील दे दी है । ऐसे निर्माण कार्य पूर्व लिखित शर्तों पर अब स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष द्वारा माँगा गया यात्रा भत्ता

7722. **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री समर गुह :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष ने एक ही यात्रा के लिए दो सरकारी संस्थानों से यात्रा भत्ते की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निदेशक द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभागाध्यक्ष की एक ही यात्रा के लिए दो स्रोतों से यात्रा भत्ता माँगने की शिकायत मिली है । संस्थान इस मामले की जाँच कर रहा है ।

Charter of Ship for Exporting and Importing Goods

7723. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of the countries whose ships were chartered by India during 1970 for exporting and importing goods;

(b) the tonnage of goods carried in their ships during the period; and

(c) the tonnage of goods exported and imported through Indian ships by the said countries for their trade ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3083/72.]

Postponement of National Diploma Examination in Arts

7724. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Controller of Examination, All India Council for Technical Education has postponed the National Diploma Examinations in Arts to next July, as reported in the 'Navbharat Times' of 27th April, 1972;

(b) whether the said examinations were to commence from 27th April, 1972; and

(c) if so, the reasons thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) There was a strike by students in the College of Art, Delhi in February and March, 1972 and the normal work of the college was disrupted. A large number of students requested that the examinations should be postponed by two months to enable them to complete the courses. This request was considered and accepted by the Examination Committee of the All India Council for Technical Education.

परिवार नियोजन के लिए यूरिया प्लाज्मा

7725. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के डा० प्रमोद दास गुप्ता, डी० एस-सी० ने प्रभावी परिवार नियोजन के लिए यूरिया प्लाज्मा के प्रयोग पर सफल अनुसंधान कार्य किया था और यूरिया प्लाज्मा परिवार नियोजन के लिए परीक्षण के तौर पर प्रभावी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस खोज का उपयोग करने तथा इस पद्धति

में आगे अनुसंधान कार्य करने के लिए उनको अनुसंधान संबंधी सुविधायें देने तथा अन्य औषधि संबंधी कार्यों में यूरिया प्लाज्मा का उपयोग करने का है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या डा० पी० दास गुप्ता की खोज की सराहना करने तथा इस अनुसंधान कार्य में उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान में, जहाँ डा० पी० दास गुप्ता एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यूरिया के प्रभावशाली तत्व वाला एक गर्भनिरोधक (सैन्टस्क्वेयर) तैयार किया गया है।

(ख) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने सैन्टस्क्वेयर पर क्लीनिकी परीक्षण पूरे कर लिये हैं और संस्थान औषधि नियंत्रक (भारत) को स्वीकृति के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

(ग) इस संस्थान को सरकार से प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली की सिफारिशों पर सराहनीय अनुसंधान कार्य के लिए व्यक्तियों को पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं।

निर्माण कार्य करने वाली फर्मों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए एक निगम

7726. **श्री डी० के० पंडा : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निगम अथवा एक बोर्ड की स्थापना करके ठेके पर निर्माण कार्य करने वाली सभी फर्मों के सीधे सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मजदूरों का शोषण करके ठेके पर निर्माण कार्य करने वाली गैर-सरकारी फर्में बहुत बड़े लाभ कमा रही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह कहना संभव नहीं है कि निजी ठेकेदार कितना बड़ा लाभ उठा रहे हैं। तथापि, ठेकेदार द्वारा सरकारी निर्माण-कार्यों पर लगाये गये मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने मजदूरों को उचित मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, श्रम-अधिकारियों की नियुक्ति की है।

त्रिपुरा में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

7727. **श्री दशरथ देव : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या त्रिपुरा में भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने सदर तथा धर्म नगर उपमंडलों में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विधिवत भू-जल विज्ञान संबंधी जाँच पड़ताल की है । जल का स्तर भूतल से औसतन 5 से 6 मीटर नीचे है । कणात्मक क्षेत्र 100 मीटर से नीचे विभिन्न गहराइयों पर है और 6 मीटर के "ड्रौडाउन" पर जल की निकासी 45,000 से 68,000 लिटर प्रति घंटा है ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने त्रिपुरा में भूमिगत जल समन्वेषण 1971 में प्रारम्भ किया था । नवापारा में एक बोरहोल 252 मीटर की गहराई तक किया गया था । रासायनिक गुणों की जाँच के लिये पृथक-पृथक क्षेत्रों का अलग-अलग परीक्षण किया गया और उनमें लौह ताप की अधिक मात्रा पायी गयी । इस कार्य के दौरान ड्रीलिंग रिगों को हटाकर आपातकालीन आधार पर त्रिपुरा में ही बंगला देश के शरणार्थियों के लिये कुवें खोदने के लिये लगाना पड़ा । 11,000 से 18,000 गैलन प्रति घंटे की निकासी क्षमता वाले तीन कुयें तैयार किये गये । केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 1972-73 की अवधि में भी अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा ।

राज्यों द्वारा समाज कल्याण परियोजनाओं की उपेक्षा

7728. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को यह पता लगा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में राज्यों ने गैर-परियोजना व्यय में भारी वृद्धि के कारण समाज कल्याण परियोजनाओं की उपेक्षा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

योजना आयोग ने योजना के राज्य क्षेत्र में समाज कल्याण योजनाओं का मूल्यांक करते समय, गैर-प्लान व्यय पर विचार नहीं किया है तो भी, उन्होंने समाज कल्याण पर व्यय की प्रगति में हुई शिथिलता को नोट कर लिया है ।

नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई को नकली घड़ियों के परिणामस्वरूप हानि

7729. **श्री प्रवीन सिंह सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से उपभोक्ता सहकारी स्टोरों से हाल ही में यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उन्हें नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड से नकली घड़ियाँ मिली थीं;

(ख) क्या फेडरेशन की बम्बई शाखा ने यह घड़ियाँ समुचित छानबीन और निरीक्षण के पश्चात स्थानीय सीमाशुल्क कार्यालय से प्राप्त की थीं; यदि हाँ, तो कितनी घड़ियाँ नकली पाई गईं और उनका पुस्तक-मूल्य क्या था; और

(ग) रद्द घड़ियों को बट्टे पर बेचने के कारण फेडरेशन को कितनी हानि हुई और क्या इस हानि और धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायित्व नियत करने हेतु कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ। इस संबंध में 1970 और 1971 में कुछ उपभोक्ता सहकारी समितियों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिसम्बर, 1969 और फरवरी, 1970 के बीच ली गई कुछ घड़ियों, यद्यपि वे आयात की हुई थीं, में उनके केसिस पर दिए गए ब्रैन्ड से भिन्न ब्रैन्ड की मशीनरी पाई गई थी और वे घटिया किस्म की थीं।

(ख) ये घड़ियाँ फेडरेशन की बम्बई शाखा ने स्थानीय कस्टम कार्यालय से इस बात की जाँच करने के बाद ली थीं कि वे चालू हालत में हैं।

उन घड़ियों की कुल संख्या, जिनके अन्दर उनके केसिस पर लिखे ब्रैन्ड से भिन्न ब्रैन्ड की मशीनरी थी, 286 थी और उनका पुस्तक-मूल्य 26,500 रु० था।

(ग) इस प्रकार की 106 घड़ियों को बेचने पर फेडरेशन को 1912 रु० की हानि हुई थी, जो कि खरीदने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त छूट के रूप में दिए गए थे। शेष 180 घड़ियों को बेचने से रोक दिया गया है और उन्हें कस्टम को वापस करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखा गया है।

फेडरेशन को जब्त की गई वस्तुएँ कस्टम से बिना चुने लेनी होती हैं; केवल उन्हें ही छोड़ा जा सकता है जो खराब हैं और इसलिए बिक्री योग्य नहीं हैं। इन परिस्थितियों में हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता है। अब फेडरेशन ने संदेहपूर्ण मामलों में घड़ियों की मशीनरी की जाँच मैकैनिकों से कराने की व्यवस्था की है।

कलकत्ता पत्तन पर नमक की ढुलाई में परिवहन-कठिनाइयाँ

7730. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट के पत्तनों से कलकत्ता भेजा गया नमक परिवहन संबंधी बढ़ती कठिनाइयों के कारण वहाँ रुका पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कठिनाइयाँ क्या हैं; और

(ग) इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पश्चिमी तटीय पत्तनों से कलकत्ता को नमक भेजने में, भारत-पाक युद्ध तथा आवश्यक माल, जिसमें बंगला देश को खाद्यान्न शामिल हैं, ढोने के लिए तटीय जहाजों के विशाखन के कारण कुछ कठिनाई उठानी पड़ी है।

(ग) जनवरी-अप्रैल, 1972 के बीच लगभग 21,000 टन नमक पहले ही पश्चिम तटीय पत्तनों से पूर्वी तट को ढोया जा चुका है। हमारे तटीय जहाजों की कमी का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने पश्चिम तटीय पत्तनों तथा कलकत्ता के बीच व्यापार जिसमें नमक भी शामिल है, की तटवर्ती आवागमन के लिए भारतीय बेड़े की अभिपूर्ति करने के लिए पाँच विदेशी ध्वज पोतों को 6 महीने की अवधि के लिए भाटकित करने की अनुमति दे दी है।

Setting up of Soyabeen Plant by F. C. I.

7731. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India have decided to set up a soyabeen plant in the country; and

(b) if so, the names of the places suggested by the State Government to the Central Government for setting up the said plant and whether any application in this regard has also been received from the Government of Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Rajasthan suggested Bharatpur, Alwar and Sawai Madhopur as possible locations. The Development Corporation of Vidharbha suggested that it might be located in Vidarbha area of Maharashtra State. Governments of Haryana and Uttar Pradesh suggested that the plant might be located in any suitable area in their respective States. After examining these suggestions and taking into consideration the merits of each of these locations, the Food Corporation has decided to locate the plant at Faridabad in Haryana.

Board for Development of Delhi

7732. **Shri Ram Chandra Vikal** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether any new Board comprising of the representatives of Uttar Pradesh, Haryana and Delhi is being set up for the development of Delhi; and

(b) if so, the names of the members of the Board and its functions ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shis I. K. Gujral) : (a) and (b.) It is proposed to set up a Statutory Board, consisting of the representatives of the Central Government and Governments of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, to coordinate the work of preparation and implementation of a development plan for the National Capital Region. No decision has yet been taken in the matter.

पिछड़े वर्गों की सूची में लम्बाड़ियों समुदाय को शामिल करना

7733. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लम्बाड़ियों (सुगाड़ियों) के समुदाय से उनके समुदाय को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि यह समुदाय इसी राज्य के आंध्र क्षेत्र की पिछड़ी जातियों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। अलबत्ता इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लम्बाडी (सुगाली) समुदाय को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल कर लिया जाए।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित विधेयक को फिर से प्रस्तुत किए जाने पर सरकार की प्रतिक्रिया का संकेत दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (कोलयरी) के मोखा बाजार को पीने के पानी की सप्लाई

7734. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान (कोलियरी) की पानी सप्लाई व्यवस्था से राष्ट्रीय कोयला निगम कोलियरी के मोखा बाजार को पीने के पानी की सप्लाई करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Check on Exploitation of Agricultural Labourers

7735. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by Prime Minister at a meeting of Asian Trade Unionist held in New Delhi on the 24th April, 1972 that

they should make special effort to identify themselves with the aspiration of the poorer sections of the people, particularly the agriculturists and fight for the rights of all who were exploited; and

(b) if so, the programme chalked out in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture(Shri Jagannath Pahadia): (a) and (b). The Prime Minister in her address at the Asian Trade Union Seminar on 24th April, 1972 exhorted the trade unions to make special effort to identify themselves with the aspirations of the poorer sections and to fight for the rights of all who are exploited. No specific programme has been chalked out for this by Government as the appeal is to the trade-unionists themselves.

तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिये रूसी सहायता

7736. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए हाल में रूस सरकार ने सहायता दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तकनीकी सहायता का स्वरूप क्या है;

(ग) इसका किस क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा; और

(घ) इससे कितना लाभ होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). भारत सरकार और सोवियत रूस की सरकार के साथ 10 दिसम्बर, 1966 को हस्ताक्षरित एक करार में रूस की सरकार तकनीकी शिक्षा की विशेष परियोजनाओं सहित चौथी योजना की परियोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए दीर्घकालीन रूबल ऋण देगी। रूबल ऋण द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा की परियोजनाएँ हैं :

(क) वैमानिकी धातु विज्ञान, भू-भौतिकी और इलैक्ट्रोनिकी और स्वचलन संबंधी अनुसंधान और उच्च अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना।

(ख) धातु विज्ञान, भारी इन्जीनियरी, विद्युत यंत्र निर्माण, तेल और गैस उद्योग, यांत्रिक यंत्र निर्माण और रेडियो इलैक्ट्रोनिकी और ऊर्जा संबंधी विशेष तकनीकी पाठ्यक्रमों का उद्योग के सहयोग द्वारा विकास। रूबल ऋण को विशेष वैज्ञानिक उपकरणों के आयात, रूस में भारतीय अध्यापकों के प्रशिक्षण और रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं का उपलब्ध करने के हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। यह परियोजनाएं अध्यापन अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन कार्य के हेतु विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करेंगी।

Institute for Teaching German Language

7737. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the German Democratic Republic propose to set up an Institute in this country for imparting education in German language; and

(b) if so, whether there is also a proposal under consideration to set up such an institute in each State so that the students of each State may have the facility to learn German language conveniently ?

The Deputy Minister of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir. However, the Government of India are considering a proposal for setting up a Department of German in the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, in collaboration with the German Democratic Republic. The principal function of this Department will be to train Indian teachers of the German language.

(b) There is no such proposal. However; the proposed Department of German at the Central Institute of English and Foreign Languages is expected through training of teachers to benefit intitutions teaching German language in the various States and thus provide improved facilities to the students for learning the language.

शिक्षा मंत्रालय में भवन अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं

7738. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हीं स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को उनके मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुए हैं जिनकी शाखायें समस्त भारत में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, भवन अनुदान प्राप्त हुये हैं;

(ग) इन संस्थाओं के मुख्यालय किन-किन स्थानों पर हैं; इनकी शाखाओं की संख्या कितनी कितनी है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ये शाखायें स्थित हैं;

(घ) क्या इस वर्ष ऐसी संस्थाओं से विचार करने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितने आवेदन-पत्र आये, उनमें से कितनों पर विचार किया गया तथा अनुदान दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों को छोड़कर नृत्य, नाटक, संगीत, ललित-कलाओं, भारतीय विद्या और साहित्य के सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों/संस्थाओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं । संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किये गये आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 30 जून, 1972 है ।

Supply of Uniform to Students of N. D. M. C. Schools

7739. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether uniforms are supplied free of cost by the New Delhi Municipal Committee to the children of the persons drawing a salary of less then Rs. 300 per month studying in the primary schools run by it; and

(b) if so, whether Government propose to introduce uniform type of clothes for all the students of the schools from the next academic session (July, 1972) and children of all the parents/guardians drawing more than Rs. 300 per month be supplied with the same cloth at fair prices which is supplied free of cost to the children of the guardians drawing less than Rs. 300 per month by the said Municipal Committee so that conciousness does not develop among the children ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, the New Delhi Municipal Committee has decided to ask all other children in its schools to adopt the same pattern of uniform within 6 months. They have no proposal to supply cloth at fair price shops. The cloth is purchased from Delhi Cloth Mills who have their retail fair price depots all over Delhi.

कलकत्ता महानगर विकास एजेंसी के लिए वित्तीय सहायता

7740. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर विकास एजेंसी को केन्द्रीय सरकार ने अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) एजेंसी द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता महानगर विकास को अब तक कुल निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :—

1970-71	रुपये करोड़ों में
(i) राज्य योजना के बाहर कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार के खर्च के लिए नकद ऋण	2·87
(ii) राज्य योजना के बाहर कलकत्ता बस्ती सुधार योजना के लिए नकद अनुदान	1·50
	4·37

1971-72	रुपये करोड़ों में
(i) योजना के बाहर कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार कार्यक्रम के खर्च के लिए नकद ऋण	4·00
(ii) योजना के बाहर कलकता बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए नकद अनुमान	3·00
	7·00

भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता के अलावा 1970-71 और 1971-72 में राज्य योजना परिव्यय में से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार को क्रमश: 7·96 करोड़ रुपये तथा 9·54 करोड़ रुपये की रकम और दी गई। राज्य योजना में से किये जाने वाले नियमनों में कुछ अंश केन्द्रीय सहायता का भी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3084/72**]

वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए कानून

7741. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिये कानून बनाने का विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्य-वाही की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) विधेयक का मसौदा संघ सरकार के विधि विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। मसौदे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अत: उसकी मुख्य बातों के विषय में कुछ कहना अभी संभव नहीं है।

संविधान के अनुसार वन्य प्राणि राज्य सूची का विषय है अत: राज्य सरकारों से अनुरोध

किया गया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अधीन संकल्प पारित करें ताकि संसद विधेयक पर विचार कर सके।

चांदीपुर, उड़ीसा के समुद्रतटीय विश्राम स्थल को जाने वाली पृथक सड़क के लिए प्रस्ताव

7742. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बालासोर उड़ीसा में चांदीपुर में समुद्र को देखने जाने वाले पर्यटकों को समुद्र-तटीय विश्राम स्थल तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पर प्रतिरक्षा डिपो के कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती है; और

(ख) क्या समुद्रतटीय विश्राम स्थल तक एक पृथक सड़क बनाने का सरकार का कोई विचार है और यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). इस संबंध में भारत सरकार को अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, न ही उनके पास अलग सड़क निर्माण करने का कोई प्रस्ताव ही है।

Consultative Committee for the Department of Company Affairs

7743. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Consultative Committee has been constituted for the Department of Company Affairs;

(b) if so, the date of its constitution and the names of its members ?

(c) whether the term of the said Committee expired on the 31st July, 1971 and if so, the number of meetings held by the Committee during its tenure along with the details of the work done by it; and

(d) the total expenditure incurred by Government thereon ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) The Consultative Committee for the Department of Company Affairs was constituted on 1st of January, 1972 for the first time. A list of Members of the Consultative Committee for the Department of Company Affairs is enclosed.

(c) and (d). Do not arise, in view of the reply to part (b).

Statement

List of Members of the Consultative Committee for the Department of Company Affairs

Shri R. V. Raghunatha Reddy, Minister of Company Affairs —*Chairman*

Shri Bedabrata Barua, Deputy Minister for Company Affairs

Lok Sabha

1. Shri S. B. Thakre
2. Shri D. Kamakshaiah
3. Shri Umed Singh Rathia
4. Shri Tula Ram
5. Shri S. N. Misra
6. Shri Jagannath Mishra
7. Shri K. Ramkrishna Reddy
8. Shri Somnath Chatterjee
9. Shri S. M. Banerjee
10. Shri Mohanraj Kalingarayar
11. Shri C. C. Desai

Rajya Sabha

*12. Shri Arjun Arora
13. Shri B. P. Singh
14. Miss Sushila Mansukhlal Desai
15. Shri Rattan Lal Jain

*Since retired

Shri B. Shankaranand, Deputy Minister Incharge Consultative Committees—Ex-officio Member.

Preparation of Text Books With New Terminology

7744. **Shri Pratap Singh Negi** : Wiil the Minister of **Education and Social Welfsre** be pleased to state :

(a) the number of text-books at the university level prepared so far in which new terminology has been used;

(b) the names of the universities and colleges where subjects are being taught through books mentioned above alongwith the number of such subjects;

(c) whether these books are being accepted by all the educational institutions without any controversy; and

(d) the number of copies of books referred to in above alongwith their names supplied to educational institutions so far free of cost or with cost ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Key-Board of Hindi Typewriter

7745. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the new key-board of Hindi typewriter approved by Government has not been accepted unquestionably everywhere;

(b) whether there are certain defects in the 'type face' of the Key-Board of the Hindi typewriter as well and if so, the action being taken to devise a new type-face; and

(c) whether typing on new type key-board can be done at comparatively low speed and if so, the action being taken to bring about improvement in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b). No complaints specifically about the Hindi typewriter with the Key-board approved by Government in 1969 have been received. However, certain defects in some of the Hindi typewriters currently in use have been brought to the notice of Government.

(c) Typing speed does not entirely depend upon a particular model or machine but on the skill and proficiency of the operator. The defects brought to the notice of Government as mentioned above are being looked into.

गैर छात्र युवकों का कल्याण कार्य

7746. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के दौरान गैर छात्र युवकों के कल्याण कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी व्यय की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : गैर विद्यार्थी युवकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चौथी योजना में कुल 5 करोड़ रुपए के परिव्यय पर विचार किया गया है। इस व्यवस्था के बदले में इस कार्य के अंतर्गत अब तक किया गया वास्तविक व्यय 5,80,412 रुपए 40 पैसे है।

Distribution of Cultivable Land in M. P. to Harijans And Adivasis

7747. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in Madhya Pradesh allotted to landless persons Harijans and Abivasis during the last two years with a view to increasing agricultural production; and

(b) the estimated number of persons in the State at present who do not own cultivable land ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the table of the House, when received.

Allotment of Cultivable Land in Tamil Nadu to Harijans and Landless Persons

7748. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of the cultivable land in Tamil Nadu at present which can be cultivated but has not been allotted according to the survey conducted by the Central or State Government;

(b) whether Government have Scheme under consideration for distribution of the cultivable land among the landless persons and Harijans with a view to increasing agricultural production; and

(c) if so, the main features thereof and the directives proposed to be issued by the Central Government to the State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the table of the House, when received.

Allotment of Cultivable Land in Haryana Utilised to Harijans and Landless Persons

7749. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in Haryana at present which can be cultivated but has not been allotted according to the survey conducted by the Central or State Government;

(b) whether Government have any Scheme under consideration for distribution of cultivable land among the landless persons and Harijans with a view to increasing agricultural production; and

(c) if so, the main features thereof and the directives proposed to be issued by the Central Government to State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the table of the House, when received.

Allotment of Cultivable Land in Orissa to Harijans and Landless Persons

7750. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in Orissa at present which can be cultivated but which has not been allotted according to the survey conducted by the Central Government or the State Government;

(b) whether Government have under consideration any Scheme to distribute cultivable land among landless persons and Harijans with a view to increasing agricultural production; and

(c) if so, the main features thereof and the directives proposed to be issued by the Central Government to State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the table of the House, when received.

Allotment of Cultivable Land in West Bengal to Harijans and Landless Persons

7751. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in West Bengal at present which can be cultivated but which has not been allotted according to the survey conducted by Central Government or the State Government;

(b) whether Government have under consideration any scheme to distribute cultivable land among landless persons and Harijans with a view to increasing agricultural production; and

(c) if so, the main features thereof and the directives proposed to be issued by the Central Government or the State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the table of the House, when received.

त्रिपुरा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मकानों के लिए सुविधा

7752. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में त्रिपुरा के आदिवासियों को मकानों के निर्माण के लिये किसी सुविधा की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) अनुदान तथा ऋण के रूप में प्रत्येक परिवार को न्यूनतम और अधिकतम कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 0·30 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और उनका उपयोग किया गया था।

(ग) 300 रुपए प्रति परिवार की दर से अनुदान दिया गया था। ऋण के रूप में कोई धनराशि नहीं दी गई थी।

Colonies for Freedom Fighters in States

7753. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether thousands of freedom fighters in the country do not have any residential accommodation;

(b) if so, whether the Chief Minister of U. P. has recently given an assurance to canstruct a freedom fighters colony in U. P. for such persons;

(c) whether Government realise the necessity of constructing such colonies in all the States; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No data are available in the Ministry.

(b) This Ministry have no information on the subject.

(c) and (d). The matter concerns the States Governments.

Ban on Private Practice by Doctors

7754. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a demand is being made to impose a ban on private practice resorted to by Doctors in various parts of the country;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to enact any Central legislation in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No. As regards persons appointed to the Central Health Service, there is already provision prohibiting them from doing private practice of any kind whatsoever including consultant and laboratory practice. They are entitled to a non-practising allowance at the rates indicated below :

Class I officers — 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600/- p. m.

Class II officers — $33\frac{1}{3}$% of pay subject to a minimum of Rs. 150/- p. m.

If any violation of this condition is found, action may be taken against the defaulting person under the Government Service Conduct Rules. No central legislation is therefore proposed in this regard, especially as 'Health' is a State subject. However, the State Government have been requested to follow this practice in respect of their officers.

Financial Assistance to Cultural Institutions

7755. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the criteria adopted for providing assistance to the Cultural Iustitutions for propagation and development of art; and

(b) the names of the Cultural Institutions which received assistance from the Government and the amount received by each during 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Department of Culture and the two National Akademies *viz*. Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi administer a few schemes for giving financial assistance to Cultural Institutions all over the Country. The criteria adopted for giving financial assistance to Cultural Institution under each of the schemes are given in the statement attached. (Annexure I) [*Placed in the Library. Please See* No. L. T.—3085/72.]

(b) A list of the Institutions indicating the amount of assistance given to each during 1971-72 is attached. (Annexure II) [*Placed in the Library. Please See* No. L. T.—3085/72.]

Homoeopathic Contraceptive Drug

7756. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a Homoeopathic doctor of Bhopal has developed a contraceptive drug on the basis of a Homoeopathic formula which is cheap and effective; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). A homoeopatic practitioner of Bhopal has claimed to have developed a homoeopathic formula which can be used by women for contraceptive purposes. He had stated that he has experimented on about 50 women and claims 100% success. As no details of the formula, mode of action, experimentation, duration, etc., are furnished, nothing can be said about its efficacy.

उड़ीसा में परिवार नियोजन कार्य

7757. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नसबन्दी के लिये 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के बूढ़े व्यक्तियों को परिवार नियोजन केन्द्र में लाया गया है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अवयस्क लड़कों की भी नसबन्दी की गई है; और

(ग) क्या उड़ीसा में सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य एजेंसी परिवार नियोजन का कार्य कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बालासौर जिले में फसल की क्षति

7758. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में बालासौर जिले (उड़ीसा) में फसल को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) इसके लिये राहत प्रदान करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के बालासौर जिले में उठाऊ सिंचाई के अधीन भूमि

7759. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासौर जिले, उड़ीसा में कितनी भूमि में उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था है जिससे कृषि उत्पादन में सहायता मिल रही है; और

(ख) इसको कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

युवा पीढ़ी में धूम्रपान की प्रवृत्ति

7760. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतया युवा पीढ़ी तथा कालेज के छात्रों में धूम्रपान करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और सरकार

ने धूम्र-पान की बुरी प्रवृत्ति के परिणामों संबंधी पुस्तकों आदि के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, राज्य सरकारों को लिख दिया गया है और उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि सुधार नीति में विलम्ब का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

7761. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार नीति में विलम्ब होने से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). संविधान के अन्तर्गत भूमि सुधार राज्य का विषय है और कानून बनाने तथा उसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। फिर भी, सामाजिक, आर्थिक और कृषि विकास के लिए अनुकूलतम संस्थागत ढाँचे का विकास करने की दृष्टि से भूमि सुधारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भूमि सुधारों के प्रस्तावों को पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया है। स्थानीय परिस्थितियाँ और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश रखते हुये राष्ट्रीय योजना के अंग के रूप में एक मूलभूत नीति का निर्धारण किया गया।

भूमि सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुचित प्रगति हुई है;

बिचौलिए पट्टेदारों का उन्मूलन : जमींदार, जागीरदार और इनाम जैसे बिचौलिए पट्टेदारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है जोकि लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में थे। केवल कुछ छोटे बिचौलिए पट्टेदार अभी भी शेष हैं और उनको भी समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं; बिचौलिए पट्टेदारों को समाप्त करने के फलस्वरूप 200 लाख आसामियों को राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में लाया गया है।

पट्टे की सुरक्षा : कई राज्यों में आसामियों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करने तथा उनको राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में लाने और स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। परिणामस्वरूप 30 लाख आसामियों और बटाईदारों को लगभग 30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

लगान का नियंत्रण : अधिकतर राज्यों में लगान को नियमित करने की व्यवस्था अपना ली गयी है। फिर भी, आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब जम्मू और कश्मीर (छोटी जोतों के आसामियों के बारे में) और तमिलनाडु में भूस्वामियों को दिया जाने वाला लगान अभी

भी अधिक है । राज्य सरकारों से उन्हें योजना में सिफारिश किये गये स्तर पर लाने का अनुरोध किया गया है ।

भू जोतों की उच्चतम सीमा : कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये भी प्राय: समस्त राज्यों में कानून बना लिये गये हैं । उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लगभग 10 लाख भूमि अधिशेष घोषित कर दी गई है और इसका लगभग आधा भाग भूमिहीन काश्तकारों और छोटी जोत वाले कृषकों में वितरित कर दिया गया है ।

कृषि योग्य परती भूमि का वितरण : अधिकतम सीमा के लागू होने से उपलब्ध होने वाली अधिशेष भूमि के वितरण के अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने आय विभागों या गाँव सभाओं के माध्यम से कृषि योग्य परती भूमि का सामान्य रीति से वितरण कर रही हैं । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी तक 57 लाख हैक्टेयर परती भूमि वितरित की गई है । राज्य सरकारों से समस्त उपलब्ध भूमि को शीघ्रता से वितरित करने का अनुरोध किया गया है ।

जोतों की चकबन्दी : कई राज्यों में जोतों की चकबंदी की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1969 तक लगभग 340 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी थी । पंजाब और हरियाणा में कार्य पूरा हो गया है । उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र ने अच्छी प्रगति की है । फिर भी आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में अभी आवश्यक कानून बनाया जाना है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जन जातियों द्वारा अधिकृत भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध : कई राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने की भी व्यवस्था की गई है ।

भूमि सुधारों को शीघ्रता से लागू करने के लिए कदम :

भूमि सुधारों की समस्या और प्रगति के बारे में नवम्बर, 1969 और सितम्बर, 1970 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था । वर्ष 1969 के सम्मेलन में कृषि की नई नीति के संदर्भ में भूमि संबंधी नीति के नवीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया था ।

सितम्बर, 1970 में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, भूमि संबंधी नीति में अपेक्षित परिवर्तनों को स्पष्ट करने तथा विशेषकर अधिकतम सीमा को कम करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से अधिकतम सीमा उपबन्धों को अधिक प्रभावशाली और उद्देश्य पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया था । यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों के मध्य भूमि की विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम सीमा का स्तर, प्रयोग की इकाई, छूट आदि के विषय में अत्यधिक अन्तर था । सम्मेलन ने जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी समस्त समस्यायें केन्द्रीय भूमि सुधार समिति को भेजने का निर्णय किया ।

अगस्त, 1971 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय

भूमि सुधार समिति ने विभिन्न राज्यों के अधिकतम सीमा कानूनों में व्यापक रूप से समानता लाने की दृष्टि से कुछ विस्तृत उपायों की सिफारिशें कीं।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई और कृषि मंत्री ने 18 सितम्बर, 1971 को समस्त मुख्य मंत्रियों को अनुरोध करते हुये लिखा कि राज्य के उच्चतम सीमा कानूनों को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाने के लिये कार्यवाही आरम्भ करें। कृषि मंत्री ने 7 अप्रैल, 1972 को पुनः समस्त मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया कि अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा बताई गई रूप रेखा के आधार पर आवश्यक विधेयकों के विधान मंडल के वर्तमान सत्र के दौरान पेश करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहियें। भूमि सुधार के समस्त कार्यक्रम शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

1970-71 तथा 1971-72 में बिहार को सप्लाई किए गए बीज

7762. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बीज निगम ने वर्ष 1971-72 में बिहार को समय पर बीज सप्लाई नहीं किए थे;

(ख) गत वर्ष बिहार को कितनी मात्रा में बीजों की सप्लाई की गई; और

(ग) बिहार सरकार को कितने मीट्रिक टन बीजों तथा उनकी किन-किन किस्मों की सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने बिहार को अभी तक बीजों की निम्न मात्रायें भेजी हैं :

गेहूँ—कल्याण सोना तथा सोनालिका	1575 मीटरी टन
मक्का—गंगा—एस० — 2	422 ,, ,,
धान—आई० आर० —8 तथा रत्ना	32 ,, ,,
पटसन—शाकीय तथा सम्पुट स्नायुवाले	90 ,, ,,

लगभग सभी आपूर्तियाँ समय में कर दी गईं थीं। इस साल के लिए बीजों का और वितरण अभी चालू है। निगम के संबंध में वर्ष 31 मई, 1972 को समाप्त होता है।

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बिहार राज्य में प्रमाणित बीजों की निम्न मात्रायें और किस्में वितरत की गई थीं :

मक्का — गंगा एस०—2	762 मीटरी टन
धान—आई० आर०—8 तथा जया	226 ,, ,,
गेहूँ—कल्याण सोना तथा सोनालिका	446 ,, ,,
पटसन—शाकीय तथा सम्पुट स्नायुवाले	145 ,, ,,

(ग) वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उपरोक्त खण्ड (क) में दिखाये गये प्रमाणित बीजों की आपूर्ति के अतिरिक्त, बिहार को उस वर्ष बीजों की निम्नलिखित मात्रायें अन्य एजेंसियों द्वारा भेजी गई थीं—

(क) भारतीय खाद्य निगम	(i) गेहूँ	54,748	मीटरी	टन
	(ii) जौ	2,000	,,	,,
	(iiii) चना	1,600	,,	,,
(ख) तराई विकास निगम	गेहूँ	1,376	,,	,,
(ग) टनेज क्लब	गेहूँ	2,446	,,	,,
(घ) राजकीय फार्म निगम	(i) गेहूँ	1,278	,,	,,
	(ii) जौ	95	,,	,,
	(iii) चना	185	,,	,,

Estimate of Product of Cash Crops in M. P. by the End of Fourth Plan

7763. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated production of cash crops in Madhya Pradesh by the end of the Fourth Plan;

(b) whether production of cash crops has declined to some extent; and

(c) if so, the steps taken to increase the production thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) It is too early to make an estimate of the production of cash crops in Madhya Pradesh by the end of the Fourth Plan. However, the targets for the production of major cash crops envisaged in the Fourth Five Year Plan of Madhya Pradesh for 1973-74 are as under :

Crop	Fourth Plan Target
Oilseeds	6·50 lakh tonnes
Sugarcane (gur)	2·00 lakh tonnes
Cotton	5·90 lakh bales.

(b) Since 1968-69 the production of major cash crops has shown a mixed trend. The production of important cash crops in Madhya Pradesh during 1968-69 to 1970-71 is as under :

('000 tonnes unless otherwise stated)

Crop	1968-69*	1969-70*	1970-71†
Groundnut	230·4	285·9	304·0
Sesamum	71·5	59·2	50·5
Rapeseed & mustard	52·7	60·9	52·3
Linseed	103·9	135·7	123·6
Total major oilseeds	460·2	543·6	532·1
Potato	191·9	164·9	177·4
Sugarcane (gur)	141·7	169·1	163·1
Cotton‡	340·0	327·3	214·2
Mesta‡	19·2	30·7	26·5

* Partially Revised Estimate

† Final Estimate.

‡ Thousand bales of 180 kgs. each.

(c) Intensive cultivation measures on the lines of package programme have been taken to increase the production of cash crops in the State. To boost up the production of cotton, an Intensive Cotton District Programme has also been implemented in Madhya Pradesh. Besides, a specific Centrally Sponsored Scheme has been implemented in the State to develop soyabeen cultivation.

U. G. C. Grants to Colleges in Madhya Pradesh for Construction of Hostels

7764. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the colleges in Madhya Pradesh which have been given grants by the University Grants Commission for constructing Hostels during the last three years; and

(b) the names of such colleges of Madhya Pradesh whose applications in this regard are still under consideration of the University Grants Commission ?

The Minister of Education, and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The following Colleges in Madhya Pradesh have received grants from University Grants Commission for construction of student's hostels during the last three years :

(1) Govt. Sanskrit Degree College, Indore.
(2) Jawaharlal Nehru Memorial College, Sohagpur.
(3) Madhav College, Ujjain.
(4) Govt. College, Khargone.
(5) Devi Ahilya Girls' Degree College, Indore.
(6) Govt. New Girls' Degree College, Indore.
(7) Home Science College, Hoshangabad.

(b) The proposals of the following Colleges for construction of students' hostels are under consideration of the University Grants Commission :

(1) Madhav Vigyan Mahavidyalaya, Ujjain.
(2) S. S. Patel Arts & Commerce College, Waraseoni.
(3) Arts & Commerce College, Khurai.
(4) Govt. College, Dhar.
(5) Govt. College, Jhabua.
(6) Govt. College, Jagdalpur.

बच्चों की संख्या निर्धारित करने के लिए कानून

7765. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या स्वास्थ्य **और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसा कोई अनिवार्य कानून अथवा नियम बनाने का विचार है जिसके अनुसार उन माता-पिताओं को विशेषाधिकार और सुविधाओं से वंचित रखा जायेगा जिनके निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे होंगे;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसको किस प्रकार क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार का ऐसी कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(ख) और (ग). यह प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के बारे में समिति

7766. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व विकलांगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के बारे में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी;

(ग) समिति के गठन से उसके अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लिया और उक्त समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) समिति ने अपना विचार विमर्श 22 मार्च, 1972 को समाप्त कर लिया था और मसौदा रिपोर्ट को अन्तिम रूप से अपनाये जाने से पूर्व सदस्यों को परिचालित किया गया है।

(ख) यह रिपोर्ट जैसे ही औपचारिक रूप से सरकार को पेश की जाएगी उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में भारत सरकार द्वारा लगभग 19,817 रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(घ) यह समिति 9 जुलाई, 1969 को नियुक्त की गई थी और उसने 22 मार्च, 1972 को अपना कार्य समाप्त कर लिया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पश्चिम बंगाल और असम को आबंटित किए गए धन का उपयोग न करना

7767. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गत 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल और असम को कुल कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) क्या संपूर्ण धनराशि व्यय नहीं की गई है, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दो राज्यों में, जिला-वार कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क)

वर्ष	पश्चिम बंगाल		असम	
	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च
	(रुपए लाख की राशियों में)		(रुपए लाख की राशियों में)	
1969-70	93·00	100·52	170·50	167·55
1970-71	98·79	120·54	133·92	140·52
1971-72	109·95	110·66 (अनुमानित)	151·09	154·55 (अनुमानित)

(ख) जिन परिव्ययों की व्यवस्था की गई है, उनका लगभग पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है ।

(ग) यह धन पूरे राज्य के लिए दिया जाता है । जिलावार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान की क्रियान्विति

7768. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने उन पुनरीक्षित वेतनमानों की तत्काल क्रियान्विति के लिए अप्रैल, 1972 में शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) से भेंट की थी, जो भारत सरकार द्वारा 27 मई, 1970 से लागू होने के लिए अनुमोदित तथा स्वीकृत किए गए थे तथा 5 सितम्बर, 1971 को जिनकी घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली के अध्यापकों के उक्त प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त पुनरीक्षित वेतनमान एक अथवा दो महीने में क्रियान्वित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार दिल्ली के अध्यापकों को उक्त पुनरीक्षित वेतनमान कब से देने का है ताकि उन्हें और आगे कठिनाई न हो ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल को बताया गया था कि जुलाई, 1972 तक भुगतान करने के यत्न किए जायेंगे।

(ग) परिशोधित वेतनमानों की अदायगी का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

7769. **श्री वेकारिया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जायेगा अथवा एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

वास्तुविदों (हैल्थ विंग) के कार्यभार के लिए माप-दण्ड

7770. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3665 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय (हैल्थ विंग) में एक वास्तुविद को दिए जाने वाले कार्य-भार का माप-दण्ड निर्धारित है; यदि हाँ, तो उसका पालन किए जाने के बारे में किस प्रकार निगरानी रखी जाती है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के वास्तुविद अनुभाग में कोई स्टाफ मूवमेन्ट रजिस्टर रखा गया है जिससे इस बात की जाँच की जा सके कि वास्तुविद एलाट किया गया अपने पूरे दिन का कोटा पूरा करते हैं और गैर-सरकारी स्थानों का दौरा नहीं करते; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुविदों के कार्य के लिए जो प्रतिमान निर्धारित हैं, उसका ही स्वास्थ्य मंत्रालय के वास्तुकला विंग में अनुपालन किया जा रहा है। वास्तुविदों को कार्य देते समय निर्धारित प्रतिमान को सदैव ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग). अधिकारियों के लिए कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं रखा गया है। अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यकलापों और स्थानों पर जाने तथा कार्यालय में और उससे बाहर हुई बैठकों में शामिल होने की सूचना डायरियों में भरनी होती है।

शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यक्ष का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को अभ्यावेदन

7771. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यक्ष ने उक्त संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बोर्ड ने इस मामले पर गत सात महीनों में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या संस्थान ने इस केन्द्र के तीन रजिस्टर्ड पी-एच० डी० छात्रों के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं की है और उसका इस केन्द्र को बन्द करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). संस्थान के अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी एक सहायक प्राध्यापक ने केन्द्र के भावी विकास के संबंध में अभिवेदन किया था। संस्थान के संबंध में शासी मण्डल ने मामले की विस्तार से जाँच की और यह निर्णय किया कि चूंकि अध्यापक प्रशिक्षण के लिए कोई नए स्नातक प्रवर्तित नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए केन्द्र के शेष कार्यकलापों को संस्थान द्वारा किए जा रहे पाठ्य विवरण विकास कार्य में मिला लेना चाहिए।

(ग) केन्द्र में काम करने वाले दो पूर्ण कालिक और एक अंश कालिक अर्थात् तीन अनुसंधान अध्येता हैं। पूर्ण कालिक अध्येता नियमित रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

महानगर आवास योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य को आबंटित धनराशि

7772. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर आवास योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य को कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) पंजाब राज्य के उन कस्बों के नाम क्या हैं जिनका आवास और नगरीय विकास निगम योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए चयन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). आवास तथा नगर विकास निगम समिति ने 31 जनवरी, 1972 को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर

1 करोड़ रुपए के ऋण की चण्डीगढ़ के निकट पंजाब सरकार की मोहाली अर्बन इस्टेट परियोजना की स्वीकृति दे दी है। योजना में बेचे जाने वाले मकानों/फ्लैटों के निर्माण तथा प्लाटों के विकास की इस प्रकार व्यवस्था है :

श्रेणी	मकान/फ्लैट	बिक्री के लिए प्लाट
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	500	–
निम्न आय वर्ग	100	3000
मध्यम आय वर्ग	–	4800
उच्चतर आय वर्ग	–	200
वाणिज्यक	–	750
कुल	600	8750

दिल्ली स्थित सरकारी कालोनियों में पानी की सप्लाई

7773. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में डी० आई० जैड० क्षेत्र और आर० के० पुरम जैसी सरकारी कालोनियों में नियमित पानी की सप्लाई के बारे में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त कालोनियों में पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) डी० आई० जैड० क्षेत्र में जल की सप्लाई को बहतर बनाने के लिए जमीन तथा उर्धवस्थ (ओवर-हैड) दोनों पर अतिरिक्त भण्डार-क्षमता की व्यवस्था की जा रही है।

जहाँ तक रामकृष्ण पुरम का संबंध है, दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ जाने से स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक अतिरिक्त संग्रह-टंकी के चालू किए जाने पर निकट भविष्य में सप्लाई में सुधार होने की संभावना है।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में पीछे हटना

7774. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेतावनी दी गई है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले पर पीछे हटना लोगों द्वारा सहन नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार भूमि सुधारों की गति को तेज करने और इनकी क्रियान्विति में सुधार लाने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक है और इस मामले में राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से अनुरोध किया जा रहा है । अतः भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है ।

मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिए अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधा

7775. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पतालों में उन बच्चों को उचित चिकित्सा सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को आम तौर पर तब तक अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता जब तक वे मानसिक विकार की स्पष्ट हरकतें न करने लग जाएं, यह स्थिति आ जाने पर ऐसे रोगियों का इलाज अन्स मानसिक रोगियों के समान ही किया जाता है । वैसे, ऐसे बच्चों की परिचर्या करना राज्य का विषय है ।

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

7776. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त पाठ्यक्रम को लागू न करने के क्या कारण बताये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) केवल बम्बई विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों ने अर्थात् आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और मेरठ ने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया है ।

(ग) बम्बई विश्वविद्यालय ने शैक्षिक आधार पर इन्टरमीडियेट परीक्षा जारी रखने का निर्णय किया है जिसके बाद डिग्री स्तर पर पास और आनर्स पाठ्यक्रम होंगे।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा समिति ने 12 वर्षीय हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रमों के बाद तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी। यद्यपि, राज्य सरकार ने यह सिफारिश मान ली है, किन्तु निधियों के अभाव में योजना का कार्यान्वयन करना उनके लिए सम्भव नहीं हो सका है।

कुछ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों ने 10+2+2 ढाँचे पर वापिस लौटने का निश्चय किया है। फिर भी, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने निर्णय के कार्यान्वयन को उस समय तक के लिए स्थगित रखें जब तक कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विचार प्राप्त न हो जायें।

अन्धे तथा बहरे वयस्कों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग में न लाया जाना

7777. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्धे तथा बहरे वयस्कों के प्रशिक्षण तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के स्कूलों के लिए वर्ष 1971-72 में कितनी धनराशि निर्धारित की थी;

(ख) क्या इन संस्थानों द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन संस्थाओं की सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून, बधिरों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, हैदराबाद के दो वर्तमान एककों तथा मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए माडल स्कूल, नई दिल्ली के लिए 1971-72 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में 20·69 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध थी।

(ख) उन्होंने लगभग 19·00 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया।

(ग) 1·69 लाख रुपये की कमी का कारण यह था कि नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून की शैल्टर्ड वर्कशाप का उस हद तक विस्तार नहीं किया गया, जितना कि विचार था।

1972-73 के बजट में इन तीन संस्थाओं के लिए 24·23 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए अलग सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों की स्थापना

7778. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री छोटे तथा सीमान्त किसानों को दी गई धनराशि के बारे में 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए अलग सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के बारे में, बैंकिंग आयोग तथा कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच इस बीच पूरी हो गई है; और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों को संस्थागत ऋणों, जिसमें सहकारी ऋण भी शामिल है, न दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट और बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के कृषि श्रमिकों और सीमान्त कृषकों को संस्थानिक ऋण बिलकुल नहीं दिया जाता ।

Propagation and Development of Urdu

7779. **Shri M. C. Daga :**
Shri Nawal Kishore Sharma :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a Board named Taraqui-e-Urdu Board was consituted by the Central Government in 1969 and if so, the work done by the said Board for propagation and development of Urdu and the amount of money spent thereon; and

(b) whether any Committee has been set up by the Government in April or May, 1972 for the promotion of Urdu and if so, the functions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Taraqui-e-Urdu Board was set up in 1969 under the Chairmanship of the Union Education Minister with a view to making available modern thought in Urdu literature through the production of books. The function of the Board is to advise the Government of India regarding the production of academic literature, science books, children's literature reference works and encyclopaedias, and basic texts, etc. An allocation of Rupees one crore is available for the production of Urdu books during the Fourth Five Year Plan. The Board is conducting a survey of existing Urdu literature in various subjects. In the field of Book production, it has set up a number of Subject Panels for different subjects which have selected 620 titles for original writing and translations. 3 books have been published so far and 28 are under publication. A target of publication of about 100 books by the end of 1972 and of 400 books by the end of the Fourth Five Year

Plan has been fixed by the Board. Besides, the Board has also taken steps for the preparation of an English-Urdu and Urdu-Urdu Dictionary as also an Encyclopaedia. In the field of coining of terminology, the Board has already finalised 33,000 terms. Till the end of the financial year 1971-72, the Board had incurred an expenditure of Rs. 2,41,614.

(b) A Committee for the Promotion of Urdu has been set up to advise the Government on the measures to be adopted for the promotion of Urdu language and the steps required to be taken to provide edequate facilities for Urdu speaking people in educational, cultural and administrative matters. A statement regarding the setting up of the Committee was laid on the Table of the Lok sabha on 2nd May, 1972.

Report of U. N. Commission on Population

7780. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published by the U. N. Commission on population in March or April, 1972;

(b) whether it is evident from this that abortion is more beneficial than the use of oral contraceptives; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof D. P. Chattopadhyaya) : (a) Government's attention has drawn to U. N. report of the 16th Session of the Population Commission Supplement No. 3 which was published in March, 1972.

(b) In the report no statement appears to have been made to the effect that abortion is more beneficial than the use of oral contraceptives.

(c) Government has commissioned pilot projects for the administration of oral contracentives under medical supervision by trained presonnel. As regards abortion, the Medical Termination of Pregnancy Act permits abortion on health, eugenic and humanitarian grounds. The emphasis is on contraception rather than the termination of pregnancy.

Conference of Town-Planners

7781. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a conference of the Town-planners of different States was held on the 4th November, 1971 and if so, the decisions taken therein; and

(b) whether a decision was also taken in the conference to grant 100 percent financial assistance to the State Governments to provide residential accommodation free of cost to the landless labourers in the rural areas and if so, the progress made in this regard so far ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) A meeting of Chief Town Planners of various States was held on the 4th November, 1971. It considered various aspects of urban development and town planning and made recommendations for the consideration of the Conference of State Ministers of

Housing and Urban Development, held on 5th and 6th November, 1971. The recommendations made by the meeting of Chief Town Planners are indicated in the Annexure. [*Placed in Library. Please See* No. LT—3086/72.]

(b) No such decision was taken or recommendation made in the meeting of the Chief Town Planners. A Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas had been introduced by this Ministry in October, 1971, and it was discussed in the Conference of State Housing Ministers held on the 5th and 6th November, 1971, at New Delhi.

Cultivation of Aniseed, Cuminseed, Chillies and Turmeric and Their Examination by Inspectors of Food Department

7782. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is not possible to cultivate aniseed, cuminseed, chillies and turmeric of the same standard throughout the country because the climate and the natural phenomenon of the region affect their production;

(b) whether Inspectors of the Department of Food examine these commodities, from one and the same standard as a result of which hundred of dealers come in their trap; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to solve this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quality of spices (aniseed, cuminseed, chillies and turmeric) is governed mainly by the variety of the crop (s) and is not significantly influenced by the climatic and other environmental factors.

(b) and (c). Relevant information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ

7783. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिवत रूप से गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई अपवाद भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). अधिनियम 26 (9) तथा 27 से संबद्ध पदों के लिए विधिवत गठित प्रवरण समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा संकाय संबंधी नियुक्तियाँ की जाती हैं । तथापि अधिनियम 28 में यह व्यवस्था है कि "अधिनियम 27 में निहित व्यवस्था के बावजूद कार्यकारी परिषद स्थति के अनुसार

ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे और संबंधित व्यक्ति द्वारा उन पर सहमत होने की दशा में उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठा सम्पन्न और व्यवसायिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के अथवा रीडर के पद को स्वीकार करने के लिये आमंत्रित और संबंधित पद पर नियुक्त कर सकती है।

इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन कार्यकारी परिषद ने संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद कुछ विद्वानों की नियुक्ति की है।

Excavations at Partapgarh, Uttar Pradesh

7785. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether several remains of archaeological importance have been found in District Partapgarh of Uttar Pradesh as a result of excavations made by the Archaeological Survey of India; and

(b) if so, the salient features of the findings obtained in May, 1972, and the period of the Indian civilization to which they belong ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir, the excavations at Sarai Nahar Rai in District Partapgarh have brought to light remains of archaeological importance. However, the excavations were first (1970-71) conducted by the Anthropological Survey of India and the Uttar Pradesh Department of Archaeology, and this Year the Allahabad University has also collaborated.

(b) To date, the principal finds of the excavation are human burials which are associated with microlithic tools. A Carbon-14 date of the bones from the last year's collection places the complex tentatively around 8000 B. C. The matter, however, is under further investigation.

चुने हुये जिलों में उर्वरकों के प्रसार हेतु केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना

7785. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के 70 चुने हुये जिलों में उर्वरकों के प्रसार हेतु कोई योजना प्रायोजित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन जिलों के नाम और प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जिलों के नाम, और योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3087/72.**]

नई दिल्ली की सर्वोदय कालोनी में जल की कमी

7787. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय कालोनी, नई दिल्ली में पानी की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि दिसम्बर, 1971 तक इस कालोनी के लिए पेय जल की व्यवस्था करदी जाएगी;

(ग) क्या इस कालोनी में अभी तक पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और सरकार इस कालोनी को कब तक पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Additional Production of Sugar

7788. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether he had made a statement in this House about 9 lakh tonne additional production of sugar in the next year;

(b) the sources of the said information;

(c) whether assurances have also been given to the farmers in regard to price and increasing production of sugarcane in future; and

(d) If so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. I stated that the production in the next year was expected to be about 40 lakh tonnes.

(b) As a result of the payment of higher cane price to the growers as compared to last year, it has been reported by most State Governments that the area under sugarcane has increased. The installed capacity in the sugar industry will also be more next year by about 1·5 to 2·0 lakh tonnes as compared to the current year.

(c) and (d). The question of fixation of a statutory basic minimum price of sugarcane for the year 1972-73 in the context of the need to maximise the production of sugar, is under consideration.

Amount given to various States by Social Welfare Department

7789. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the total amount given by the Department of Social Welfare (Centre) during the year 1970-71 to each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : The total amount given by the Department of Social Welfare (Centre) during the year 1970-71 to each state is furnished in the statement enclosed.

Statement

Statement showing the amount given to various States by Social Welfare Department

States	Amount (Rs.)
1. Andhra Pradesh	103,82,463
2. Assam	109,10,391
3. Bihar	130,61,120
4. Gujarat	123,97,697
5. Haryana	11,86,560
6. J. & K.	8,88,520
7. Kerala	30,39,000
8. Madhya Pradesh	289,99,056
9. Maharashtra	121,22,572
10. Meghalaya	28,90,000
11. Mysore	34,79,720
12. Nagaland	37,05,000
13. Orissa	141,24,421
14. Punjab	10,56,220
15. Rajasthan	59,72,280
16. Tamil Nadu	68,63,008
17. Uttar Pradesh	140,08,095
18. West Bengal	184,26,258

Grant to Harijans for Construction of Houses

7790. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan had announced to give grant to Harijans to the tune of Rs. 500 per person for purchasing plots to construct houses;

(b) the number of Harijans provided with this facility in Bikaner, Shri Ganganagar and Churu Districts separately; and

(c) if no such grant has been given, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Assistance to Harijans in Rajasthan for Setting up Cottage Industry

7791. **Shri Pannalal Barupal** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government provide assistance to the Government of Rajasthan for distribution among Harijans at the rate of Rs. 500 per head for purchasing machines, tools and looms etc. for setting up Cottage industries; and

(b) if so, the amount distributed in Shri Ganganagar, Churu and Bikaner Districts during the last three years and the number of persons benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswany) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

बंगलौर विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध

7792. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंगलौर स्थित विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). बंगलौर विश्वविद्यालय के असंतोषजनक कार्यकलापों से संबंधित बंगलौर विश्वविद्यालय छात्र संघ तथा छात्र संघर्ष समिति से एक ज्ञापन अक्तूबर, 1971 में प्राप्त हुआ था । बंगलौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे । उन्होंने केरल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० सेम्यूल मथाई को इनकी तथा आमतौर पर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जाँच पड़ताल के लिये नियुक्ति किया । प्रो० मथाई ने बिश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है । चूँकि बंगलौर विश्वविद्यालय मैसूर सरकार के नियंत्रण में है, अतः यह राज्य सरकार का काम है कि वह रिपोर्ट पर विचार करे और इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

Allotment of Land to Landless Harijans of Ganganagar District, Rajasthan

7793. **Shri Pannalal Barupal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of landless Harijans and other landless farmers in Shriganganagar District allotted land on permanent basis and the number of applications still under consideration and the time by which these are likely to be disposed of; and

(b) whether the work of allotment of land to landless Harijans and other farmers for cultivation purposes would be completed during 1972-73 and if not, the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the table of the house, when received.

आयुर्वेदिक औषधियाँ बनने के केन्द्र की स्थापना

7794. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ खरीदने हेतु गैर-सरकारी कम्पनियों को बहुत पैसा देना पड़ता है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए 1970-71 और 1971-72 वर्षों में, कम्पनी-वार क्या अदायगियाँ की गईं; और

(ग) क्या इस अत्यधिक व्यय को देखते हुए सरकार अपनी माँग पूरी करने के लिए अपने स्वयं के अनुसंधान/उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). 1970-71 और 1971-72 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में गैर-सरकारी कम्पनियों से क्रमश: 3·56 लाख रुपये तथा 6·50 लाख रुपये की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदीं। कम्पनी-वार कुल कितनी रकम दी गई इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी०—3088/72.**]

(ग) सरकार अपने निजी निर्माण अनुसंधान / उत्पादन केन्द्र स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि इस संबंध में इस स्तर पर जितना खर्च हो रहा है उसे अधिक नहीं माना जा सकता है।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग

7795. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को समाप्त करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिए वर्ष 1971-72 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उस प्रयोजन से अब तक कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) आबंटित धनराशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1972 तक कितने व्यक्तियों को कितने जन घंटों के लिए काम दिया जा सका ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में बस्ती जिले के लिए 12·5० लाख रु० की धनराशि मंजूर की गई थी। फरवरी, 1972 के अन्त तक की सूचना के अनुसार 10·69 लाख रु० व्यय किए गए हैं।

मार्च, 1972 के महीने की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि मंजूर की गई सारी रकम मार्च, 1972 के अन्त तक उपयोग में लाई जा चुकी होगी।

(ग) काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके काम की अवधि प्रत्येक कार्य में अलग-अलग है। इसलिए पैदा किए जाने वाले रोजगार के आँकड़े श्रमदिनों के रूप में एकत्र किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बस्ती जिले में जनवरी, 1972 के अन्त तक 83,901 श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया है।

मध्य प्रदेश में सहकारी आदिवासी विकास निगम की स्थापना

7796. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए वित्त देने और उनके कार्यों का समन्वय करने के लिये उस राज्य में सहकारी आदिवासी विकास निगमों की स्थापना हेतु तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने आदिवासियों को लाभ पहुँचा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य आदिम जाति सहकारी विकास निगम को कोई धनराशि नहीं दी गई है। सहकारिता योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में दी गई धन राशियाँ निम्नलिखित हैं :

	(रुपए लाख की राशियों में)
1969-70	12·00
1970-71	7·00*
1971-72	7·00*

* ऋण के रूप में दी गई 3·50 लाख रुपए की धनराशि शामिल है।

इसके अतिरिक्त आदिम जाति विकास खंड के बजट का 16 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सहकारिता योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Destruction of Wheat Due to Fire in Alipur Development Block, Delhi

7797. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some quantity of wheat was destroyed recently as a result of fire in Alipur Development Block, Delhi; and

(b) if so, the causes of fire and loss suffered ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Due to sudden sparking in the electric connection, wheat of the approximate value of Rs. 20,000 was lost in fire.

पारादीप पत्तन पर अयस्क चढ़ाने और उतारने की क्षमता का उपयोग

7798. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से पारादीप पत्तन पर अयस्क चढ़ाने और उतारने की कितनी क्षमता बेकार पड़ी रही और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) उक्त क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस क्षमता का पूर्ण उपयोग कब तक करना संभव होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पारादीप पत्तन की वार्षिक अयस्क धरा-उठाई संयंत्र क्षमता 20 लाख टन है और यह लक्ष्य 1970-71 में प्राप्त कर लिया गया था। परन्तु 1971-72 वर्ष के दौरान पत्तन ने 18 लाख टन लौह-अयस्क के निर्यात की धरा-उठाई की। यह कमी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई है :

(i) लौह अयस्क के लाने-ले-जाने के लिए रेलवे वैगनों की अपर्याप्तता के कारण लौह अयस्क का कम आना।

(ii) नवम्बर, 1971 में आया तूफान और उसके परिणाम।

(iii) दिसम्बर, 1971 में रक्षा प्रयत्न।

यदि गत वर्ष 200000 एम० टी० लौह-अयस्क और निर्यात किया जाता तो 60 रुपये प्रति मी० टन तक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती थी।

(ख) 1972-73 के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जड़ी-बूटियों की खेती के लिए केरल में भूमि का अधिग्रहण

7799. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च औषधीय महत्व की जड़ी-बूटियों की खेती के लिए केरल के त्रिचूर जिले में कुछ भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और भूमि का अधिग्रहण हुए कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं; और

(ग) खेती की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). जून, 1971 में केरल सरकार ने जिला त्रिचूर के चेरुतुरुती नामक स्थान में लगभग 5·89 एकड़ भूमि, जिसमें लगभग 6,550 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र वाली इमारतें भी शामिल हैं, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को दे दी थी। विभिन्न क्लिनिकी समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए परिषद् ने वहाँ पर एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है। औषधीय महत्व की कतिपय जड़ी बूटियों की भी खेती की जायेगी।

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन का केन्द्र

7800. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल पश्चिम जर्मनी गया था तथा क्या स्थायी भारत-जर्मन सांस्कृतिक समिति ने अपने दूसरे अधिवेशन में नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन का समर्थन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन महत्वपूर्ण विषयों पर समझौता हुआ है; और

(ग) जर्मन अध्ययन केन्द्र कब आरम्भ हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन केन्द्र के विकास में सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस पर सहमति थी कि प्रथम चरण में जर्मन पक्ष की ओर से 1972-73 में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी :

(1) संदर्भ पुस्तकालय

(2) जर्मन भाषा के दो अध्यापक

(3) पाठ्य-पुस्तकें

(4) 25 कोष्ठों (बूथ) की प्रारम्भिक क्षमता वाली भाषा प्रयोगशाला। दूसरे चरण में, केन्द्र, जर्मन अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें भाषा के शिक्षण के अलावा अन्य विषय शामिल रहेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट परियोजना तैयार की जाएगी और अतिरिक्त प्रबंध पूर्ण किए जायेंगे।

(ग) जर्मन अध्ययन केन्द्र, 1971-72 के शैक्षिक वर्ष से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा है जबकि (1)—जर्मन में पूर्व डिग्री डिप्लोमा को, और (2) जर्मन में प्रवीणता के प्रमाण-पत्र को शुरू किया गया था। 1972-73 के शैक्षिक वर्ष से निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शुरू करने की सम्भावना है :

(1) जर्मन में एम० ए०,

(2) जर्मन भाषा और साहित्य में बी० ए० (आनर्स),

(3) जर्मन में विशेष अध्ययन का उच्चतर डिप्लोमा,

(4) जर्मन भाषा और साहित्य में उच्चतर डिप्लोमा,

(5) जर्मन में उच्च प्रवीणता का डिप्लोमा,

(6) जर्मन भाषा के अध्यापन में उच्च पाठ्यक्रम।

Measure to Streamline Distribution of Tractors

7801. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to distribute tractors through the Agro-Industries Corporation on the basis of first come first serve; and

(b) if so, the measures taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The imported tractors have been/are being distributed by the various State Agro-Industries Corporations themselves. In cases where tractors are imported in s. k. d. condition for assembly by the indigenous manufacturers, the tractors are sold through their dealers to the nominees of the various State Agro-Industries Corporations, Union Territories, Director General of Resettlement, etc. The manufacturers are, however, allowed to sell some tractors directly through their dealers for establishing their system of distribution. The Government of India has promulgated Tractors (Distribution & Sale) Control Order, 1971 on 1st September, 1971. Under the Control Order, the sale of tractors by dealers is to be made on the basis of the registrations made by them except in cases where the Controller appointed under the Control Order directs otherwise.

Agricultural Research Institutions Set Up During 1971-72

7802. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of new Research Institutions set up in the country for development of agriculture during 1971-72; and

(b) the names of the said Institutions and the progress made by them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) None, Sir.

(b) Does not arise.

Setting Up Agricultural Industrial Training-Cum-Exhibition Centre

7803. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to give due publicity to the training facilities available at present and to set up at least one agricultural industrial training-cum-exhibition centre in each State; and

(b) if so, the time by which the said scheme is to be implemented, Statewise, and the names of the places where these schemes would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) There is no scheme to set up any Agricultural Industrial Training-cum-Exhibition Centre. However, due publicity is being given to the training facilities available for training farmers, extension workers etc. by the State Agricultural Departments and the Farm Information Unit at the Centre through All India Radio, News-Papers, issue of leaflets etc.

(b) Question does not arise.

तमिलनाडु में मिलों द्वारा गन्ने के लिए अदा किया गया मूल्य

7804. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की चीनी मिलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया सुझाव, जिससे दक्षिण भारत चीनी मिल एसोसिएशन के प्रधान भी सहमत थे, कि 1971-72 के मौसम के लिए गन्ने का (8·50 रुपये प्रति क्विंटल) न्यूनतम मूल्य अदा किया जाए, सभी चीनी मिलों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु की राज्य सरकार से इस विषय में परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो राज्य सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राज्य में 16 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री 8·50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है और दूसरी फैक्ट्री 9·50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है साथ में बेहतर किस्म के गन्ने के लिए 5 रुपये प्रति मी० टन अतिरिक्त मूल्य अन्तर भत्ता भी देती है। अन्य फैक्ट्रियाँ 8·50 रुपये प्रति क्विंटल से कम भुगतान कर रही थीं।

(ख) भारत सरकार गन्ने का केवल सांविधिक मूल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है।

तथापि, खरीदार के रूप में फैक्ट्रियों और बेचवाल के रूप में गन्ना उत्पादकों के बीच आपसी समझौते से न्यूनतम मूल्य से अधिक दर पर गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाता है ।

(ग) और (घ). तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

अच्छे किस्म के गेहूं की वसूली के संबंध में आदेश

7805. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जाने वाला गेहूँ निर्धारित किस्म के अनुरूप ही होना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो ये आदेश किस तारीख को जारी किये गये थे और क्या इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् गेहूँ की वसूली में कमी हुई है; और

(ग) क्या इन आदेशों के पालन के कारण छोटे किसानों के लिए अपने गेहूँ का निपटारा करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) ये अनुदेश 24-3-72 को अर्थात् 1972-73 के विपणन मौसम का अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जारी किए गए थे । अब तक इस मौसम की अधिप्राप्ति की मात्रा पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा काफी अधिक रही है ।

(ग) यद्यपि सरकार को किसानों द्वारा बेचने के लिए घटिया किस्म की गेहूँ लाने के बारे में कुछ खबरें मिली थीं लेकिन छोटे किसानों द्वारा अधिप्राप्ति एजेंसियों को अपना अनाज बेचने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है । अनाज की सफाई करने संबंधी सुविधायें सुलभ की गयी हैं ताकि किसान अपने अनाज की किस्म सुधार सकें और उचित औसत किस्म के लिए निर्धारित मूल्य प्राप्त कर सकें ।

जहाजों द्वारा लौह अयस्क भेजने के बारे में जापान के साथ समझौता

7806. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ जहाजरानी कम्पनियों ने भारतीय लौह अयस्क को जहाजों द्वारा जापान भेजने के संबंध में जापान के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय नौवहन निगम के साथ साथ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि० तथा डैम्पो स्टीमशिप्स लि० ने 1972-73 में मिनरल्ज एण्ड मैटल्ज ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० द्वारा जापान स्टील मिलों को बेचे गये बैलाडिला और किरीबुरू अयस्क की कुल मात्रा का 15 प्रतिशत ढोने के लिए निप्पोन स्टील कारपोरेशन, जोकि जापान में 9 स्टील मिलों का प्रतिनिधित्व करता है, से करार किया है। 1972-73 के करार में ऐसी व्यवस्था है कि 1971-72 में 4·75 यू० एस० डालर की तुलना में इस वर्ष भाड़ा दर 3·85 यू० एस० डालर प्रति टन पर स्थिर रहेगा।

अखिल भारतीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक फैडरेशन, पटना से प्राप्त ज्ञापन

7807. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक फैडरेशन, पटना से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या माँगें हैं; और

(ग) सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ। अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ, पटना द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे दिनांक 3 अप्रैल, 1972 के ज्ञापन की एक अहस्ताक्षरित मुद्रित प्रति शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में प्राप्त हुई है।

(ख) उनके द्वारा रखी गई माँगें निम्नलिखित हैं :

(i) संविधान को संशोधन करना तथा "प्राथमिक शिक्षा" को केन्द्रीय विषय बनाना।

(ii) संविधान को संशोधन करना तथा अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान-परिषदों के लिए देश के प्राथमिक अध्यापकों को मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करना।

(ग) ये मामले अन्यों द्वारा पहले से ही पृथक रूप से उठाये गये हैं तथा उनकी जाँच पड़ताल हो रही है।

वर्ष 1971-72 में उपलब्ध की गई चीनी और उसका मूल्य

7808. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में देश के अन्दर खपत के लिए कितनी चीनी उपलब्ध की गई थी; और

(ख) इस अवधि में चीनी के मूल्य की क्या प्रवृत्ति रही थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिह) : (क) चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक होता है। अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 की अवधि में चीनी की निम्नलिखित मात्रा निर्मुक्त की गई है :

(मात्रा लाख मी० टन में)

निम्नलिखित महीनों में खपत के लिए	खुले बाजार में बिकने वाली चीनी	उचित मूल्य की चीनी	जोड़
अक्तूबर, 1971	5·00	—	5·00
नवम्बर, 1971	3·50	—	3·50
दिसम्बर, 1971	3·35	—	3·35
जनवरी, 1972	1·30	2·08	3·38
फरवरी, 1972	1·31	1·91	3·22
मार्च, 1972	1·19	2·06	3·25
अप्रैल, 1972	1·19	1·91	3·10
मई, 1972	1·19	1·96	3·15
जून, 1972	1·18	1·95	3·13

कुछ प्रमुख शहरों में अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 तक प्रत्येक महीने में खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के थोक मूल्य इस प्रकार थे :

	मूल्य-सीमा (रु० प्रति क्विंटल)
अक्तूबर, 1971	190·00 से 209·00 तक
नवम्बर, 1971	197·00 से 225·00 तक
दिसम्बर, 1971	229·00 से 260·00 तक
जनवरी, 1972	243·00 से 278·00 तक
फरवरी, 1972	267·00 से 300·00 तक
मार्च, 1972	295·00 से 318·00 तक
अप्रैल, 1972	268·00 से 300·00 तक
मई, 1972 (22 तक)	269·00 से 308·00 तक

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल किया जाना

7809. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1972 के 'पैट्रियाट' में दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर की गई नकल की समस्या के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). सरकार ने उस रिपोर्ट का अवलोकन किया है जो 'पैट्रियाट' में 5 मई, 1972 को "चीटिंग एट एग्जेम्स: न्यू रिकार्ड" (परीक्षाओं में धोखा देना : नये कीर्तिमान) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी । जो भी हो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से नकल किये जाने से संबद्ध इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं । विश्वविद्यालय के अनुसार 1971 के 886 मामलों की तुलना में 23 मई, 1972 तक गलत तरीके अपनाने के 975 मामलों की रिपोर्ट की गयी । इस बढ़ती का कारण 1971 में 83,000 परीक्षार्थियों की संख्या की तुलना में 1972 में 97,000 की बढ़ी हुई संख्या को माना जा सकता है ।

विश्वविद्यालय ने एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज में नकल करने की एक पहली रिपोर्ट में तथ्यों की जाँच की थी और यह पता चला था कि कालेज में परीक्षाएँ ठीक ढंग से संचालित की गयी थीं ।

गलत तरीकों को रोकने के साथ साथ परीक्षा की वर्तमान प्रणाली को सुधारने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनेक समितियों द्वारा जनवरी, 1971 में भारत एवं सीलोन के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा संबंधी परीक्षा विषयक संगोष्ठी में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षा संबंधी एक समिति ने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित द्वि-राष्ट्रीय सम्मेलन ने, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद्, संयुक्त राज्य राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिष्ठान तथा यू० एस० ए० आई० सी० द्वारा विचार किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या के सभी सुसंगत पक्षों पर विचार करने के लिए भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से एक नामिका तैयार कर रहा है ।

भारत में ब्रिटिश शासन काल के संबंध में 'माइक्रोफिल्मड' रिकार्ड प्राप्त होना

7810. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत में ब्रिटिश शासन काल के बारे में कुछ 'माइक्रो फिल्मड' रिकार्ड प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ अन्य रिकार्ड भी प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) इस प्रकार प्राप्त रिकार्ड्स की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन रिकार्ड्स का विशेष रूप से ब्रिटिश शासन काल के भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्राप्त किये गये अभिलेखों की माइक्रोफिल्में भारतीय इतिहास के आधुनिक युग (16 वीं-20 वीं शताब्दियों) से संबंधित हैं। इन्हें विभाग में उपलब्ध सामग्री को बढ़ाने की दृष्टि से तथा उसके मौजूदा संचय की कमियों को पूरा करने के विचार से प्राप्त किया गया है। प्राप्त की गई माइक्रोफिल्मों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित अभिलेख।

(2) भारतीय इतिहास में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले भूतपूर्व वाइसराय, गवर्नर-जनरल, राज्य के सचिवों और महत्वपूर्ण ब्रिटिश राजनेताओं, जिनके लेख भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, के निजी कागजात।

(3) सरकारी कागजात जैसे कि राजकीय प्रतिनिधि के अभिलेख और ब्रिटिश संसदीय कागजात जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों की सूचना की अनुपूर्ति करते हैं।

(घ) विदेशों से प्राप्त की गई अभिलेखों की माइक्रोफिल्में भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के प्राय: प्रत्येक पक्ष पर और अधिक प्रकाश डालती हैं। इनसे इतिहासकार को भारत की घटनाओं और प्रवृत्तियों का पूर्ण और स्पष्ट चित्र प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन माइक्रोफिल्मों के अध्ययन के फलस्वरूप भारतीय इतिहास की घटनाओं की व्याख्या अथवा महत्व से संबद्ध परिवर्तनों के विषय में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये भारतीय इतिहासकारों के भावी कार्य पर निर्भर करेंगे।

बाल कल्याण संबंधी समिति

7811. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल कल्याण के लिए, एक समिति के गठन की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बोर्ड का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

देश में निम्न आय वर्गों के लिये मकानों का निर्माण

7812. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें देश में निम्न आय वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लक्ष्यों की ओर पर्याप्त गति से नहीं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न चलने वाली राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आवर्त्तक निधि में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). आवास चौथी पंच वर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में है । राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक लक्ष्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वयं निर्धारित किये जाते हैं । तथापि, यह सत्य है कि देश में निम्न आय वर्गों के लिये मकानों के निर्माण की गति धीमी रही है । इसका मुख्य कारण सभी साधनों की कमी तथा कृषि, उद्योग, सिंचाई तथा बिजली आदि जैसे अन्य प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों की प्रतियोगी आवश्यकताओं के मुकाबले में आवास को (राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर) निम्न प्राथमिकता का दिया जाना है ।

(ग) सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित किये गये आवास तथा नगर विकास निगम समिति द्वारा आवास तथा नगर-विकास कार्यक्रमों में पूँजी लगाने के लिये कुछ वर्षों में आवर्तन निधि के रूप में लगभग 200 करोड़ रुपयों का एक संग्रहण किए जाने की आशा है । फिलहाल, इस निधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली तथा उत्तरी भारत में नारियल की खेती के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये समिति की नियुक्ति

7813. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और उत्तरी भारत में नारियल के पेड़ उगाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति के बारे में सोच रही है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई प्रयोग आरम्भ किए गए हैं और यदि हाँ, तो पेड़ रोपने का कार्य किस तारीख को प्रारम्भ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) इस दिशा में प्रयोग आरम्भ नहीं किये गये हैं, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि दिल्ली और उत्तरी भारत में अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की वजह से नारियल की खेती सफल नहीं होगी । अतः इस दृष्टि से पौध रोपण कार्य आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० आई० टी० दिल्ली को आबंटित की गई वार्षिक धनराशि में दुर्विनियोग

7814. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के सदस्यों ने आई० आई० टी०, दिल्ली के प्रशासन के बारे में उनसे शिकायतें की हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों में प्रशासन के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये हैं कि संस्थान को आबंटित की गई वार्षिक धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार को दी गई धनराशि का अपव्यय तथा उसका अनियमित व्यय किया गया है और सरकार की बजट एकाउन्टिग के निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार आई० आई० टी०, दिल्ली के प्रबंध के लेखों तथा प्रशासन चलाने के कार्य आदि की न्यायिक जाँच कराने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). सरकार को कुछ संसद सदस्यों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा दी गयी नियुक्तियों, पदोन्नति, वेतन-निर्धारण, सेवा वृद्धि, फिजूल खर्चों के मामलों में अनियमितता और अधिनियम तथा कानूनों के उपबन्धों के अतिक्रमण करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 तथा इसके अन्तर्गत तैयार किये गये कानूनों के उपबन्धों के संदर्भ में इन शिकायतों की, जांच-पड़ताल होती है। जाँच-पड़ताल करने पर कुछ शिकायतें पायी गयीं और बाकी शिकायतों की जाँच में प्रगति हो रही है।

दिल्ली स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में एक अतिरिक्त हाल का निर्माण

7815. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में तीन बड़े हॉल यथा (एक) वातानुकूलित सेमिनार हॉल, (दो) औपिन एयर थियेटर और (तीन) गैलरीनुमा जिमनाज़ियम हॉल हैं जिसमें क्रमश: 800, 2000, और 1500 व्यक्तियों के लिए बैठने का स्थान है;

(ख) यदि हाँ, तो इन हॉलों के निर्माण में कितना व्यय आया है और क्या इन हॉलों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है;

(ग) केवल दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए 84 लाख रुपये से भी अधिक लागत का एक अतिरिक्त हॉल का निर्माण करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वार्षिक दीक्षांत समारोह वातानुकूलित तथा इलेक्ट्रानिक से युक्त सेमिनार हॉल में आयोजित किये जाते रहे थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) संस्थान में एक जिमनाजियम हॉल है जिसमें 520 लोगों को बैठाने की क्षमता है और छात्र मनोरंजन केन्द्र से संलग्न एक खुला रंगमंच है जिसमें 727 लोगों को बैठाने की क्षमता है। इसमें प्रमुख शैक्षिक भवन में केवल एक संगोष्ठी-कक्ष है जिसमें 438 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता है। संगोष्ठी-कक्ष वातानुकूलित है।

(ख) जिम्नेज़ियम और खुले रंगमंच की लागत करीब 3·34 लाख रुपये है और संगोष्ठी-कक्ष की 3·04 लाख रु० है। इसका पूर्णत: उपयोग किया जा रहा है।

(ग) नया सभा कक्ष शैक्षिक और मनोरंजक फिल्मों के प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बड़ी बैठकों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यानों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा साँस्कृतिक समारोहों और वार्षिक दीक्षांत समारोह के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु बनाया गया है। सभा कक्ष में 1100 व्यक्तियों को बैठाने की क्षमता है और फिटिंग तथा फर्नीचर सहित इसकी लागत करीब 7·50 लाख रुपये है।

(घ) पहले वार्षिक दीक्षांत समारोह शामियानों में आयोजित किये जाते थे और बाद में संगोष्ठी कक्ष में किए गए, किन्तु संगोष्ठी कक्ष छात्रों, उनके माता पिताओं और कर्मचारियों और आमंत्रित व्यक्तियों को दीक्षांत समारोह में बैठाने के लिये अपर्याप्त और अंतोषजनक साबित हुआ।

नई दिल्ली स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के निदेशक के लिये मकान

7816. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के निदेशक के मकान के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया और इसके रख रखाव पर वार्षिक व्यय कितना आता है;

(ख) क्या खड़गपुर, कानपुर, बम्बई और मद्रास स्थित निदेशकों के लिये भी इसी प्रकार के मकान बनाने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के निदेशक को दिल्ली में अपने लिए ऐसा मकान बनाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के बोर्ड आफ गवर्नर्स तथा केन्द्रीय सरकार ने भी इस मकान का नक्शा प्राक्कलन, लेखा तथा रखरखाव की लागत के बारे में भी अपनी मंजूरी दी और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जाँच करवायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) 1963 में निदेशक के बंगले के निर्माण पर 65,600 रुपये की राशि खर्च की गयी थी।

संस्थान द्वारा, परिसर में स्थित प्रत्येक भवन के अनुरक्षण की लागत अलग-अलग नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के मानदण्डों के आधार पर सभी भवनों के अनुरक्षण के हेतु प्राक्कलन बनाए जाते हैं। 1971-72 के दौरान वास्तविक खर्चा मानदण्डों से कम हुआ और 9·89 लाख रुपये की अनुमत सीमा के स्थान पर सभी भवनों के अनुरक्षण पर कुल खर्चा 5·66 लाख रुपये रहा।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सभी निदेशकों को, परिसर में समान रिहायशी इमारतें दी गयी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भवन और निर्माण समिति की सिफारिश पर संस्थान के शासी मंडल द्वारा योजना तथा प्राक्कलन मंजूर किए गए थे ।

आई० आई० टी०, नई दिल्ली के मानवशास्त्र और सामाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, द्वारा निधियों का दुरुपयोग

7817. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, दिल्ली के मानवशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने 1969 में आई० आई० टी०, दिल्ली में हुए 9 वें समाजशास्त्रीय सम्मेलन की निधियों का दुरुपयोग किया था और उक्त सम्मेलन के लिए गांधी शताब्दी निधि द्वारा दिये गये 6000/- रुपयों के हिसाब के मामले में उसने धोखाधड़ी की थी;

(ख) क्या विभाग के उक्त अध्यक्ष ने अनुसंधान विद्वानों (रिसर्च स्कालरों) के चयन के बारे में चयन समिति के कार्यवाही वृतान्त में गड़बड़ी की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार आई० आई० टी०, के उक्त विभागाध्यक्ष के आचरण की जाँच करायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) संस्थान में नवम्बर, 1969 में अखिल भारतीय समाज वैज्ञानिक सभा द्वारा नवीं अखिल भारतीय समाज वैज्ञानिक सम्मेलन किया गया था । संस्थान ने अपना संगोष्ठी कक्ष उपलब्ध कराया और प्रतिनिधियों के ठहरने और भोजन की सुविधाएँ भी प्रदान की थी । सम्मेलन के खर्चे के प्रति संस्थान ने 19,000 रु० का योगदान भी दिया था । इसके अतिरिक्त मानविकी विभाग के अध्यक्ष ने गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के योगदान के रूप में प्राप्त 6,000 रुपये की राशि और सभा की व्यवस्था के अधीन एकत्रित राशि में से 5,000 रु० संस्थान के पास जमा किये थे । संस्थान को केवल इसी 30,000/– रुपये की राशि की जानकारी है। 30,000 रुपये के खर्च का लेखा परीक्षा हो चुका है । सम्मेलन के संगठन कर्त्ताओं को पहले ही 11,000/–रुपये (6,000/–रुपये जमा 5,000/–रुपये) की एक राशि व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्थान दे चुका है ।

(ख) संस्थान ने आरोप का खंडन किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी की कर्मशाला में निर्मित फर्नीचर की वस्तु-सूची

7818. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की फरनीचर कर्मशाला में कई लाख रुपयों का फर्नीचर बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में तैयार वस्तुओं में कुल कितने मूल्य के कच्चे माल का उपयोग किया गया था; और

(ग) क्या प्राप्त कच्चे माल की सूची रखी गई है, कितने श्रमिक काम पर लगाए गए थे तथा इस कर्मशाला में कितनी तैयार सामग्री निर्मित की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) संस्थान की कर्मशाला में प्रारम्भ से निर्मित फर्नीचर की कुल लागत 24 लाख रुपये है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में (1-4-69 से 31-3-72 तक) निर्मित फर्नीचर की कुल लागत 4·38 लाख रुपये है । सामग्री की लागत लगभग 3·00 लाख रुपए और मजदूरी की लागत 1·38 लाख रुपए है ।

(ग) जी हाँ ।

आई० आई० टी०, दिल्ली के होस्टलों के मेस के एकाउन्ट्स

7819. **श्री कार्तिक उरांव** :
श्री समर गुह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आई० आई० टी० के सात होस्टलों के मेस के लाखों रुपए के एटाउन्ट्स किसी प्राधिकारी द्वारा जाँच के लिए ए० जी० सी० आर० को दिए गए थे;

(ख) क्या चार वर्ष पूर्व मेस के एकाउन्ट्स की जाँच किये जाने के बारे में नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के परामर्श से भारत सरकार ने निदेश जारी किये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या आई० आई० टी० दिल्ली ने इस निदेश का पालन किया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). 1966 में म० ले० पश्चिम बंगाल ने इस बात का संकेत किया था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर द्वारा एकत्र की गयी हाल संबंधी जमानती पूँजी को भी संस्थान के समेकित लेखे में दिखाया जाना चाहिए । चूंकि इसका यह अर्थ था कि छात्रों से एकत्र किए गये सभी गैर कानूनी चन्दों तथा जमा की वैध लेखा परीक्षा की जानी चाहिए, इसलिए मंत्रालय ने 1968 में सभी प्रौद्योगिकी संस्थानों को यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार के सभी चन्दे तथा जमा को संस्थानों के समेकित लेखे में दिखाया जाना चाहिए ।

संस्थानों ने यह अभ्यावेदन किया कि भोजनालय पूर्णत: छात्रों द्वारा चलाए जा रहे हैं और भोजनालय संबंधी जमा संस्थानों की निधियों का अंश नहीं है । इसलिए भोजनालय लेखों पर वैध लेखा परीक्षा लागू नहीं होनी चाहिए । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से इस मामले की जाँच की जा रही है ।

आई० आई० टी०, नई दिल्ली के सेंट्रल स्टाक रजिस्टर में आस्तियों तथा उपकरणों का दर्ज न किया जाना

7820. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या करोड़ों के मूल्य के अर्द्ध-स्थायी तथा स्थायी आस्तियों के उपकरणों को आई० आई० टी०, नई दिल्ली के सेन्ट्रल स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) भूमि (विकास सहित) तथा भवनों का एक रजिस्टर संस्थान के सम्पदा कार्यालय द्वारा रखा जाता है। फर्नीचर तथा उपस्कर के लिए एक रजिस्टर प्रधान रजिस्टर के खण्ड के रूप में प्रत्येक विभाग/अनुभाग द्वारा रखा जाता है। सभी चल और अचल परिसम्पत्ति इन रजिस्टरों में दर्ज की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हस्त-ट्रैक्टरों की माँग तथा इनकी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

7821. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने हस्त-ट्रैक्टरों की माँग है;

(ख) इस समय देश में ऐसे ट्रैक्टरों की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) माँग और पूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मशीनरी और उपकरण विषयक कार्यकारी दल (कृषि मंत्रालय) के अनुसार वर्ष 1973-74 के अन्त तक हैण्ड ट्रेक्टरों (पावर टिलर्स) की वार्षिक माँग 80,000 हो जाने का अनुमान है।

(ख) वर्तमान में निम्नलिखित पाँच एककों को 36,800 पावर टिलर्स की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं :

(1) सर्वश्री कृषि इंजिन्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (प्रतिवर्ष 3,000 ट्रैक्टरों की क्षमता के लिए)

(2) सर्वश्री बी० एस० टी० टिलर्स ट्रेक्टर्स लिमिटेड, बंगलौर (मित्स्युबीशी—प्रति वर्ष 5,000 टैक्टरों की क्षमता के लिये)

(3) सर्वश्री जे० के० सतीह एग्रीकल्चरल मशीन्स लिमिटेड, कानपुर (सतीह—प्रतिवर्ष 6,000 ट्रैक्टरों की क्षमता के लिये)

(4) सर्वश्री इन्डेक्विप इन्जीनियरिंग लिमिटेड, अहमदाबाद (इसकी—प्रति वर्ष 10,000 ट्रैक्टरों की क्षमता के लिए)

(5) दि केरल एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, त्रिवेन्द्रम् (कुबोटा—प्रतिवर्ष 12,000 ट्रैक्टरों की क्षमता के लिये)

(ग) चूँकि पावर टिलर्स उद्योग 'कोर' क्षेत्र में सम्मिलित है, अत: उत्पादन वृद्धि के लिए निर्माण एककों को कच्चे माल और पुर्जों के आयात के संबंध में सभी संभव सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 29,000 वार्षिक क्षमता वाली 3 और योजना अभी विचाराधीन हैं।

फार्म मशीनरी संबंधी अनुसंधान, विकास और निर्माण को युक्ति-संगत बनाना

7822. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म मशीनरी के बारे में अनुसंधान, विकास तथा निर्माण को युक्ति-संगत बनाने की व्यवस्था करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृष मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारत सरकार ने तीसरी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में फार्म मशीनरी के लिए एक अनुसंधान परीक्षण केन्द्र की स्थापना की है। चौथी योजना के दौरान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ये केन्द्र जारी रखे जा रहे हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कोयम्बटूर में दो केन्द्रों को सुदृढ़ करने की योजना क्रियान्वित की है। ये केन्द्र अनुसंधान, डिजाइन और देश के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में मुख्यतया उगाई जाने वाली फसलों से सम्बद्ध फार्म औजारों के विकास का कार्य करेंगे। औजार के रूपांकन के उपरांत विभिन्न कृषि जलवायु और भूमि अवस्थाओं के अन्तर्गत मूल्यांकन के लिए इनके मूलरूप तैयार किए जाते हैं।

इन डिजाइनें को अन्तिम रूप देने के पश्चात इनके विनिर्माण संबंधी नक्शे तैयार करके सम्बद्ध राज्यों के दिलचस्पी रखने वाले विनिर्माताओं में वितरित किए जाते हैं। सम्बद्ध अनुसंधान केन्द्र मशीनों के निर्माण के लिए उन्हें तकनीकी सहायता भी देता है।

कटाई-उपरांत मशीनों और क्रियाकलापों से संबंधित एक समन्वित परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तैयार की है और इसे योजना आयोग ने मंजूर कर दिया है। ये योजना फसल काटने की मशीन, विधायन उपस्कर, सुखाने, भण्डारण और सम्भालने आदि जैसी मशीनों के अनुसंधान तथा विकास के पहलुओं से संबंधित कार्य करेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य-

कर्त्ताओं की अन्वेषणात्मक योग्यता के विकास के लिए चुनींदा मशीनों के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए इनाम देने की योजना क्रियान्वित की है । समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रत्येक मशीन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को 6,000 रुपए, 3,000 रुपये तथा 1,000 रु० की रकम के इनाम दिए जाते हैं । रफी अहमद किदवई इनाम जैसे अनुसंधान इनाम और खोज सम्बर्द्धन मंडल के इनाम भी मौजूद हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चुनींदा औजारों के अनुसंधान के लिए लुधियाना, पूना और हैदाराबाद स्थित तीन अनुसंधान परीक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है ।

सरगुजा अथवा सीधी के किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का दौरा

7823. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के किसी दल ने सरगुजा अथवा सीधी के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया था ताकि उन किसानों की ऐसी समस्याओं के बारे में 'आन दि स्पाट' जानकारी उनको मिल सके जिनके बारे में अनुसंधान कार्य हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कानपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के चन्देरी डिपो में 1971 के दौरान नष्ट हुआ खाद्यान्न

7824. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के चन्देरी डिपो में 1971 के दौरान एक लाख 50 हजार रुपये मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्यान्न के नष्ट होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्यान्न के नष्ट होने के कारणों की जाँच की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तथा ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या संबंधित ठेकेदार से इस हानि की इस बीच वसूली कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कानपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के चन्देरी डिपो में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की लागत 1,35,507 रुपये बैठती है।

(ख) ये स्टाक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुआ था क्योंकि स्टाक बहुत अधिक मात्रा में आया और मजदूरों की अपर्याप्तता के कारण गोदामों में ढुलाई नहीं हो सकी।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ). जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच में, श्रम ठेकेदार की प्रतिभूति जमा की राशि रोक ली गयी है और उसके चालू बिलों से उपयुक्त वसूलियाँ भी की जा रही हैं।

नई कृषि प्रौद्योगिकी

7825. **श्री प्रभू दास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने यह सुझाव दिया है कि छोटी जोत वाले किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने में समर्थ बनाने के लिए सहकारी आधार पर कार्य किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि हर आकार की जोत वाले सभी किसान इस नयी प्रौद्योगिकी को आसानी से अपना सकते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के सुझावों को कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। उन्होंने सुझाव दिया है कि नई तकनोलौजी, विशेषकर कीट नियंत्रण, जल प्रबन्ध, निकास नालियों और मृदा संरक्षण के पूर्ण लाभ केवल सारे ग्राम या जल प्रयोग समुदाय के समन्वित और निन्तर कार्यों से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे फार्मों के लिए सामुदायिक आधार पर बुआई, कटाई और परिसंस्करण के क्षमतापूर्ण उपकरण उपलब्ध करने की भी आवश्यकता है जो प्राय: मंहगे होते हैं। फसल आयोजन और कुशल विपणन प्रबन्धों के लिए भी सहकारी प्रयत्नों की आवश्यकता है ताकि जो वैज्ञानिक कृषि अपनाने वाले कृषकों को अच्छी आर्थिक अनुप्राप्ति सुनिश्चित कराई जा सके।

(ख) जी हाँ। नई तकनोलौजी की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषक स्वयं निर्णय लेकर इसे कितनी सुगमता से अपना और उस पर कार्य कर सकता है। उदाहरणार्थ गेहूँ के नये सस्य-विज्ञान को आवश्यक आदान प्राप्त कर सकने वाला कोई भी कृषक सफलता से अपना सकता है। इसी प्रकार कोई भी कृषक चाहे उसकी जोत का आकार

कुछ भी हो, बहुफसल पद्धति को सफलता से अपना सकता है बशर्ते कि वह ऋण और अन्य आदानों का प्रबन्ध कर सकें।

(ग) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली सहकारिता व्यवस्था का स्वरूप भिन्न-भिन्न होगा। राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्यवाही करनी होगी।

(घ) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने कई विकास योजनायें आरंभ की हैं, जिनके द्वारा नई तकनोलौजी को सारे देश में अपनाने के लिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम, गहन कपास जिला कार्यक्रम, बरानी खेती के लिए आदर्श परियोजनायें और बहु फसल कार्यक्रम और छोटे और सीमान्त कृषक योजनायें इनके उदाहरण हैं।

श्रीराम यूरिया के बोरों पर नाइट्रोजन की मात्रा का गलत अंकित किया जाना

7826. **श्री लालजी भाई** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अनेक स्थानों पर कृषकों को सप्लाई किए गये पोलैंड यूरिया के बोरों पर अंकित नाइट्रोजन का प्रतिशत शत प्रतिशत सही पाया गया जब कि वहाँ पर कृषकों को सप्लाई किये गए श्रीराम यूरिया के बोरों पर 46·04 प्रतिशत नाइट्रोजन अंकित होने पर भी उनमें 37·02 प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पायी गयी; और

(ख) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार से शीघ्र रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। अपेक्षित जानकारी मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में गन्दी बस्तियाँ हटाने संबंधी नीति

7827. **श्रीराम सहाय पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियाँ हटाने संबंधी वर्तमान नीति सफल सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि राजधानी में बहुत से क्षेत्रों में गन्दी बस्तियाँ बनती जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने राजधानी से गन्दी बस्तियाँ शीघ्र हटाने के लिए कोई योजनायें बनाई हैं और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इन गन्दी बस्तियों से हटाये जाने वाले लोगों के उचित पुनर्वास की योजनायें भी तैयार की गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) राजधानी

में गन्दी बस्ती की समस्या विराट है । तथापि, दिल्ली में गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के लिए उपलब्ध निधियों के भीतर, कुछ सफलता प्राप्त हुई है ।

(ख) गन्दी बस्तियों के निवासी सामान्यतः गन्दी बस्ती उन्मूलन के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं । गन्दी बस्ती क्षेत्रों के वातावरण संबंधी सुधार के लिए नई योजना में, चालू वर्ष के दौरान 2·5 करोड़ रुपये का नियतन राजधानी की ऐसी गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिए अलग रखा गया है जिनका निकट भविष्य में उन्मूलन नहीं किया जा सकता ।

(ग) उन गन्दी बस्ती क्षेत्रों के निवासियों को, जिनको हटाया जाना उद्दिष्ट है, पुनर्विकास के बाद यथासंभव उन्हीं क्षेत्रों में अथवा साथ वाले इलाकों में पुनः बसाया जाता है ।

राजधानी में और अधिक सरकारी अस्पताल स्थापित करना

7828. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे दिल्ली तथा आस-पास के नगरों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त हैं;

(ख) क्या उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा इस संबंध में लोगों की आवश्यकताओं के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या राजधानी के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक अथवा दो और सरकारी अस्पताल खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की 52·26 लाख की आबादी के लिए 9740 पलंग हैं और यह संख्या प्रति हजार 0·49 के अखिल भारतीय पलंगों के अनुपात के मुकाबले में 2·3 बैठती है । भारत के अन्य राज्यों की तुलना में भी यह संख्या सर्वाधिक है ।

(ख) अस्पताल अध्ययन दल ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उपलब्ध अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं के बारे में 1968 में एक अध्ययन किया था ।

(ग) जी हाँ । दिल्ली प्रशासन ने हरी नगर में खोले जाने वाले 500 पलंगों वाले अस्पताल में 54 पलंग पहले ही चालू कर दिए हैं और शाहदरा में भी 500 पलंगों वाला एक अस्पताल खोला जा रहा है।

दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग

7829. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में प्रायः बिस्तर खाली पाये जाते हैं जबकि सरकारी अस्पतालों में रोगियों की अत्यधिक भीड़ रहती है जिन्हें बिस्तरों की कमी के कारण महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे दिल्ली में लोगों के सामान्य लाभ के लिये प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा सरकारी अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सामान्य पलंगों वाले लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों के 90 प्रतिशत से अधिक पलंगों का वर्षभर में पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। नेत्र अस्पतालों जैसे विशिष्ट अस्पतालों का आपरेशन के मौसम में (अक्तूबर-मार्च) पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। जब आपरेशन का मौसम नहीं होता है, उन दिनों इनका इतना उपयोग नहीं किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ होने का मुख्य कारण यह है कि इनमें मुफ्त उपचार किया जाता है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पैसा देना पड़ता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि

7830. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान की अच्छी किस्म सहित अधिक उपज वाली दो किस्मों आई० ई० टी० 1991 तथा आई० ई० टी० 1039 के बोये जाने से देश में चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की आशा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) अधिक उपज वाली इन दोनों नई किस्मों की प्रत्येक राज्य में कितना उत्पादन तथा कितने एकड़ भूमि में खेती की जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चालू वर्ष के दौरान चावल की इन नई उत्पादनशील किस्मों के विषय में परीक्षण किए जा रहे हैं। आशा है कि परीक्षण सफल होने पर ये किस्में कृषकों में लोकप्रिय हो जायेंगी और इससे चावल का उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

(ख) दोनों ही किस्में पतली और लम्बी हैं और इनकी उपज-क्षमता जमा और आई० आर०-8 जैसी अधिक उत्पादनशील मौजूदा किस्मों जैसी है। ये अगेती किस्में हैं और यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं जहाँ खेतों में जल-लग्नता या जल-निकासी का उचित प्रबन्ध न होने से हानि नहीं होती।

(ग) दोनों ही किस्मों को मिनीकित कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए सम्मिलित कर लिया गया है। खरीफ के आगामी मौसम के दौरान इन किस्मों की सम्भाव्यताओं और कृषकों में उनकी लोकप्रियता के विषय में पता चल सकेगा और उसके अनुसार ही अगले वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन की योजना बनाई जायेगी।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

7831. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक ने 1 मई, 1972 को नई दिल्ली में यह कहा था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की बुराई ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया है कि "हम ज्वालामुखी पर बैठे हुये हैं तथा एक दिन इसका विस्फोट होगा";

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत में गत तीन वर्षों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की इस बुराई में किस प्रकार की वृद्धि हुई है;

(घ) इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) अब तक की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने 1 मई, 1972 को खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की 17 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए देश में खाद्य वस्तुओं में व्यापक रूप से मिलावट किये जाने पर सरकार की चिन्ता प्रकट की।

(ख) खाद्य अपमिश्रण के आतंक को रोकने की आवश्यकता को सरकार समझती है और वह इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक कदम उठा रही है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मिलावटी पाये गये नमूनों का प्रतिशत घटता जा रहा है।

(घ) खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही अधिक कड़ा कर दिया गया है और राज्यों से कह दिया गया है कि वे अधिनियम को ठीक से लागू करें।

(2) संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलकर मिलावट को रोकने के लिये एक केन्द्रीय यूनिट बना दिया गया है। यह यूनिट मुख्यतः अन्तर्राज्यीय अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में निर्धारित कार्यों को करती है तथा राज्य सरकारों को तकनीकी मार्ग-दर्शन देने में सहायता करती है।

(3) गाजियाबाद में एक नई खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला खोली जा रही है ।

(4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में खाद्य विश्लेषकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है । अपने-अपने राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों में खाद्य निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

(ङ) पिछले पाँच वर्षों में मिलावटी पाये गये नमूनों का प्रतिशत गिरा है । 1965 में जहाँ यह संख्या 31·1 थी, वह 1970 में घट कर 20·7 हो गई है ।

गाँवों में पानी की सप्लाई के लिए आबंटित परिव्यय

7832. **श्री के० बालतन्डायुतम :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गाँवों में पानी की सप्लाई के लिए कुल कितना परिव्यय आबंटित किया गया है;

(ख) योजना के पहले तीन वर्षों में कुल आबंटित परिव्यय में से कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) योजना के पहले तीन वर्षों में राज्यवार कितने गाँवों में सुरक्षित पीने योग्य जल की व्यवस्था की गई है; और

(घ) योजना के शेष दो वर्षों में राज्यवार कितने और गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 123·52 करोड़ रुपये ।

(ख) व्यय संबंधी सूचना जैसा कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बनाई गई है, इस प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष		व्यय
1969-70		18·27
1970-71		18·20
1971-72		16·48
	कुल	52·95

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हुगली पायलट सेवा के लिए मास्टर मैरीनर सर्टीफिकेट प्राप्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता तथा पायलटों के वेतन मान में पुनरीक्षण

7833. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन को अपनी हुगली पायलट सेवा के लिये मास्टर मैरीनर सर्टी-फिकेट प्राप्त व्यक्तियों के न मिलने के कारण काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या विज्ञापनों के संदर्भ में आवेदन-पत्र न आने के कारण पालयट संवर्गकरण में 30 पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) क्या अर्हता प्राप्त व्यक्ति न मिलने का मुख्य कारण यह है कि भारतीय तथा विदेशी जहाजरानी कम्पनियाँ कहीं अधिक वेतन देती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो हुगली नदी में जहाज चलाने के लिये कुशल पायलटों की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये मास्टर मैरीनर सर्टीफिकेट प्राप्त पायलटों के वेतनमानों में पुनरीक्षण करने पर विचार किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को इनकी पायलट सेवा के लिए मास्टर मैरीनर्ज (विदेश गामी) प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) प्रशासनिक पदों सहित 113 की कुल संवर्ग संख्या में से मौजूदा वास्तविक संख्या 71 है । परन्तु वर्तमान यातायात के आधार पर, पत्तन आयुक्तों की वास्तविक आवश्यकता 80 पायलट है और केवल 9 की वास्तविक कमी है और इनमें से चार की शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना ।

(ग) यह भी सच है कि दोनों भारतीय और विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा मास्टर नाविकों को अधिक वेतन और बेहतर सेवा नियमों की पेशकश के कारण वे कर्मचारी कलकत्ता पायलट सेवा में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं ।

(घ) कलकत्ता पत्तन में पायलटों के मौजूदा वेतन मानों में फिलहाल किसी संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फिर भी यथावश्यकता इस कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं । कलकत्ता पायलट सेवा में भर्ती के लिए फर्स्ट मेट तथा सैकण्ड मेट (विदेश गामी) प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में विचार करने और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देने का भी फैसला किया गया है, जैसा कि 1964-65 में कलकत्ता की समुद्री सेवाओं के पुनर्गठन से पहले व्यवहार्य था । वास्तव में, पायलट सेवा के मौजूदा 71 अधिकारियों की संख्या में से केवल लगभग 20 मास्टर नाविक हैं ।

भारतीय नौवहन निगम (इण्डियन शिपिंग कारपोरेशन) द्वारा बड़े तेलवाहक जहाजों का लिया जाना तथा उनका प्रयोग किया जाना

7834. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवाहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया सहित भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा अब तक कितने बड़े तेलवाहक जहाज खरीदे गये हैं;

(ख) क्या भारतीय पत्तनों पर उनके ठहरने के स्थान की कमी के कारण इन तेलवाहक जहाजों का लाभदायक ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या बड़े तेलवाहक जहाज खरीदते समय इस परिस्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से अनुमान नहीं किया गया था; और

(घ) तेलवाहक जहाजों के ठहरने के लिए आवश्यक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विभिन्न पत्तनों पर कौन-कौन सी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (प्रत्येक 33,000 से 87,700 डी० डब्ल्यू० टी० के) सात बड़े आकार के तेल वाहक पोतों को भारतीय नौवहन कम्पनियों ने अब तक अर्जित किया है । इनमें शिपिंग कारपोशन आफ इण्डिया द्वारा अर्जित किये गये चार तेलवाहक पोत शामिल हैं ।

(ख) और (ग). सात बड़े आकार के तेलवाहक पोतों में से एक पोत भारत के समुद्रपारीय व्यापार पर लगा है और शेष छः पोत अन्तर्राष्ट्रीय पारगामी व्यापार पर लगे हैं । यह सच है कि प्रत्येक 80,000 डी० डब्ल्यू० टी० से अधिक के दो बड़े आकार के तेलवाहक पोत मद्रास आइल रिफाइनरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष रूप से अर्जित किये गये थे, क्योंकि मद्रास में तेल गोदी के निर्माण में विलम्ब होने के कारण इनका भारतीय पत्तनों पर उपयोग नहीं किया जा सका ।

(घ) बड़े आकार के तेल वाहक पोतों के लिये धाट सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

(1) **मद्रास** : 42 फु० डुबाव की मद्रासबाह्य बन्दरगाह परियोजना का भाग बनने वाली एक तेल गोदी की 1973 के मध्य जनवरी तक चालू होने की संभावना है ।

(2) **कोचीन** : 40 फुट डुबाव के पोतों की धरा-उठाई की क्षमता वाली एक तेल गोदी के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ।

(3) **हल्दीया** : हल्दीया परियोजना के भाग के रूप में अगस्त 1968 से एक तेलघाट को पहले ही चालू कर दिया गया है । डुबाव जो अब उपलब्ध है, 30 फुट है । डुबाव की 1975 में 35 फुट और 1980 में 40 फुट तक उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने की संभावना है ।

Fall in Price of Agricultural Products and its effect on Rural Economy

7835. **Dr. Laxminarain Pandey** : will the **Minister of Agriculture** by pleased to state.

(a) whether the prices of various agricultural products have gone down considarably these days;

(b) whether as a result thereof great discontentment is prevailing among the farmers and rural economy has received a serious set back; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, to the steps taken by Government to stabilise prices of agricultural products by checking decline in prices.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A mixed trend has been shown by prices of various agricultural products. While current prices of all foodgrains and gur are generally higher than last year, those of certain cash and plantation crops like cotton, groundnut and coconut are comparatively lower.

(b) Some representations were received from organisations of farmers etc. with regard to falling trend shown by prices of certain commodities. However, in some cases, the fall was in the nature of a corrective to higher levels reached in previous years and it is not correct to say that these have caused a serious set-back to the rural economy.

(c) A mumber of steps have been taken by the Government from time to time to prevent undue fall in prices. These include fixation of remunerative support procurement and purchase prices for foodgrains and certain other commodities, liberalisation of credit facilities, adjustments in import and export policies and purchases by State agencies like Food Corporation, Cotton and Jute Corporations and State Trading Corporation. Recently, a Team of Officers has visited Kerala to study the position in regard to prices of coconuts and its products. The report submitted by the Team is under consideration.

Imbalance in Facilities in Rural and Urban Areas Under Health Projects

7836. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is a great imbalance in the facilities provided in rural and urban areas under the health projects;

(b) whether the expeditious provision of the said facilities in rural areas is essential; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes. There is imbalance in regard to the medical and health care facilities in rural and urban areas.

(b) Yes.

(c) A Master Plan for provision of Health, Medical and Family Planning services in rural areas has been prepared. The Plan includes 8 schemes enumerated below :

1. Revised pattern of sub-centres attached to Primary Health Centres-Provision of ANMs and Basic Health Workers.
2. Establishment of Primary Health Centres in Blocks which are without them and addition of family Planning wings to each of the PHCs—Completion of buildings of Primary Health Centres and staff quarters—Augmentation of staff and provision of drugs and equipment.
3. Development of Referral Services-Upgradation of Primary Health Centres/ Dispensaries to 25 bed Hospitals.
4. Mobile Training-cum-Service Hospitals and Dispensaries on contributory basis.
5. Hospitals and Dispensaries—Involvement in preventive and promotion care.
6. Role of Voluntary Organisations in running Medical Institutions.
7. Special camps.
8. Village Sanitation.

These Schemes are in various stages of implementation.

Efforts are also being made to utilise the available personnel under the various systems of medicines for strengthening the medical and healh care facilities in rural areas.

ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं की सेवा की शर्तें

7837. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री दिनेश जोरदार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं की समान सेवाशर्तें क्या हैं;

(ख) समूचे देश में इन कार्यकर्त्ताओं के लिए सेवा की शर्तें समान बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन कार्यकर्त्ताओं की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान समय में हमारे देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह पर्याप्त है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें 11 राज्यों, जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है, के ग्राम सेवकों की सेवा शर्तें दी गई हैं। ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएँ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उनकी सेवा-शर्तें स्वभावत: हर राज्य में भिन्न-भिन्न हैं, जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के मामले में है, और ये एक समान नहीं हो सकती हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3089/72.**]

(ग) प्रारम्भ में ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं को क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष का पूर्व-सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उनकी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें 2 महीने के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। यद्यपि ग्राम सेवकों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए एक साल का विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाता है, तथापि उनमें से चुने हुए तथा बहुत अच्छे व्यक्तियों को बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर) डिग्री तक का उच्च प्रशिक्षण पाने का अवसर भी दिया जाता है।

(घ) जी हाँ।

दिल्ली की शिक्षा संहिता में संशोधन

7838. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा संहिता, 1965 के अनुच्छेद 318 में इस बीच संशोधन कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो संशोधन का उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या संहिता की प्रति सहित (यदि सम्भव हो) संशोधित अनुच्छेद की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ।

(ख) स्कूलों में दाखिलों को नियमित तथा बुद्धिसंगत बनाने के लिए।

(ग) इस अनुच्छेद के संबंध में दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) द्वारा जारी किए गए संशोधन सहित दिल्ली शिक्षा संहिता 1965 के मूल अनुच्छेद 318 की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3090/72.]**

ओला-वृष्टि तथा वर्षा के कारण फसल को क्षति

7839. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में असामयिक वर्षा तथा ओला-वृष्टि के कारण खड़ी फसल आदि को राज्यवार अनुमानतः कितना नुकसान हुआ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत फसल अधिक होने की आशा है; और

(ग) खाद्यान्न आदि की सरकारी खरीद के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया जा रहा है तथा बिचौलियों के लाभ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) चालू रबी मौसम 1971-72 में, उपलब्ध मौसमी रिपोर्टों से पता चलता है कि बेमौसमी ओला-वृष्टि और वर्षा के कारण फसलों का थोड़ा सा नुकसान हुआ, परन्तु यह स्थानीय प्रकार का था। अतः चिन्ता की कोई बात नहीं है।

(ख) चालू वर्ष 1971-72 के फसल उपज के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1972 में किसी समय प्राप्त होने की संभावना है। तथापि मौसम और फसल परिस्थितियों की जानकारी की परिशुद्धता के आधार पर पिछले वर्षों की तुलना में, देश में समग्ररूप से चालू वर्ष के दौरान गेहूँ और अन्य रबी फसलों के अधिक उत्पादन की आशा है।

(ग) खाद्यान्नों को जिस मूल्यों पर खरीदा जाता है उन अधिप्राप्ति मूल्यों को दिखाने वाला, एक विवरण नीचे दिया गया है। अधिप्राप्ति मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। एजेन्ट नियुक्त करते समय सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्य निगम अपने प्रत्यक्ष खरीद स्थानों पर कृषकों से भी अनाज खरीदती है।

विवरण

क्र० सं०	जिन्स	खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
1.	गेहूँ (i) देशी आम सफेद और मैक्सीकन किस्म	76·00
	(ii) देशी लाल किस्म	71·00 और 74·00 के बीच
2.	धान (मानक किस्म)	47·00 से 58·00
3.	चावल (यथोक्त)	74·30 से 95·25
4.	ज्वार (औसत अच्छी किस्म)	55·00 *
5.	बाजरा (यथोक्त)	55·00 *
6·	मक्का (यथोक्त)	55·00 *
7.	रागी (यथोक्त)	55·00 *

* केन्द्रीय पूल खरीद के लिए।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई गई अतिरिक्त एक्सप्रेस बसें तथा प्राप्त राजस्व

7840. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा दिल्ली परिवहन को अपने नियंत्रण में लिए जाने के उपरान्त से 30 अप्रैल, 1972 तक कितनी अतिरिक्त एक्सप्रेस बसें चलाई गईं;

(ख) उक्त अवधि में अतिरिक्त बसें चलाये जाने के फलस्वरूप लोगों से कितना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रति यात्री समय की औसतन कितनी बचत हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 3 नवम्बर, 1971 से दिल्ली परिवहन निगम बनने के पश्चात् 48 एक्सप्रेस बसें, जिन में 20 संधि-युक्त डबल डैक बसें शामिल हैं, चालू की गई।

(ख) इन बसों से हुई अतिरिक्त आय ठीक ठीक बताना संभव नहीं है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम आय का बस वार रिकार्ड नहीं रखता।

(ग) प्रति यात्री को अपनी यात्रा के समय में 5 से 20 मिनट के समय तक की बचत होती है।

विदेशी जहाजी व्यापारियों द्वारा भाड़े में की गई वृद्धि पर आपत्ति

7841. **डा० रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विदेशी जहाजी व्यापारियों द्वारा भाड़े में एकतरफा वृद्धि करने के सुझाव पर ईस्ट इंडिया शिप्पर्स एसोसिएशन ने आपत्ति की है क्योंकि इससे उनके जहाजरानी उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या भारतीय जहाजरानी निगम विदेशी जहाजी व्यापारियों की भाड़े में वृद्धि करने संबंधी माँग का समर्थन कर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है तथा किसी निष्कर्ष पर पहुँची है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ।

(ख) नौवहन सम्मेलन, जिसका भारतीय नौवहन निगम एक सदस्य है, ने भाड़ा वृद्धि की माँग इस कारण से उचित ठहरायी है कि वह परिचालन लागतों पर अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं। परन्तु भारतीय नौवहन निगम वृद्धि की परिमात्रा में कमी करने के लिए जोर दे रहा है।

(ग) भाड़ा दरों में वृद्धि करने वाले सम्मेलनों को विरोध-पत्र भेजे जाते हैं और उन्हें भाड़ा-वृद्धियों को अन्ततोगत्वा लागू करने से पूर्व प्रस्तावित भाड़ा वृद्धियों का औचित्य ठहराते हुए विस्तृत आँकड़े भेजने तथा पोत वणिकों तथा सरकार से इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है।

सेन्ट्रल इस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज, कोचीन के प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षावृत्ति की सुविधाएँ

7842. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज़, कोचीन से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिक्षावृत्ति की पर्याप्त सुविधायें विद्यमान नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ऐसी कानूनी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिसके अन्तर्गत निजी जहाजों के मालिकों को इन प्रशिक्षणार्थियों को अपने जहाजों में स्थान देना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मीन-उद्योग परिचालन संस्था, कोचीन में फिशिंग सैकिण्डहैंड्स तथा इंजन ड्राईवरों के रूप में सांस्थानिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिक्षावृत्ति (निर्धारित समुद्री-समय पूरा करने) के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी उद्योग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सिफारिश की जाती है इसके अतिरिक्ति गैर-सरकारी तौर पर अप्रयोजित प्रशिक्षणार्थी भी होते हैं। सांस्थानिक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् निर्धारित समुद्री-समय पूरा करने के लिए दी जाने वाली सुविधायें सामान्य तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की माँगों तक सीमित रखी गई हैं। अन्य प्रशिक्षणार्थियों को समुद्री-सेवा के लिए अपेक्षित समय पूरा करने हेतु पर्याप्त टन-भार/अश्व-शक्ति के पोतों पर स्थान प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हुई है।

(ख) वर्ष 1971 में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया था। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी उद्योग के पर्याप्त टन-भार/अश्व-शक्ति के पोतों की संख्या प्रत्याशा से काफी कम है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों से स्थिति का सामना करने का प्रस्ताव है। जहाँ तक अल्पकालीन उपायों का संबंध है, फिशिंग सैकिण्डहैंड प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित समुद्री-समय प्रदान करने के लिए नए पोतों और केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रयोग में लाये जाने वाले पोतों में कुछ नाविकों के पदों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इंजन ड्राईवरों के लिए सीटों की माँग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न पोतों के इंजन-कक्ष सहायकों के 20 पदों के सृज की एक योजना विचाराधीन है। दीर्घकालीन उपायों के संबंध में सरकार ने उपलब्ध सुविधाओं और उन प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिशत के संदर्भ में जिन्होंने सांख्यानिक प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त वास्तव में जल परिवहन विभाग का टिकट प्राप्त कर लिया है, संस्थान के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने और संस्थान के कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। समिति की सिफारिशों के संदर्भ में दीर्घकालीन उपायों पर विचार किया जायेगा।

(ग) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में समुद्र तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्यहरण करने के पोतों का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। सामान्यतौर पर ऐसे पोतों के प्रचालक

प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। ज्योंही और अधिक पोतों को प्रयोग में लाया जायेगा, उपयुक्त कार्यवाही के लिए स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

तमिलनाडु में गैर विद्यार्थी युवा वर्ग के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता

7843. **श्री एम० राजंगम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में गैर विद्यार्थी युवा वर्ग के कल्याण के लिए केन्द्र ने चौथी योजना में कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : गैर-विद्यार्थी युवक कार्यक्रमों के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु सरकार को अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। राज्य सरकारों से, कार्य केन्द्रों तथा युवक केन्द्रों की स्थापना से संबंधित अपने प्रस्तावों के ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है।

Hindi Medium for Teaching Law in Indian Universities

*7844. **Shri Sudhakar Pandey :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Universities in the country where education in law is being imparted through Hindi medium;

(b) the names of the Universities where arrangement is being made to impart education in Law through Hindi medium ?

The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b). According to available information, Ordinances/regulations of the Universities of Agra, Allahabad, A. P. Singh, Banaras, Bhopal, Gorakhpur, Gujarat, Indore, Jabalpur, Jiwaji, Lucknow, Jodhpur, Kanpur, Meerut, Rajasthan, Ravi Shankar, South Gujarat, Udaipur and Vikram provide for the teaching of Law through the medium of Hindi. Specific information as to which of these Universities is actually imparting education in Law through the Hindi medium is not available.

Publication of Text Books

7845. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the **Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state the number of text books above Higher Secondary Standard published in Hindi so far by his Ministry and the State Governments during the last three years and the number of those being published and the subject-wise position thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : The relative information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Persons Awarded Ph. D. Degree in Hindi

7846. **Shri Sudhakar Pandey :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the number of persons who have been awarded Ph. D. degree in any topic in Hindi from

different Universities during the last three years and the number thereof who have been awarded Ph. D. degree in other subjects ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : A statement giving the available information for the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is attached. Similar information for subsequent years is not available. [*Placed in Library. Please see* No. L. T. 3091/72.]

सेन्ट्रल स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में शिक्षा का माध्यम

7847. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल स्कूल, पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान द्वीप समूह) में शिक्षा का माध्यम क्या है और इसको किस तारीख से लागू किया गया; और

(ख) क्या उक्त स्कूल में पहले शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). 1967 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस स्कूल को अपने संचालन में लेते समय यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम सहित पोर्ट ब्लेयर में पहले ही मौजूद था। उस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के बारे में शिकायतें मिलने पर यह निर्णय किया गया था कि संगठन द्वारा अनु-रक्षित सभी केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को अभिग्रहण किया जाय। इस नीति के अनुसार शिक्षा का माध्यम सामाजिक अध्ययन तथा मानविकी के लिए हिन्दी और विज्ञान एवं गणित के लिए, अंग्रेजी होगा। पोर्ट ब्लेयर स्कूल में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है।

कलकत्ता पत्तन पर अयस्क तथा इस्पात को उतारे जाने का कार्य

7848. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर अयस्क तथा इस्पात उतारने का कार्य कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्य में लगे मजदूरों को बेरोजगारी तथा कम आय की समस्या का सामना है; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). कलकत्ता पत्तन से होकर लौह अयस्क और इस्पात निर्यात की मात्राओं में कमी के फलस्वरूप इन

परिचालनों पर लगे ठेकेदारों के अधीन मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है जोकि पत्तन में कम डुबाव के कारण और देश में ही बढ़ती हुई माँगों के कारण निर्यात के लिए इस्पात के कोटे में कमी के कारण भी कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क को स्वीकार करने की मुख्यतः विदेशी खरीदारों की अरुचि से उत्पन्न हुई है। मजदूरों के संगठनों से इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

Accumulation of Filth in North Avenue Flats, New Delhi

7849. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether filth has accumulated in between the M. Ps' Flats in North Avenue, New Delhi;

(b) if so, whether the mosquito menace is posing a serious danger to the health of the people; and

(c) the steps taken by Government to remove the filth accumulated in the space lying vacant between these flats at North Avenue ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

Survey for Growing Suitable Crop in a Particular Area

7850. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government feel the necessity of conducting a survey of each Block and Gram Panchayat so that the farmers of each area as well as Government get the correct information as to the type of crop produced in abundance in a land of a particular area and accordingly crop-programme and scheme for Government assistance are implemented in order to take maximum advantage; and

(b) if so, the action taken in this regard and the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Conducting of surveys already forms an essential part of the integrated agricultural development programme being planned and implemented in Blocks and Gram Panchayats. These programmes are planned and executed by the State Directors of Agriculture through their district staff taking into consideration all factors which help in increasing agricultural production.

(b) Does not arise.

युवकों में हृदय रोग

7851. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 अप्रैल, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के बम्बई संस्करण में 'टेन मिलियन यूथ्स हैव हार्ट ऐलमेंट' (एक करोड़ युवकों को हृदय रोग है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय पर हुई परिचर्या की पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है और इस विषय पर विचार किया जायेगा।

Artificial Seeds Supplied to Bihar

7852. **Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received information that artificial seeds are being supplied on a large scale in Bihar State;

(b) if so, whether Government propose to take any action to check it or issue any directions to the State Government in this regard; and

(c) whether some persons have also been arrested in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No information in this regard has been received from the Government of Bihar. The State Government has, however, been requested to report the position.

(b) and (c). Necessary information will be furnished on receipt of the report from the State Government.

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में कानून बनाने के उपरान्त उपलब्ध फालतू भूमि तथा उसका आबंटन

7853. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विधान सभाओं द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में प्रस्तावित कानून बनाने के उपरान्त उपलब्ध फालतू भूमि के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) क्या सरकार ने फालतू भूमि के आबंटन के बारे में योजना बनाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह जानकारी माँगी है कि अनुमानतः कितनी अधिशेष भूमि उपलब्ध हो जाने की संभावना है। समस्त राज्यों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

हैक्साक्लोरोफीन के कुप्रभाव पर अध्ययन

7854. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हेक्साक्लोरोफीन के प्रयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) मनुष्य के काम में आने वाली ऐसी कौन सी वस्तुयें हैं जिनमें हेक्साक्लोरोफीन का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) क्या विश्व में किसी देश ने इसके प्रयोग पर रोक लगाई है; और यदि हाँ, तो उन देशों में इस पर कब से रोक लगाई गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मनुष्य के शरीर पर हेक्साक्लोरोफीन के कुप्रभावों के बारे में भारत में कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हेक्साक्लोरोफीन का प्रयोग टैलकम पाउडरों, टूथ पेस्टों, हेयर शैम्पुओं, साबुनों और दुर्गन्धहरों में तथा रोगाणुरोधक के रूप में लोशन और मरहमों में किया जा रहा है।

(घ) इस मंत्रालय को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी देश में हेक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर पूरी रोक लगाई गई है। फिर भी ऐसा समझा जाता है कि अमरीका और इंग्लैंड में संबंधित अधिकारियों ने फिलहाल दवाइयों और प्रसाधन की वस्तुओं में हेक्साक्लोरोफीन के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं।

World Bank Aid to Land Development Bank of Mandsaur in M. P. for Minor Irrigation Scheme

7855. **Shri Phool Chand Verma** :
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether World Bank has included the Land Development Bank of Mandsaur

District in Madhya Pradesh in its minor irrigation scheme and whether the World Bank would give about Rs. 3 crores for various minor irrigation schemes during the next year;

(b) whether the World Bank Proposes to advance loans to some more Districts in Madhya Pradesh under the Minor Irrigation Scheme; and

(c) if so, the names of such districts and complete details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). A credit project for Madhya Pradesh which includes development of minor irrigation as a component has been presented to the World Bank for assistance and a team from the World Bank recently visited the State to examine the proposals. Further developments are awaited. Mandsaur district is included in the project report as prepared by the State Government.

सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के ग्रामीण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय अनुदान

7856. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सदा सूखा-ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए ग्रामीण कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था तथा इस योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या इस नियत राशि का प्रत्येक राज्य में योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उपयोग किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की नई योजना के अन्तर्गत इसे 1972-73 से केन्द्रीय योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए पंच वर्षीय योजना से बाहर केन्द्रीय क्षेत्र का ग्राम निर्माण कार्यक्रम 1970-71 में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में संस्वीकृत राज्यवार परि-व्यय और कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। इससे पता चलेगा कि कुछ राज्यों ने द्वितीय वर्ष में कार्यक्रम की गतिविधियाँ बढ़ा दी थीं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—3092/72.]

(ग) ग्राम निर्माण कार्यक्रम को अब सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के नये नाम से पुकारा जाने लगा है और वर्ष 1972-73 से इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यम/लघु सिंचाई कार्यों, भूमि संरक्षण, वन रोपण, चरा-गाह विकास तथा सड़क निर्माण जैसे उत्पादक और श्रम प्रधान कार्यों की व्यवस्था द्वारा देश के

निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहने वाले 54 जिलों में अभावात्मक परिस्थितियों की विकरालता को कम करना था। इन कार्यों से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्येक चुनींदा जिले को चार वर्षीय कार्यक्रम के लिए 1970-71 से 1973-74 तक की अवधि में लगभग दो करोड़ रुपये का परिव्यय प्राप्त होने की संभावना है।

आर्किटेक्टों (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा निजी कार्य किया जाना

7857. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग के कुछ आर्किटेक्ट बेनामी नामों पर निजी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

7858. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष जाँच डिवीजन (स्पेशल इन्वैस्टीगेशन डिवीजन) की योजनाओं के अन्तर्गत जिसमें राज्यों को केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है केरल राज्य में कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की संख्या कितनी है और ये केरल में किस-किस स्थान पर शुरू की गई हैं;

(ग) केरल में केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में अब तक कितनी राशि व्यय हुई है; और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या केरल सरकार ने अब कठिन तथा कमी करने वाले क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाओं और प्राक्कलनों को तैयार कर लिया है और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). विशेष जाँच प्रभागों की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अधीन केरल में जुलाई, 1963 से तीन उप प्रभागों वाला एक प्रभाग कार्य कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कठिन एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति की समस्या का पता लगाने एवं जाँच करने तथा तद्-

विषयक आँकड़ों आदि का संकलन करने में मदद करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) जब से यह प्रभाग खोला गया है तब से मार्च, 1972 तक इस पर 19·01 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस राज्य के कुल 1574 ग्रामों में से इस प्रभाग ने अब तक 519 ग्रामों का सर्वेक्षण कर लिया है।

(घ) विशेष जाँच प्रभागों का काम कठिन एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति की समस्या का प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना है किन्तु इनका काम न तो विस्तृत योजनाओं एवं प्राक्कलन तैयार करना है और ना ही जलपूर्ति योजनाओं का संचालन करना है। वैसे, विशेष जाँच प्रभागों की योजना के काम को पूरा करने के लिए एक योजना हाल ही में शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर विशेष प्लानिंग एवं डिजाइन सेल खोलने की संस्वीकृति दी गई है। ये सेल ग्राम जलपूर्ति योजना के लिए विस्तृत योजनाएँ एवं प्राक्कलन तैयार करेंगे। इस योजना के अधीन दिसम्बर, 1971 में केरल राज्य को दो उप प्रभागों वाले एक प्रभाग की मंजूरी दी गई। इस नये प्रभाग ने अब तक कितनी प्रगति की है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

Survey in Regard to Cost and Other Aspects of Construction of Houses

7859. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Housing Organisation has undertaken survey in regard to cost and other aspects of construction of houses as reported in the "Hindustan" dated the 8th May. 1972;

(b) whether the survey would be undertaken in urban areas firts; and

(c) if so, the names of cities where survey would be undertaken first and the full details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes. The National Buildings Organisation has organised through the National Sample Survey a sample survey with the main objective of collecting data about private investment made in housing and building by the household sector and the financing aspects of such investment; in this survey some incidental information on cost and other aspects of construction may become available. The field work of the survey is being done by National Sample Survey Organisation.

(b) The present survey is meant for urban areas only. National Sample Survey Organisation will collect, later on, similar information in respect of rural areas a part of their regular socio-economic enquiry.

(c) The survey has started simultaneously in all States in May, 1972. The field work relating to data collection will take about a year to complete. The names of towns are given in the enclosed list. [*Placed in Library. Please See* No. LT—3093/72.]

नर्मदा और ताप्ती नदियों के तलकर्षण की योजना

7860. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदियों के तलकर्षण की कोई योजना है;

(ख) क्या यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या राज्य सरकार को काम करने के बारे में पूरी जानकारी है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). नर्मदा और ताप्ती के मुहानों के पास बलुईभित्तियों के निकर्षण की योजना है। इस प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 110 लाख रुपये की लागत पर गुजरात सरकार द्वारा निकर्षक उपस्कर की खरीद को स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त से पहले उपस्कर खरीदने का प्रयत्न किया जायेगा; राज्य सरकार के पास इस निकर्षक कार्य करने के लिये आवश्यक आँकड़े और जानकारी है।

साक्षरता के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2324 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U. S. Q. NO. 2324 DATED APRIL 12, 1972 *RE*. LITERACY :

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : 10-4-72 को लोक सभा में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2324 के भाग (ख) के उत्तर से संलग्न साक्षरता प्रतिशत के विवरण में कालम 11,12 और 13 के अन्तर्गत मौजूदा आँकड़ों के बदले असम और मेघालय के सामने दिये गये आँकड़े पढ़े जायें :

राज्य का नाम	11, 12 और 13 कालम के अन्तर्गत वर्तमान आँकड़ों के लिए			11,12,13 कालम के अन्तर्गत निम्नलिखित आँकड़े पढ़े जायें		
असम	39·71	17·11	29·19	37·75	15·67	27·47
मेघालय	21·44	15·36	18·47	30·71	20·45	25·71

उत्तर के संशोधन में विलम्ब का कारण वस्तुतः यह है कि जनगणना आयुक्त द्वारा उनकी पुस्तक ''1971 का (पेपर 1) आँकड़ा लेख—अस्थायी जनसंख्या योग'' के संबंध में जारी किये गये शुद्धिपत्र का पता बाद में लगा था।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had given notice of an adjournment motion.

Mr. Speaker : I have not taken any decision on that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has been reported that India is doing trade with Rhodesia.

Mr. Speaker : Let me ascertain the facts in the first instance.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are you admitting it as a Calling Attention Motion ?

Mr. Speaker : Let me first see the facts.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : राष्ट्रपति निक्सन और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव श्री ब्रेजनेव के बीच मास्को में जो समझौता हुआ है उस पर संसद में बहस होनी चाहिए। इस बारे में मैंने आपको पत्र लिखकर अनुरोध भी किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने अनुरोध किया था, न कि कोई प्रस्ताव भेजा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : फरक्का बाँध से हुगली नदी में पानी की मात्रा और विदेश व्यापार मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा पटना में जूट के समर्थन-मूल्य के बारे में दिये गये वक्तव्य के बारे में मैंने पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपके पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब कोई भी मंत्री नीति संबंधी घोषणा संसद के बाहर नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा सदन में और उसके बाहर दिये गये वक्तव्यों में विरोधाभास है। क्या कलकत्ता बन्दरगाह को 40,000 क्यूसैक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहूँगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) 'पैट्रियाट' समाचार-पत्र में प्रकाशित 'हरिजन महिला के साथ बलात्कार' संबंधी समाचार के बारे में गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। मैंने आपको इस बारे में पत्र भी लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी उसे नहीं देखा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पत्र

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) (क) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, का 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०—3071/72.]

(दो) (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल०टी०--3072/72.]

(2) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वर्ष 1969-70 संबंधी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3073/72.]

अतारांकित प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं सरकारी आवासों पर कब्जा किए हुए भूतपूर्व संसद सदस्यों के बारे में श्री शशि भूषण के अतारांकित प्रश्न संख्या 4447 के 1 मई, 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और उस उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3074/72.]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम,

1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 215 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 240 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3075/72.**]

दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1972

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 342 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—3076/72.**]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास का वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—3077/72.**]

सदस्य को वापस जेल भेजना

REMAND OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि त्रिवेन्द्रम् के सब-मजिस्ट्रेट से दिनांक 26 मई, 1972 का एक तार मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री ए० के० गोपालन को, जिन्हें 1961 के अधिनियम 5 की धारा 47, 38 (2) और 52 के अधीन त्रिवेन्द्रम् में गिरफ्तार किया गया था, 5 जून, 1972 तक के लिए सेन्ट्रल जेल, त्रिवेन्द्रम् में वापिस भेज दिया गया है ।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति से श्री गोलप बारबोरा द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति से श्री गोलप बारबोरा द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"भारतीय बीमा कम्पनियों और अन्य वर्तमान बीमा-कर्त्ताओं के उपक्रमों के अर्जन और उनके शेयरों के अन्तरण का, समाज के सर्वोत्तम हितों में, साधारण बीमा कारबार का विकास करते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को उत्तम ढंग से पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप जनसाधारण के हितों के विपरीत धन का संकेन्द्रण न होने पाये, तथा ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का और उससे संबद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक का प्रथम वाचन स्तर पर ही विरोध करता

हूँ, क्योंकि इस विधेयक में चार निगम बनाने की व्यवस्था है । मैं इस विधेयक का तो स्वागत करता हूँ, परन्तु निगम एक ही बनना चाहिये । प्रवर समिति को विधेयक भेजने से पूर्व मंत्री महोदय को इस पहलू पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं श्री बनर्जी से इस बारे में पूर्णतः सहमत हूँ और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विधेयक को इस रूप में पेश न किया जाए ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरा प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का है, जहाँ सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार किया जा सकता है । सरकार के विचारानुसार देश के चार भागों में चार निगमों की स्थापना से प्रतिस्पर्द्धा की भावना उनके अन्दर होगी और कार्य अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय बीमा कम्पनियों और अन्य वर्तमान बीमा-कर्त्ताओं के उपक्रमों के अर्जन और उनके शेयरों के अन्तरण का, समाज के सर्वोत्तम हितों में, साधारण बीमा कारबार का विकास करते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को उत्तम ढंग से पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप जनसाधारण के हितों के विपरीत धन का संकेन्द्रण न होने पाये, तथा ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का और उससे संबद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I rise to oppose the Bill brought by the

Hon'ble Minister. According to the Speaker's direction No. 19(A), a Minister desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice in writing of his intention to do so. The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this direction shall be seven days. It has been further provided that no Bill shall be included for introduction in the List of Business for a day until after copies there of have been made available for the use of Members at least 2 days before the day on which the Bill is proposed to be so introduced. Seven day's notice has not been given in the present case. We have received the copies of the Bill today itself. No time has been given for having a discussion in a party meeting.

In the statement of objects and reasons the Hon'ble Minister has himself admitted that an ordinance was issued in 1965 after riots took place at Aligarh. Later on, an Act was enacted as a temporary measure. Now that temporary measure is being given a permanent status. The Government should have made up its mind earlier and given notice of the Bill.

The hon. Minister has stated that the Bill has been brought to avoid unnecessary agitation by interested parties on this account and to meet the persistent demand in this behalf in and outside the Parliament. But this does not mean that rules of the House will not be observed.

This Bill is against the articles of the Constitution, because it fosters favouritism. The colleges at Aligarh would not be affiliated to Aligarh Muslim University whereas an institute at Hyderabad could be affiliated with this University. I request you to ask the Minister to introduce this Bill tomorrow.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : When the draft Bills regarding the two Universities of Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University were prepared, people had hoped that in future these Universities would be run on a secular basis. Aligarh Muslim University Bill was a temporary measure and it was kept pending for years. The Government had assured that there would be uniformity in both the Bills. Now this uniformity is not being maintained. I, therefore, oppose this Bill.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस विधेयक का सिद्धान्त के आधार पर विरोध करता हूँ, क्योंकि यह राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता और शिक्षा के लोकतान्त्रिक आदर्शों के विरुद्ध है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से क्रमशः 'हिन्दू' और 'मुस्लिम' शब्द हटाये जाने चाहियें। दोनों विश्वविद्यालयों में मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, फिर साम्प्रदायिक स्वरूप देने की क्या आवश्यकता है ? इस विधेयक के मत प्राप्त करने के संकीर्ण दृष्टिकोण पर नजर रखते हुए पुरःस्थापित किया गया है। इसमें आदर्शों, मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की गई है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 'हिन्दू' और 'मुस्लिम' स्वरूप बनाये रखने का अर्थ साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना है। हम जानते हैं कि गत 25 वर्षों में देश में अलीगढ़ और बनारस से किस-किस प्रकार की घटनाओं ने जन्म लिया। हमें देश के विभाजन के हितों को नहीं भूलना चाहिए। सरकार को प्रदर्शनों से नहीं डरना चाहिए और सभी शिक्षा संस्थाओं से साम्प्रदायिक नामों को हटा देना चाहिए। मैं इस विधेयक का प्रत्येक अवस्था में विरोध करता रहूँगा। यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन् (वाण्डीवाश) : यह विधेयक आज प्ररिचालित किया गया था और सरकार इसे एक या दो दिन में पारित करना चाहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि मंत्री महोदय इस विधेयक को आज पुर:स्थापित करके इसे प्रवर समिति को सौंप दें अथवा इस विधेयक पर चर्चा आगामी सत्र में रखी जाये तो हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस विधेयक को केवल दो दिन में पास करवाने के हम विरुद्ध हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : हम गत सात वर्षों से माँग कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक यथाशीघ्र पुर:स्थापित किया जाये। परन्तु जिस तरीके से यह विधेयक लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। यह विधेयक इस सत्र के समाप्त होने से केवल दो दिन पहले पुर:स्थापित किया गया है। इसका अध्ययन करने का भी समय नहीं है। अत: मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाये अथवा पुर:स्थापित करने के बाद इस पर आगामी सत्र में चर्चा की जाये। यह विश्वविद्यालय हमारी संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र है अत: इसका अध्ययन करने का अवसर हमें मिलना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मुझे यह समझ में नहीं आती कि सरकार इस प्रकार क्यों व्यवहार करती है जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो। इस विधेयक का अध्ययन करने का भी समय नहीं दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की जल्दबाजी करने की बजाय इस विधेयक पर चर्चा करने के निर्धारित समय में राष्ट्रपति निक्सन और श्री ब्रेजनेव के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते पर चर्चा की जाये।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : यद्यपि इस विधेयक को तैयार करने में काफी समय लगा है तथापि मैंने इस सभा में कई अवसरों पर इस विधेयक के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इस विधेयक में मुख्यत: गजेन्द्रगडकर समिति के प्रतिवेदन द्वारा की गई शिफारिशों का समावेश है। यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था और श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने बताया था कि सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है फिर सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी नीति की घोषणा कर दी है। मैं माननीय सदस्यों की कठिनाई समझता हूँ परन्तु विश्वविद्यालय का अनिश्चित स्थिति में रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये। इसको प्रवर समिति के पास भेजने अथवा इसे आगामी सत्र तक स्थगित करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1972, को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 217; विपक्ष में 39

Ages 217; Noes 39

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Nurul Hasan 'Murdabad'.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहली बार इस प्रकार के अवांछनीय शब्द सुने हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We do not agree with the hon'ble Member and would ask him to withdraw.

Mr. Speaker : Do you withdraw form words and express regret or not ?

Shri Phool Chand Verma : My sentiments have been hurt. However, if you insist I am prepared to express my regret (*Interruptions*).

Mr. Speaker : You should be sorry for what you have said.

Shri Phool Chand Verma : I express regret but my feelings have been hurt.

Mr. Speaker : This is Parliament and not a public meeting.

प्रो० एस नूरुल हसन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

Shri Atal Bihari Vajpapee : We walk out in protest against your ruling and also in protest against the unseemingly haste with which this Bill is sought to be huddled through.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ और सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee and some other Members than left the House.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (इकत्तीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 पर चर्चा करेंगे। यह विवादरहित विधेयक है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक की स्थिति क्या है? यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है और मंत्री महोदय इस सत्र में इसको पास करवाना चाहते हैं। हम इस विधेयक का अध्ययन करने के लिये अधिक समय चाहते हैं। यह बड़ा नाजुक मामला है। इस विवाद को मिटाने के लिये आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव क्यों नहीं देते?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरे विचार में इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना या आगामी सत्र तक स्थगित करना वांछनीय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार महसूस करती है कि इस विधेयक को इस सत्र में पास किया जाना चाहिये। इस सत्र के अब केवल 2 दिन बाकी हैं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस विधेयक पर 30 तारीख की बजाय 31 तारीख को विचार किया जा सकता है जिससे सदस्यों को संशोधनों के नोटिस देने का समय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : इससे सदस्यों को 2 दिन का समय मिल जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमारे अधीन कोई विभाग या सचिवालय नहीं है जो हमारा काम तुरंत कर दे। आपको हमारी कठिनाइयाँ समझनी चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है। क्या इस प्रकार की कार्यवाही लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कार्य मंत्रणा समिति को इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित करना चाहिये।

अध्क्षय महोदय : कार्य मंत्रणा समिति चर्चा का समय निर्धारित कर सकती है। विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सकती।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब कभी विधेयक को तुरन्त पास करवाया जाना हो और मंत्री महोदय उसे प्रवर समिति के पास भेजना चाहें तो मंत्री महोदय को विरोधी पक्ष के सभी नेताओं की बैठक बुलानी चाहिये और उन्हें ऐसे विधेयक को तत्काल पास करवाने के कारण बताने चाहिये । अतः आज सांय या कल प्रातः विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ क्यों न परामर्श कर लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मंत्री महोदय को करना है, मुझे नहीं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे उपरोक्त सुझाव स्वीकार है ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान में 28 वां, 29 वां और 30 वां संशोधन करने वाले विधेयक अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं । जब तक इन्हें वापिस नहीं लिया जाता तब तक 31 वें संशोधन पर कैसे विचार किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस विधेयक को पहले पास कर दिया गया तो संशोधन की क्रम संख्या को बदल दिया जायेगा । हमने पहले भी ऐसा किया है ।

श्री राम निवास मिर्धा : वर्ष 1947 में शक्ति के हस्तान्तरण से पूर्व कुछ सेवाओं के लिए भर्ती सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा की जाती थी और ऐसे व्यक्तियों के लिए सेवा की महत्वपूर्ण शर्तें सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार होती थीं । शक्ति के हस्तांतरण के परिणाम-स्वरूप इन लोगों की सेवा ब्रिटिश राज के अधीन समय से पहले समाप्त हो जाती थी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अनुभवप्राप्त व्यक्तियों के न होने से प्रशासन कमजोर न हो, भारत सरकार ने सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवाओं के उन व्यक्तियों को, जो शक्ति के हस्तांतरण के बाद भारत सरकार की सेवा में रहे, वेतनमान, छुट्टी और पेंशन संबंधी अधिकारों के बारे में उन्हीं सेवा शर्तों तथा अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं सुरक्षापायों पर सेवा में रखने का निर्णय किया गया तथा यह भी निर्णय किया गया कि शक्ति के हस्तांतरण से पैदा होने वाले मामलों का निबटारा संधि के अनुसार किया जाए । बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में इन अधिकारियों की सेवा की विशिष्ट शर्तें जारी रखने के लिए उपबन्ध किया गया । इनको कुछ सांविधिक प्रत्याभूतियाँ भी दी गई और बाद में जब संविधान बनाया गया तो अनुच्छेद 314 के अन्तर्गत इन गारंटियों को जारी रखने का आश्वासन दिया गया । अनुच्छेद 314 के उपबंधों के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तन भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं किये जाते रहे । बदले हुए सामाजिक ढाँचे को देखते हुए अधिकारियों के एक वर्ग के लिए अपरिवर्तनीय सेवा शर्तें रखना असंगत समझा जाता है । इसलिये अनुच्छेद 314 को हटाने के लिये और एक नया अनुच्छेद 312-ए जोड़ने के

लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। इस नये अनुच्छेद के अनुसार संसद को उपर्युक्त सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का या उनमें से किसी को रद्द करने का अधिकार होगा और इसमें उचित आनुषंगिक उपबंधों की व्यवस्था है।

अब मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर दो बजे म० प० पर मतदान होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : अनुच्छेद 314 द्वारा संसद की शक्तियों पर जो प्रतिबंध लगे थे, उनको हटाये जाने का हम स्वागत करते हैं। संविधान सभा में जब इस अनुच्छेद पर चर्चा की गई थी तब भी इस पर आपत्ति की गई थी परन्तु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा के कार्य की सराहना की और अपने व्यक्तित्व के जोर से संविधान सभा के अन्य सदस्यों को राजी कर लिया। अंग्रेजों के शासनकाल में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के कार्य की आलोचना की जाती रही है। अनुच्छेद 314 संविधान में 25 वर्ष तक बना रहा जबकि इसमें कम से कम 27 बार संशोधन किया गया है। इतने वर्षों तक कांग्रेस सरकार को भारतीय सिविल सेवा के विशेषाधिकार और निहित स्वार्थ समाप्त करने के लिए कानून बनाने का अवसर ही नहीं मिला। गत संसद में वर्ष 1970 में श्री मधुलिमये ने इस मामले को उठाया था जो सभा में पर्याप्त समय न मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की संख्या 1084 थी जो देश के विभाजन के बाद 451 रह गई थी। अप्रैल, 1970 में इनकी संख्या 106 थी। इनमें से भारतीय विदेश सेवा में 11, राज्य सेवा में 25 और केन्द्रीय सरकार में 95 थे। मार्च, 1972 में इनकी संख्या 56 रह गई। इस वर्ष ऐसे 14 अधिकारी सेवानिवृत्त होने थे जिनमें से 2 की सेवावधि में वृद्धि की गई है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 वर्ष की अवधि में भारतीय सिविल सेवा का कोई अधिकारी नहीं रहेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा 25 वर्ष तक प्रतीक्षा किए जाने के क्या कारण हैं? हम इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि देश में ऐसा कोई वर्ग हो जिसके निहित स्वार्थ हों और हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं आदि में कोई अन्तर न हो और भेदभाव समाप्त कर दिए जायें। अब प्रश्न यह है कि सरकार भारतीय सिविल सेवा के विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए कब तक कानून बनायेगी? संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाने मात्र से विशेषाधिकार समाप्त नहीं हो जायेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*.]

यह कहा गया है कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए यह असंगत है। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि क्या परिवर्तन हुआ है। आज भी उतनी ही भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी है। निरक्षरता की दर में भी वृद्धि हुई है। 25 वर्ष के बाद भी यही स्थिति है। दूसरी ओर एकाधिकार गृहों की तेजी से वृद्धि हुई है। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है।

इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य उस प्रयोजन को पूरा करना नहीं है जिसका सरकार प्रचार कर रही है वरन् 'गरीबी हटाओ' या 'आत्मनिर्भरता' के नारों की तरह मत प्राप्त करने का एक नारा होगा जोकि स्थिति में वास्तविक परिवर्तन लाने की अपेक्षा स्थिति की वास्तविकताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए देश में लगाया गया है।

आजकल सत्तारूढ़ दल इस बात की काफी आलोचना करता है कि उनकी बहुत सी विचारधाराओं को इसलिए क्रियान्वित नहीं किया जा सकता कि नौकरशाही अपने रवैये को बदलने में असफल रही है। परन्तु वचनबद्धता किससे ? सरकार चाहती है कि नौकरशाही उसके उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध रहे अर्थात सत्तारूढ़ दल की विचारधारानुसार कार्य करे। इस प्रकार की वचनबद्धता की माँग इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा करने में अपनी अक्षमता और अकुशलता का अर्थ बताने का प्रयास करती है।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : The enjoyment of any special privileges by any person, class or party is repugnant to the concept of egalitarian society. Our failure to realise the India of our dreams which we had visualised before independence is attributable to bureaucratic set up. They are apathetic towards the country and its people. They have their impact on subordinate officers also. These officers should have been retired at the time of independence. What did Mao do in China after revolution ? All the officials of Chiang Kai Seikh were retired from services as Mao ascended to power. Let us now try to have officers who can help us build the country of our dreams.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान (31वां) संशोधन विधेयक क्रान्तिकारी उपाय के रूप में लाया गया है। विधेयक में जो छूट दी गयीं हैं उनको देखते हुए विधेयक का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है। वास्तव में यह समर्थ बनाने वाला एक उपबन्ध है और जब तक अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती और इस सभा के समक्ष अन्य विधेयक नहीं लाया जाता वर्तमान विधेयक बेकार सिद्ध होगा। भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करना सरल कार्य नहीं है क्योंकि हम इनकी शक्तियों तथा प्राधिकारों तथा सरकार पर उनके प्रभावों से परिचित हैं। भारतीय सिविल सेवा के आधे दर्जन अधिकारी एक साथ मिलकर मंत्रिमंडल को नष्टभ्रष्ट कर सकते हैं। एक बार गृहमंत्री तथा गृह सचिव में मतभेद बढ़ गया। जिसका निष्कर्ष यह निकला था कि गृह सचिव अपने स्थान पर बने रहे तथा गृह मंत्री से विभाग छुड़ा दिया गया। श्री अनन्तशयनम् आयंगार ने भी कहा था कि ये अधिकारी देश के महा-प्रभुसत्तावादी बन गये हैं। यह ठीक है कि सरकार यह विधेयक भारतीय सिविल सेवा के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए लायी है परन्तु जो छूटें दी गयीं हैं उनका क्या होगा ? यह एक बहुत बड़ी सूची है, सभी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। यदि सभी अधिकारियों को छूट देनी है तो इस विधेयक को लाने का क्या लाभ है ? जैसे घटनायें चल रही हैं हमें उन्हें उसी प्रकार चलने देना चाहिए। उनमें से अन्तिम अधिकारी 1979 तक सेवामुक्त हो जायेंगे। यदि सरकार भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेषाधिकार वास्तव में ही समाप्त करना चाहती है तो ये छूट नहीं दी जानी चाहिए और तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : इस सदन को तथा देशवासियों को सरकार ने जो वचन दिया था सरकार ने उसे पूरा किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। भारतीय सिविल सेवा के विशेषाधिकार वर्तमान समय से मेल नहीं खाते। देश में सेवाओं की स्थापना में उलट-

फेर करने के लिए, उन्हें वर्तमान समयानुकूल बनाने के लिए सरकार ने संभवतया यह पहला कानूनी कदम उठाया है। ब्रिटिश शासन के दौरान सेवाओं द्वारा विशेष भूमिकर मुख्यतः राजस्व वसूल करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, निभानी होती थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश का स्वरूप बदल गया है और सरकार के कार्य बदल चुके हैं। अतः देश के प्रशासन के लिए बनायी गयी ब्रिटिश पद्धति अब पूर्णतया अनुपयुक्त है और देश के सामने वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं है।

प्रश्न यह है कि यदि आज क्रान्तिकारी, समाजवादी, विकासवादी और कल्याणकारी उपायों को कार्यरूप देना है तो उन्हें कार्यरूप में कौन परिणित करेगा ? वचनबद्धता का प्रश्न इसी विषय से सम्बद्ध है। हम यह नहीं चाहते कि प्रशासन आधिकारी किसी दल विशेष के कार्यक्रमों, उसकी नीतियों के प्रति वचनबद्ध हों। वचनबद्धता से हमारा यह तात्पर्य नहीं है। यदि हम यह कहें कि राज्य कर्मचारी संविधान के नीति निदेशक तत्वों के प्रति वचनबद्ध होने चाहियें तो भी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। वचनबद्धता से तात्पर्य किसी को सौंपे गए कार्य के प्रति उसकी वचनबद्धता से है। इंजीनियर, डाक्टर, विशेषज्ञ आदि अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध हों तभी वे सरकार की नीतियों को कार्यरूप में परिणित कर सकते हैं। हमारे सिविल अधिकारी किसके प्रति वचनबद्ध हैं ? उनका कार्य मंत्रियों को सूचित करना, उन्हें परामर्श देना है। किन्तु वास्तव में वे राजनीतिक कार्य करते हैं और वे नीति संबंधी निर्णय भी लेते हैं। यह दोहरा कार्य समाप्त किया जाना चाहिए और हम सामान्य राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और नीचे से नीति के कार्यान्वयन करने वाले वास्तविक अधिकारियों के बीच किसी प्रकार के मध्यवर्ती अधिकारी नहीं चाहते।

विकासशील अर्थव्यवस्था में भारतीय सिविल सेवा अथवा प्रशासनिक सेवा जैसी किसी वस्तु का स्थान नहीं है। अतः जब तक उन्हें समाप्त नहीं किया जाता तब तक सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सामाजिक स्थिति और उनका प्रशिक्षण ऐसा न हो, जो देश की आवश्यकताओं से बिल्कुल ही मेल न रखता हो।

उपायों की श्रृंखला की दिशा में यह विधेयक प्रथम उपाय माना जाना चाहिए। सरकार को कम से कम कार्मिक संबंधी नीति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देना चाहिए। हमें आशा है कि समूचे प्रशासनिक ढाँचे के पुनर्निर्माण की दिशा में इस स्वागत योग्य विधान के पश्चात अन्य विधेयक लाये जायेंगे।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सिविल सेवा के अधिकारी, जो प्रशासन में सर्वोपरि हैं आज भी प्रत्येक लोकतांत्रिक सुधार का विरोध करते हैं। भारतीय सिविल सेवा में तीन अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री आर० सी० दत्त और श्री आर० सी० गुप्ता ऐसे अधिकारी हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अपना स्थान अंकित किया है और उनके कार्यों के कारण ही ब्रिटिश लोग उन्हें नहीं चाहते थे। किन्तु सामान्यतया भारतीय सिविल सेवा के भारतीय तथा ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश शासन के आधार स्तम्भ थे। सरदार पटेल ने ही नहीं दो वर्ष पहले श्री चह्वाण ने भी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रशंसा की थी। यही कारण है कि सरकार ने इस प्रकार का विधान पेश करने में विलम्ब किया है। इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही की जानी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय सिविल सेवा अधिकारी लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर देश की प्रगति में बाधक रहे हैं। क्या यह सच है कि जब ये

अधिकारी अपनी छुट्टी बिताने के लिए विदेशों में जाते हैं तो वे अपना वेतन तथा भत्ते स्टर्लिंग के रूप में ले सकते हैं ? सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

भारतीय सिविल सेवा तथा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में सदैव वैमनस्य रहता है । पश्चिम बंगाल में इस वैमनस्य ने खुली शत्रुता का रूप धारण कर लिया । जितना शीघ्र देश में इन वर्गों का उन्मूलन किया जायेगा उतना ही यह देश के हित में होगा । अतः भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों से संबंधित इस विधान के अतिरिक्त सरकार को उच्च वर्ग के दूसरे अधिकारियों के विशेषाधिकारों को कम करने के लिए विधान लाना चाहिए ।

क्योंकि यह विधेयक केवल एक समर्थकारी उपाय है सरकार को इन विशेषाधिकारों को कम करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए । दूसरे सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को इस समय कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो भविष्य के लिए समाप्त कर दिए जायेंगे ? क्या सरकार हमारे प्रशासन में विशिष्ट संवर्गों अथवा सामंतशाही के विशेषाधिकारों को कम करने को तैयार है ?

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi) : As a matter of fact this Bill was long due. It is really a measure in the direction of progress. The Bill is not against the I. C. S. Community. There are a very few I. C. S. officers who want to bring socialism in the country. Some I. C. S. officers have got themselves retired as soon as Takru Commission was constituted and they enjoy the same privileges today even after their retirement. These special privileges should be abolished.

There should be a committed judiciary and committed bureaucracy in the country. The administrative structure in the country should also be re-organised to suit the socialistic pattern of the society. With these words I support the bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mere amendment of the constitution does not lead to progress of the nation. We have amended the constitution so many times but they do not reflect a change in our society.

The framers of the constitution have granted certain privileges to I. C. S. officers but when there was a demand in 1970 to abolish the privileges enjoyed by I. C. S. officers, the Government opposed it. Today this bill has conferred powers on Parliament to abolish these privileges. Abolition of privileges is altogther different from changing the conditions of service of high officers to their disadvantage who have been given protection under the Constitution. Parliament is not empowered to change the conditions of service of high class officers to their disadvantage. This is a justified exception and it should not be made an adjunct to the abolition of privileges.

On the one hand we are going to abolish the privileges of I. C. S. officers and going to establish a society where there are no privileges and on the other, we are creating a political group enjoying special privileges. Both these things should not go together.

If it was at all necessary to amend the Constitution, the Government should have tried to insert the right to employment in fundamental rights enshrined in the Constitution.

If we are really interested to bring a change in the life of the nation we will have to bring some basic amendment. The Government may claim that they have redeemed the

pledge they gave to the nation but this pledge cannot bring prosperity to the life of the people.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों और अधिकारों के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करने वाले इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। कुछ मित्रों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों के विषय में चिन्ता व्यक्त की है किन्तु यह बिल्कुल अलग मामला है।

कुछ मित्रों ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के वे विशेषाधिकार तथा अधिकार बने रहने चाहियें जिनका लाभ वे विदेशी शासन के दौरान उठा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की परिस्थितियाँ बदल गयी हैं अतः भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों को अब भी उन्हीं विशेषाधिकारों को बनाए रखने में कोई औचित्य नहीं है।

इस विधान में किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों और विशेषाधिकारों को विनियमित करने के मामले में संसद की सर्वोच्चता को पुनः दोहराया गया है। यह कदम प्रशासन में सुधार लाने की दिशा में है और एक वर्ग के अधिकारियों तथा दूसरे वर्ग के अधिकारियों के बीच जो कृत्रिम दीवार खड़ी है उसे समाप्त करने के लिए भी यह एक कदम है। संविधान के इस संशोधन के संबंध में यह आधारभूत प्रश्न है।

मंत्री महोदय को प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए और यह देखना चाहिए कि प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं समझता था कि श्री वेंकटासुब्बया बहुत ही क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील विचार रखते हैं परन्तु उन्होंने ऐसी एक भी बात नहीं कही जो इस विधेयक को लाने का औचित्य सिद्ध करती हो। काँग्रेस दल के प्रचार के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु जहाँ तक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की अर्थात नौकरशाही की स्थिति में कोई सारभूत परिवर्तन लाने का प्रश्न है, इस विधेयक से कोई योगदान होने वाला नहीं है। इससे विचारधारा में, व्यवहार में और देश की प्रशासनिक सेवा की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्या इसका अर्थ लोगों के सामने यह सिद्ध करना है कि हम इतने प्रगतिशील हो गए हैं कि भारतीय सिविल सेवा को समाप्त कर सकते हैं।

सरकार ने प्रत्येक दृष्टि से एक निरर्थक विधेयक पेश किया है। इससे कुछ नहीं बन पायेगा। इस विधेयक को पेश करने से पहले की स्थिति तथा इसके बाद जो स्थिति होगी उन दोनों में कोई अन्तर नहीं होगा। यह तो केवल सभा का समय नष्ट करना तथा देश की जनता को धोखा देना है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस विधेयक से हमें गत 25 वर्षों से चले आ रहे साम्राज्यवाद को समाप्त करना है। इस चीज को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री मधुलिमए को जाता है। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का निर्माण नेताजी सुभाष बोस के विचारधारा के अनुसार

होता तो संविधान बनाते समय भारतीय सिविल सेवा का समर्थन करने का कोई भी साहस न करता । इस सेवा का कार्य ब्रिटिश क्राऊन के प्रति भारतीयों के मस्तिष्क में भय और आतंक का वातावरण पैदा करना था ।

विभाजन के समय भारतीय सिविल सेवा के 1300 अधिकारी थे और विभाजन के कुछ समय पश्चात भारत में 451 अधिकारी रह गए और आज इनकी संख्या कुल 97 है । 1979 तक भारतीय सिविल सेवा के सारे के सारे अधिकारी निकल जायेंगे, एक भी अधिकारी शेष नहीं रहेगा ।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को एक यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे अपने वेतन तथा भत्ते पौंड्स में ले सकते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR. SPEAKER *in the chair.*]

भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के वेतनमान, छुट्टियाँ तथा अन्य लाभ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से कहीं अधिक हैं । संविधान से यह निहित स्वार्थ हटाया जाना चाहिए । अब तक भी इस प्रकार का भेद भाव क्यों बना हुआ है ? भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों का भारतीय-करण नहीं किया गया उनकी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्तर पर नहीं लाया गया । इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात किसी भी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी को कोई विशेषाधिकारी नहीं रहे ऐसी कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी । यह साम्राज्यवादी सेवा अन्तिम रूप से समाप्त होनी चाहिए ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I support the Constitution (Thirty-first Amendment) Bill. We do not want separate catagories in our services. There may be difference between pay scales of officers belonging to Indian Administrative Service and of those belonging to state services but there should not be disparity in the conditions of service or in the guarantees for service. This Bill has been brought to remove the anomaly between the service conditions of I. A. S. and I. C. S. officers. I welcome this measure. But I oppose the proviso in the Bill providing for special facilities and amenities for I. C. S. officers who are appinted Jedges of the High Court or Supreme Court. So I request the Government that this proviso should be deleted. With there words I support this Bill.

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने माननीय सदस्यों के इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार सुने । व्यक्त की गई कुछ शंकाएं निराधार हैं । इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने में संसद के सामने जो संवैधानिक बाधा आती थी उसे दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । यह तो ठीक है कि अनुच्छेद 314 के हटाने से उन अधिकारियों की सेवा की शर्तें स्वतः परिवर्तित नहीं हो जायेंगी और इसके लिए एक और विधान बनाना होगा । उस विधान के अनुसार इनकी सेवा की शर्तों में इस प्रकार से परिवर्तन किया जायेगा कि वे देश में विद्यमान अन्य इसी स्तर के अधिकारियों की सेवा की शर्तों के समान हो जायें । यह विधेयक इंडियन सिविल सेवा के सभी अधिकारियों पर, चाहे वे सेवा में हों अथवा सेवा निवृत्त हों, लागू होगा । इसमें विशेष रूप से उल्लेख किए जाने का कारण यह है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सेवा की शर्तें इस प्रकार से नहीं बदली जा सकतीं कि उनसे संबद्ध

अधिकारी को हानि हो। इस विधेयक के बिना उक्त संवैधानिक स्थिति को नहीं बदला जा सकता था। साथ ही हम अनुच्छेद 312 क जोड़ रहे हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि इन अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहाँ तक ऐसे अधिकारियों की संख्या का संबंध है, 111 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर अनुच्छेद 314 लागू [होता है। अन्तिम अधिकारी 1979 में सेवा-निवृत्त होगा। सर्वश्री मधुलिमये, विश्वनाथ पांडे, चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा सभा में इस आशय के विधेयक पेश किए गये थे। अतः सभा के सदस्यों की इच्छा के अनुरूप ही सरकार इस विधेयक को लाई है। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इसे स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 274 विपक्ष में : 2
Ayes : 274 Noes : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion was carried by a mojority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 2 को लेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 16,—

"(Thirty-firsty Amendment)" (इकत्तीसवां संशोधन) के स्थान पर "(Twenty-eighth Amendment)" (अठाइसवां संशोधन) रखा जाये। (संख्या 2)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 16,—

"(Thirty-first Amendment)" (इकत्तीसवां संशोधन) के स्थान पर "(Twenty-eighth Amendment)" (अठाइसवां संशोधन) रखा जाये। (संख्या 2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

"(Thirty-first Amendment)" (इकत्तीसवां संशोधन) के स्थान पर "(Twenty-eighth Amendment)" (अठाइसवाँ संशोधन) रखा जाये। (संख्या 3)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

"(Thirty-first Amendment)" के स्थान पर (इकत्तीसवां संशोधन) "(Twenty-eighth Amendment)" (अठाइसवां संशोधन) रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 283 विपक्ष में : 4
Ayes : 283 Noes : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक जोड़ा गया।
Clause 2, as amended was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 283 विपक्ष में : 4
Ayes : 283 Noes : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4,—

"(Thirty-first Amendment)" (इकत्तीसवां संशोधन) के स्थान पर "(Twenty-eighth Amendment)" (अठाइसवां संशोधन) रखा जाये। (संख्या 1)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4,—

"(Thirty-first Amendment)" (इकत्तीसवां संशोधन) के स्थान पर (Twenty eighth Amendment)" (अठाइसवाँ संशोधन) रखा जाये। (संख्या 1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 284 विपक्ष में : 4
Ayes : 284 Noes : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion was carried by a majority of the total membership of the house and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 286 विपक्ष में : 4
Ayes : 286 Noes : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion was carried by a majority of the total membership of the house and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

केरल राज्य में भूमि सुधार अधिनियम, 1963 मुख्य भूमि सुधार कानून है और संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 के द्वारा उसे भारत के संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित किया गया था। राज्य सरकार ने उसे क्रियान्वित करते समय कठिनाईयों का अनुभव किया और उन्हें दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उसमें केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1971 के द्वारा बड़े पैमाने पर संशोधन किये। संशोधित मूल अधिनियम के कुछ उपबन्धों को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने उसके कुछ उपबंधों को अवैध घोषित कर दिया जिसका उच्चतम न्यायालय ने भी बाद में समर्थन कर दिया था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार केरल में भूमि सुधारों को लागू करना कठिन हो गया था। अतः यह आवश्यक समझा गया कि उपरोक्त दोनों भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों को संविधान के अनुच्छेद 31 ख के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जाये। अतः उपरोक्त अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से यह संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए मैं दो चार बातें कहना चाहूँगा। केरल भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है। ऐसा करके सरकार ने केरल के लोगों की इच्छा का आदर किया है। केरल के सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में थे। इसी कारण से केरल विधान सभा में इस आशय का एक संकल्प सर्वसम्मति से पास किया गया था कि केन्द्रीय सरकार केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 को संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कुछ लोगों का विचार है कि केवल कानून बनाने से भूमि सुधार हो जायेगा किन्तु कानून का क्रियान्वयन मुख्य होता है। भूमि सुधार अधिनियम उसी समय ठीक से लागू हो सकते हैं जबकि भूमिहीन कृषक और खेतीहर मजदूर उनके क्रियान्वयन के लिए संगठित हो जायें। केरल में इसके लिए आन्दोलन हुआ। श्री एन० के० गोपालन ने इस आन्दोलन का समर्थन किया। कुछ जमींदार नहीं चाहते कि भूमि सुधार लागू हों। इसलिए श्री गोपालन को इस आन्दोलन में उतरना पड़ा। केरल सरकार के अनुसार राज्य में 8,000 एकड़ भूमि फालतू है किन्तु किसानों ने केवल 281 एकड़ भूमि फालतू घोषित की है। कुछ लोगों ने श्री ए० के० गोपालन के नेतृत्व में चलाये गये आन्दोलन को 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन की संज्ञा दी। परन्तु यह आन्दोलन भूमि सुधार लागू करने के लिए चलाया गया था। मैं यह दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि जब तक काश्तकार संगठित होकर फालतू भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक वास्तव में भूमि संबंधी सुधार नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : श्रीमन्, केरल का पुराना अधिनियम संविधान नौवीं सूची में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने उसकी धारा 32 और 85 को अवैध घोषित कर दिया है। प्रस्तुत संशोधन से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या अवैध घोषित की गई धाराएँ पुनः वैध हो जायेंगी ?

वस्तुस्थिति तो यह है कि 1963 में काँग्रेस सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया था और वह संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके बाद श्री इ० एम० एस० की सरकार आई और उसने मूल अधिनियम में कुछ संशोधन किये जो 1969 में एक कानून बना। किन्तु वे इन्हें क्रियान्वित न कर सके। फिर श्री अच्युत मेनन की सरकार आई और उसने काँग्रेस के समर्थन से भूमि सुधार संबंधी कानूनों को क्रियान्वित करना शुरू किया। वैसे अब मार्क्सवादी साम्यवादी दल भूमि सुधार के लिए श्रेय लेना चाहता है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब राज्य में 201 भूमि न्यायाधिकरण हैं जो अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए स्थापित किये गये हैं। अधिकांश मामले तय किये जा चुके हैं। बड़ी संख्या में कुडीकिडापुकरों को भूमि दी जा चुकी है।

इस संशोधन विधेयक के पीछे यह भावना है कि उन राज्यों की सहायता की जाये जिन्हें भूमि सुधार लागू करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केरल के भूमि सुधार अधिनियम के संसद द्वारा समर्थन से केरल के भूमि के लिए भूखे लोगों को प्रेरणा मिलेगी तथा भूमि संबंधी सुधार के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। संशोधन विधेयक का लोक सभा में समर्थन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

श्री एच० आर० गोखले : चूंकि गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है इसलिए मेरे विचार से अब इस पर लम्बे वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस प्रस्ताव पर मतदान 3·30 पर होगा तथा इसके पश्चात् भूमि की अधिकतम सीमा के विषय पर चर्चा की जायेगी। यदि इसके पश्चात् समय बचेगा तो आधे घंटे की चर्चा ली जायेगी। यदि आवश्यकता अनुभव की गई तो 6·30 सायं से बाद में भी सभा की कार्यवाही जारी रखी जायेगी। श्री चन्द्रप्पन।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक के संबंध में मैं केवल एक दो बातें ही कहना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा हुई थी तो उस समय इसके बारे में कोई निर्णय लेने के संबंध में कुछ हिचकिचाहट दिखाई गई थी। उस समय ऐसा लगता था कि मंत्री महोदय भी बहाना ढूढ़ने का प्रयास कर रहे थे। एक माननीय सदस्य ने यह कहने का प्रयास भी किया है कि केरल राज्य में भूमि संबंधी सुधारों के बारे में प्रथम विधेयक पारित करने का श्रेय मार्क्सवादी दल को है। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि केवल विधान पारित करने से ही किसी प्रकार के भूमि सुधार संभव नहीं हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब केरल सरकार ने कुछ सप्ताह पूर्व भूमि सुधारों को शीघ्रता से लागू करने का निर्णय किया था तो उस समय इन्हीं मार्क्सवादी दल के लोगों ने गरीब झोंपड़ी निवासियों को कानूनी तौर पर दी गई 10 सेंट भूमि को हथियाने का आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया था। निःसंदेह बहुत ही कम लोगों ने इस आन्दोलन को सहयोग दिया और यह आन्दोलन विफल हो गया। केरल सरकार 10 सेंट भूमि प्रति व्यक्ति की दर से 4 लाख लोगों में वितरित कर रही है। अब भी मार्क्सवादी दल ने पुनः इस 10 सेंट भूमि को स्वीकार न करने के लिए लोगों से कहा है। यद्यपि लोग उनकी इस कार्यवाही की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। परन्तु फिर भी मुझे उनकी इस कार्यवाही की कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वह चाहते क्या हैं।

वर्ष 1959 में भूमि सुधार संबंधी प्रथम विस्तृत विधेयक केरल विधान मंडल में तत्कालीन साम्यवादी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उस समय पुरानी काँग्रेस ने उस पर खण्डवार चर्चा के समय उसका विरोध किया था। आज काँग्रेस की स्थिति बदल गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस मिली जुली सरकार में भागीदार है और वह भूमि सुधार विधेयकों का समर्थन कर रही है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ सामन्तवाद समाप्त हो चुका है। आज वहाँ की वास्तविक स्थिति पहले से कहीं भिन्न है। सरकार तथा वहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग, चाहे वह किसी भी दल से सम्बद्ध क्यों न हो, भूमि सुधार को लागू करने का समर्थन कर रही है। संविधान का जो वर्तमान

संशोधन किया जा रहा है उससे केरल में भूमि संबंधी विधान की जिसे उच्चतम न्यायालय तथा केरल राज्य में चुनौती दी गई है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह प्रसन्नता की बात है कि मुझे इस विधेयक का समर्थन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह तथ्य सभी को स्वीकार्य होगा कि काँग्रेस सहित देश के सभी प्रगतिवादी संगठन भूमि सुधारों के पक्ष में थे। परन्तु अधिकांश राज्यों द्वारा इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरान्त सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिए गंभीरता से प्रयत्न कर रही है।

प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होता है। 1969, 1970 और 1971 में हुये सम्मेलनों में मुख्य मंत्री किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पाये। आज यह समूचे देश का प्रश्न बन गया है। यह ठीक है कि केरल भूमि कानून में कुछ कमियां हैं परन्तु केरल सरकार ने उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया है। अब केरल सरकार भी केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये सुझावों से सहमत हो गई है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे नवम् अनुसूची में शामिल किये जाने का स्वागत करता हूँ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : एक कहावत है कि "सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते।" इसके अनुसार यद्यपि विधि मंत्री ने काफी विलम्ब के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ। भूमि सुधार जन साधारण के हित की बात थी जिसे सभी प्रगतिवादी दल या व्यक्ति चाहते थे। अतः इस कार्य का श्रेय किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। वर्तमान विधेयक सभी के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। केरल में इस कार्य के लिए विभिन्न दलों तथा व्यक्तियों द्वारा अनेक आन्दोलन किए गए थे।

पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल यह सोचते थे कि वे भूमि हथिया सकते हैं। परन्तु अनुभव से यह स्पष्ट है कि उनका यह प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था। वामपंथियों को जब भी अस्थायी रूप से शक्ति मिलती है उन्हें उसका उपयोग समुचित विधान प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए। केवल तभी जन साधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करता हूँ।

नवम् अनुसूची में अध्यादेश को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यदि न्यायालय इसे फिर चुनौती देंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से इसे भी, नवम् अनसूची के अन्तर्गत रखने के लिए हमें एक अन्य संशोधन करना पड़ेगा।

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवाश) : राज्य सरकारों द्वारा पारित अधिनियमों को संरक्षण प्रदान करना संसद और सरकार दोनों का ही कर्त्तव्य है। आज लगभग सभी राज्य सरकारें भूमि सुधार अधिनियम बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं, इसके लिए विधान बना रही हैं परन्तु विधान बनाने की अपेक्षा उसे क्रियान्वित करना अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिन राज्य सरकारों के पास भूमि सम्बन्धी रिकार्ड ही नहीं हैं। वे भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधान को कैसे क्रियान्वित करेंगी ?

1970-71 में जब केरल अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो कई जमींदार तथा कुलक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में गये थे । उच्च न्यायालय ने कई उपबन्धों को रद्द कर दिया था । इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ उपबन्धों को रद्द कर दिया था । अब हमें कुडीकीडापकरो की रक्षा करनी है और यह विधान उनकी रक्षा करेगा । इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि अधिनियम के नवम् अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के बाद यदि अधिनियम में संशोधन किया जाता है, तो क्या उसे नवम् अनुसूची का संरक्षण प्राप्त होगा ?

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ । मेरा अनुरोध है कि मेरे मित्र सदस्य श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले द्वारा दिया गया संशोधन भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I support the Bill. According to this Bill two legislations of Kerala are being included in the 9th Scheduled of the Constitution. 64 similar legislations relating to diffirent states, have already been included in the Scheduled. I fully agree that Land Reforms Acts should not be called in question in any court. The provision of legal protection to such legislations is a welcome measure of the Government and I fully support the same.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : जहाँ तक भूमि सुधार संबंधी इस प्रगतिशील कानून का संबंध है, केरल ने अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है । निर्धन लोगों के लिए निश्चय ही यह अधिनियम काफी सहायक सिद्ध होगा । केरल विधान सभा द्वारा इन कानूनों के पारित किए जाने से तथा संसद द्वारा इसे नवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप केरल के हजारों भूमिहीन लोग भू-स्वामी बन जायेंगे तथा लाखों झुग्गी निवासी अपनी-अपनी झुग्गियों के स्वामी बन जायेंगे ।

वर्तमान विधेयक के संबंध में मैं केरल सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसे भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए उचित वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि निर्धन भू-स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जा सके ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावलिक्करा) : मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार केरल विधान सभा द्वारा पारित दोनों अधिनियमों को संविधान की नवम् अनुसूची में सम्मिलित करने में आनाकानी क्यों करती रही है । खैर, फिर भी यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ ।

इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 1969 में हमारी प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1969 को आदर्श मानकर उसके अनुरूप विधान पारित करने को कहा था परन्तु ऐसा नहीं किया गया था । केवल तमिलनाडु राज्य ने ही इस अधिनियम को आदर्श मानकर श्रीगणेश किया था । अभी तक अधिकांश मुख्य मंत्रियों ने यह कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ।

अब प्रथम अधिनियम को ही लीजिए । इसके कुछ उपबन्धों को उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर किया था । इन उपबन्धों का संबंध झुग्गी निवासी कुडीकीडापकरो से था ।

अब इस अधिनियम के नवीं सूची में सम्मिलित करने से हजारों लाखों कुडिकीडापुकरों को लाभ हो सकेगा, जिससे कि केरल राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा।

केरल सरकार के एक अधिनियम के अन्तर्गत हरिजनों में भूमि वितरित करने का उपबन्ध किया गया था। अब केन्द्रीय सरकार आग्रह कर रही है कि उन लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाये जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

अपने संशोधन के बारे में मुझे यही कहना है कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा निजी जंगलों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह निहित स्वार्थों को अधिक प्रोत्साहन न दें। मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार कर उसे नवीं अनुसूची में शामिल कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई और कठिनाई हो।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I had intention to speak on this Bill. But I want to tell my hon. friend Shri Bhattacharyya that he or his party can not claim any credit for this legislation. He and my C. P. I. friends should understand that within the Congress organisation discussions may take place on a subject; but the organisation as such is essentially one and its leader is Shrimati Indira Gandhi. This legislation has been brought forward at the proper time.

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस विधेयक पर जिस रूप में चर्चा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे चर्चा का उत्तर देने के लिए कोई लम्बा चौड़ा वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी मैं कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक समझता हूँ। माननीय सदस्य श्री स्टीफन ने अधिनियम की धारा 85 तथा 32 के संशोधन के बारे में संदेह व्यक्त किया है। ऐसा लगता है कि उनके विचारानुसार 1963 के मूल अधिनियम के कारण ये धारायें नवीं सूची में पहले से ही विद्यमान हैं। परन्तु उपबन्ध सुरक्षा के उपरान्त भी इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया था। संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा धारा 85 (1) में संशोधन किया गया था। इस धारा की व्याख्या में कोई संशोधन नहीं किया गया था। धारा 85 को ही मूल धारा 85 (1) में जोड़ दिया गया है। यही बात धारा 32 पर भी लागू होती है। इन अधिनियमों को रद्द करने वाला निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 अथवा 29 अप्रैल को दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन निर्णयों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए केरल के राजस्व मंत्री और मेरे बीच विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। अत: हम इस मामले में पूर्णतया सजग रहे हैं और यह विधेयक किसी प्रकार के दबाव के कारण नहीं अपितु हम अपने पूर्वअनुभव के आधार पर, अपनी इच्छा से प्रस्तुत कर रहे हैं। केरल सरकार को अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए हमें काफी प्रयत्न करना पड़ा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख भी किया है। इस संबंध में हमने राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल ईसाई धर्म अपनाने के कारण ईसाईयों को अन्य धर्मों की तुलना में कुछ अधिक सुविधाएँ केवल धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकतीं। उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में ही सुविधाएँ दी जा सकती हैं। राज्य सरकार ने हमारे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

अधिनियम का सबसे कमजोर उपबन्ध वह था जिसके अन्तर्गत किसी के साथ अधिक स्नेह

होने की स्थिति में संबंधी की तरह उसे भी भूमि का हस्तान्तरण किया जा सकता था। माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में इसका उल्लेख नहीं किया। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था तथा उसने अब इसमें अपेक्षित संशोधन भी कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में पूर्णतया रचनात्मक पक्ष अपनाया है। हमने भूमि सुधार अधिनियम के कार्यान्वियन के रास्ते में कभी रोड़ा नहीं अटकाया। इस अधिनियम को 28 अथवा 29 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था और अप्रैल से लेकर अब तक के समय में ही हमने इसे प्रस्तुत कर दिया है। अतः यह कहना भी उचित नहीं है कि इसे प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब किया गया है।

मैं अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता और पहली बात तो यह है कि वनों संबंधी जो अधिनियम वह लाना चाहते हैं उसे न्यायालय ने अवैध घोषित नहीं किया है। वैसे यह सच है कि उस अधिनियम संबंधी मामला उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।

जब हम नवीं अनुसूची के लिए दो अधिनियम ला रहे थे तो केरल सरकार ने कहा एक तीसरा अधिनियम कानन देवेन (भूमि का पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1971 भी इसमें शामिल किया जाये। परन्तु हमने कहा कि पहले हम उच्चतम न्यायालय का निर्णय देख लें। संभव है वह इसे अवैध घोषित न करे और फिर उच्चतम न्यायालय ने वह अधिनियम रद्द नहीं किया और हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमें नवम् अनुसूची के लिए बिना समुचित आधार के कोई अधिनियम लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अधिनियम में मुआवज़ा देने की व्यवस्था न होने पर भी उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध ठहराया है। शायद यही स्थिति मेरे मित्र के अधिनियम की होगी जिसे वह एक संशोधन के द्वारा लाना चाहते हैं। सरकार की नीति तो यही है कि न्यायोचित भूमि सुधार उपायों की रक्षा की जाये।

अतः मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं इस विधेयक को समर्थन देने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है इसलिए मतदान होगा। अतः कृपया दीर्घायें खाली कर दें। दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। अब प्रश्न यह है :

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sahha divided.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :

पक्ष में : 308 **विपक्ष में : 1**
Ayes : 308 **Noes ; 1**

यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया :

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 (नवम् अनुसूची का संशोधन)

CLAUSE 2 (AMENDMENT OF NINTH SCHEDULE)

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : मंत्री महोदय के आश्वासन के विचार से मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 311 **विपक्ष में : शून्य**
Ayes: 311 **Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

खण्ड दो विधेयक का अंग बना ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)
Clause 1 (Short Title)

श्री एम० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 में,—

"बत्तीसवाँ संशोधन" (Thirty-second amendment) के स्थान पर "उनत्तीसवाँ संशोधन" (Twenty-ninth amendment) प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 1)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 में,—

"बत्तीसवाँ संशोधन" (Thirty-second amendment) के स्थान पर "उनत्तीसवाँ संशोधन" (Twenty-ninth amendment) प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 310 **विपक्ष में : शून्य**
Ayes : 310 **Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The Motion is carried by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members Present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

The Enecting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एम० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sahba divided.

पक्ष में : 311	**विपक्ष : में शून्य**
Ayes : 311	**Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : विधेयक, संशोधित रूप में पारित हुआ ।

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE* : CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये 2 बजे से 6-30 बजे सांय तक का समय नियत है ।

श्री भोगेन्द्र झा : * * *

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । यह कथन सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा । आप इस प्रकार मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते । आप बिना कुछ बताये ही बोलते चले जाते हैं । यह सर्वथा यहाँ की प्रक्रिया के विरुद्ध है । मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप लगाने की भी एक प्रक्रिया है । आप चाहे जब जैसे नहीं बोल सकते । आपकी ये बातें सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेंगी ।

---

* * * सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

* * * Not recorded.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : आज हम कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा निजी स्रोतों से सिंचित भूमि तथा सरकारी स्रोतों से प्राप्त सिंचित भूमि के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने स्पष्ट किया था कि जिस भूमि में बारहमासी सिंचाई की व्यवस्था है या वह सिंचित भूमि जिसमें दो फसमें उगाई जा सकती हैं के बारे में अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ होनी चाहिए। परन्तु कृषि मंत्री महोदय ने सरकारी स्रोतों से बारहमासी सिंचित भूमि जैसे अन्य वाक्यांशों का उल्लेख करके केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को कम प्रभावी बना डाला।

यह विवाद, समूचे देश में, विशेष रूप से पंजाब में पैदा हो रहा है और जोकि कुलक तथा जमींदारों के प्रभाव तक ही सीमित है, भयंकर रूप धारण कर रहा है। इसका मुकाबला करना होगा तथा इसे समाप्त करना होगा। पंजाब में कुलक अधिकतम सीमा से छुटकारा पाना चाहते हैं और उनकी माँग है कि अधिकतम सीमा में वृद्धि की जाये। वे यह भी चाहते हैं कि 10 से 18 एकड़ की सीमा उनकी जोतों पर लागू न हो। समस्या का मूल कारण तथा विवाद का विषय भी यही है।

ऐसे समय में जबकि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है तथा साथ ही कृषि आयोग भी अपना मत देने वाला है तो ऐसी परिस्थिति में कृषि मंत्री को यह वक्तव्य नहीं देना चाहिये था क्योंकि इससे सत्ताधारी दल के सदस्यों में तथा प्रगतिवादी तत्वों में कुछ भ्रम पैदा हो गया है। साथ ही वक्तव्य भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को देने के विरुद्ध भी है तथा इसे जनता तक का समर्थन मिलना भी कठिन है। अतः गाँवों में भूमि के प्रति भूख तथा तनाव की स्थिति में इस रवैये से कुलकों तथा जमींदारों को अनुचित प्रोत्साहन मिला है।

विचाराधीन पंजाब विधेयक में न केवल मुआवजे की व्यवस्था नहीं है बल्कि उसमें यह भी उपबंध है कि 5 से अधिक सदस्यों के परिवार के लिए अतिरिक्त भूमि दी जा सकती है। यह व्यवस्था शायद अधिकाधिक भूमि हड़पने के लिए की गई है तथा इससे बेनामी अन्तरण की गुंजाइश बढ़ गई है। जमींदार लोग तो पहले ही हेरा-फेरी करते थे। अतः नये विधान में ऐसी त्रुटियाँ नहीं होनी चाहियें तथा हेरा-फेरी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुये।
SHRI R. D. BHANDARE *in the chair.*]

सरकारी स्रोतों द्वारा सिंचित भूमि तथा नलकूपों जैसे निजी स्रोतों द्वारा सिंचित भूमि में कोई भेद नहीं रखा जाना चाहिए। देश की समूची प्रबुद्ध विचारधारा इस पक्ष में है कि भूमि की सीमाबन्दी के स्तर को कम रखा जाये ताकि भूमिहीन लोगों में वितरण करने के लिए अधिक भूमि प्राप्त की जा सके। इससे ग्राम्य क्षेत्रों में तनाव भी कम होगा। सरकार यह स्पष्ट रूप से घोषित करे कि 15 से 18 एकड़ के बीच भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में परस्पर कोई भेद नहीं पाया जायेगा तथा सरकारी तथा निजी स्रोतों से सिंचित भूमि में भी कोई अन्तर नहीं होगा। किसी भी स्थिति में फलोद्यान बागान, धार्मिक सम्पत्ति या बेटे अथवा बेटे के नाम से पृथक सम्पति के लिए कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

भूमि सुधारों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विश्वास प्राप्त अधिकारियों का एक प्रशासनिक दल तैयार किया जाना चाहिए तथा एक निरीक्षण समिति भी हो जो भूमि सुधार के उद्देश्यों की प्राप्ति का सुनिश्चिय करे तथा यह देखे कि फालतू भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा इसका वितरण भी प्रभावी ढंग से हुआ है।

Shri K. N. Tiwari (Betia) : Last time I had said something regarding the land ceiling and I do not want to repeat them now. Whether the question of land ceiling or anything else, we should always consider that with open mind and find out a solution.

We are neither in faviour of leftists who always like choos and disorder; nor do we favour big Land Lords or big agriculturists. We want a middle course.

The spirit behind all the measures *viz.* land ceiling, bank nationalisation or natianalisation of big industrial houses is to ensure that all our people get at best the basic amenities needed in living.

The "Garibi Hatao" slogan is before all of us. Poverty should be rooted out from the country. But how to do it ? We have to apply our minds to find a solution for it.

Rural ceiling means putting a curb on rural income. On one hand you are imposing ceiling there but on the other hand you are leaving scot free the lawyers, doctors the rich people and others who make money through ungain means. How can then be social justice there ? You perhaps donot think of what difficulties and hardships are faced by our farmers on whom different categories of people are dependant for thire living.

We the congressmen, never talk beyond our declared principles. True it is that our party has decided about certain ceiling but still I think that there is enough scope of further evaluation of the imphiations. The doors are still open for fresh thinking. So certainly we behave and aboide by it, but even then we are not deprived of giving any suggestion for improvement to what our party has decided.

Many Asian countries could not solve their food problems even after 54 years of revolution and despite adopting the way of collectivisation but in our country lakhs and crores of our people ploughed their land holdings and solved the food problem. Today the country is not only self reliant and self-sufficient but propose to feed others also.

I appeal to the Agriculture Minister to implement whatever measures be proposes to adopt for land ceiling nothing should he done under any sort of fear or pressure. Let it he borne in mind that I am not the least against the land ceiling. I too belong to a poor family but certainly I would command that any suggestion or proposal made for improving the things should be considerd with due thought; and the practical difficulties if any, coming in between should he removed. To my mind, there always remains a scope for correction, improvement and betterment.

With these words, I thank you Mr. Chairman.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : कांग्रेस सरकार ने चुनावों के दौरान भूमि सुधार के बारे में जो घोषणायें की थीं वह उनमें सर्वथा असफल रही है, निरुद्देश्य रही है। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने पहले घोषणा की थी कि भूमि की अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के मध्य होनी चाहिये। परन्तु बाद में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा गया कि अधिकतम सीमा सरकारी

साधनों से सिंचित भूमि पर होगी और फिर कहा गया कि निजी स्रोतों से सिंचित भूमि को अधिकतम सीमा से मुक्त रखा जायेगा। फिर शेष क्या रहता है? हमारी कुल कृषि योग्य भूमि का 30 प्रतिशत सिंचित भूमि है और उसमें केवल 10 प्रतिशत भूमि सरकारी स्रोतों से सिंचित भूमि है। इस प्रकार यदि केवल सरकारी स्रोतों से सिंचित भूमि की ही अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है, तो दैनिक स्टेट्समेंन का भी यही कहना कि कांग्रेस पार्टी का भूमि सुधार संबंधी नारे तथा दावे बिल्कुल खोखले हैं। यह दल तो पहले भी भूमि वितरण संबंधी अनेक दावे करता रहा है परन्तु सब निरर्थक और निरुद्देश्य सिद्ध हुए।

अब जब कि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कुछ किया जा रहा है तो जमींदारों ने अपने बीच में ही भूमि का वितरण करना आरंभ कर दिया है। टाइम्स आफ इण्डिया की खबर है कि मध्य प्रदेश के एक जिला नरसिंहपुर में केवल एक सप्ताह में भूमि-हस्तान्तरण के लिये 11 लाख रुपये के टिकट बिके और एक महीने में स्टाम्पों के लिये 5 से 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

फिर भूमि सुधार से गरीबी कैसे दूर होगी। वस्तुत: आपके चुनाव के समय के सभी वायदे, सभी घोषणाएँ असत्य हैं। आप तो बड़े जमींदारों के साथी हैं और उनके ही हितों की रक्षा करते हैं।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन में हमने 7 लाख एकड़ भूमि वितरित की। जब किसान गरीब किसान तथा भूमि हीन लोग जोकि सरकारी भूमि पर कबजा किये बैठे हैं, सरकार से उस भूमि का वितरण चाहते हैं तो कहा जाता है कि यह गैर कानूनी है।

बड़े जमींदार सरकार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं जबकि गरीब लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं।

इस समय जबकि सरकार ने भूमि सुधार एवं भूमि वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है, उसे पुराने तरीकों को त्याग देना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े जमींदार कृषि कार्य करने तथा उनमें आधुनिकीकरण नहीं कर सकते।

गावों में 80 प्रतिशत लोग निवाह व्यय से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ पर बेरोजगारी का बोलबाला है। भूमि सुधार ही इसका एक मात्र समाधान है।

अपने उद्देश्य के लिये कार्य करने वाले लाखों लोगों को भला कोई दबा सकता है?

यदि भूमि वितरण कार्य में पर्याप्त प्रगति होती है तो कृषि पर 80 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत व्यक्ति ही कृषि कार्यों के लिये पर्याप्त होंगे। अधिक व्यक्तियों को उद्योगों में लगाना होगा। इस बारे में सरकार को राष्ट्रीय कृषि समिति के सुझावों का पालन करना चाहिए।

*** श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट): तमिल के एक कवि ने ठीक ही कहा है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिये एक एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of the speech delivered in Tamil.

स्वतन्त्र भारत के प्रथम 25 वर्ष में भूमि सुधार के लिये कहा तो बहुत कुछ गया परन्तु व्यवहार में किया कम ही गया है। इन वर्षों में कांग्रेस के वचनों और कृत्यों में भारी अन्तर रहा है।

तमिलनाडु में भूमि सीमा निर्धारण किये जाने के पूर्व तथा इसके दो वर्ष पश्चात भी वहाँ के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की पुत्री तथा दामाद ने अपनी सीमा से अतिरिक्त भूमि का विक्रय किया था। एक धार्मिक संस्था को 13 एकड़ भूमि स्थानान्तरित की गई। तन्जोर की एक बड़ी चीनी मिल के लिये 7000 एकड़ भूमि की छूट माँगी गई थी।

कहा गया है कि भूमि सीमा अधिनियम को 1970 से लागू किया जायेगा। मैं माँग करता हूँ कि इसे 1960 से लागू किया जाये।

मुझे सरकारी स्रोतों तथा निजी स्रोतों द्वारा सिंचित भूमि में भेदभाव किये जाने पर आश्चर्य है। हमारे देश में 81 प्रतिशत भूमि सिंचित नहीं है। 19% सिंचित भूमि में से केवल 6 प्रतिशत सरकारी स्रोतों से सिंचित होती है। भूमि में भेदभाव करने वाले कानूनों से बड़े जमींदारों को बचाव के अवसर अधिक मिलेंगे।

कहा गया है कि भूमि सीमा अधिनियम से भूमि के और टुकड़े होगें और उससे उत्पादन में कमी होगी। परन्तु छोटे किसान भूमि को अपनी संतान समझते हैं जबकि बड़े-बड़े किसानों की रुचि विविध कार्यों में बँटी होती है।

तमिलनाडु सरकार ने 1970 के निर्वाचनों से पूर्व भूमि की सीमा को 30 एकड़ से घटाकर 15 स्डटैंर्ड एकड़ कर दिया था।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिये भूमि संगत समान जीवन स्तर लाने का यत्न करेगी।

श्री शिन्दे ने पिछले दिन उल्लेख किया था कि तमिलनाडु के भूमि सीमा अधिनियम में कमियाँ हैं। क्या सरकार बताएगी की उसमें क्या कमियाँ हैं।

इस समय सभी राज्यों के मुख्य मंत्री कांग्रेसी हैं। यदि वे करोड़ों लोगों की भलाई करने वाला कानून बनायेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री आग्रह करते रहे हैं कि मन्दिरों तथा धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति के बदले कोई क्षति पूर्ति न दी जाये। परन्तु केन्द्रीय सरकार क्षति पूर्ति देने के पक्ष में है। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि देश की सत्ता का राज्य के साथ मिलकर संचालन करे।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : श्री के० एन० तिवारी तथा नाथूराम मिर्धा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं सहमत हूँ। हम अपने देश में सहमति से परिवर्तन लाना चाहते हैं। सम्पूर्ण देश में विषमता दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिएँ।

भारत गाँवों में बसता है। हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँवों में रहता है। इस लिए देश की बहुसंख्या को न्याय प्रदान करने के लिए भूमि का न्यायोचित बँटवारा करना हमारा

प्रथम कर्त्तव्य है। देश की 60 प्रतिशत जनता के पास या तो भूमि है ही नहीं अथवा 2·5 एकड़ से कम है। दो प्रतिशत व्यक्तियों के पास 30 एकड़ से अधिक भूमि है। छोटे किसानों की भलाई के लिए भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।

जनसंख्या की तुलना में हमारे देश में भूमि कम है। खेती का यंत्रीकरण भी हमारे देश के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। नई कृषि तकनीक तथा हरित क्रान्ति छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है। सीमा निर्धारण सहकारी खेती का प्रथम चरण नहीं है।

कहा गया है कि भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से कृषि उत्पादन घटेगा। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि छोटे भूमिदारी ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं।

भारत के प्रगतिशील किसानों के योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने इस देश में आत्म-निर्भता लाने में सहायता दी है। हरित क्रान्ति से होने वाले छोटे लाभ किसानों को मिलने चाहिए।

सीमा जो भी निर्धारित हो उसे भूतलक्षी प्रभाव देते हुए, शीघ्र, क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जिन लोगों को ट्यूबबैलों से पानी मिलता है वे सरकारी नहरों से पानी लेने वाले व्यक्तियों की तुलना में असुविधा में रहते हैं। परन्तु नहरों का उपयोग करने वाले कहते हैं कि यह सही नहीं है। कभी-कभी उन्हें पानी मिलता ही नहीं। अतएव अनिश्चितता की अवस्था बनी रहती है। दूसरी ओर ट्यूबैलों का उपयोग करने वाले कहते हैं कि उन्हें इन पर व्यय करना पड़ता है। बिजली का खर्च उठाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि नहरी सिंचाई की दर बढ़ाकर समानता लाई जी सकती है। निकट भविष्य में सरकार को कृषि आय पर आयकर लगाना पड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सीमा निर्धारण का लाभ उन्हीं लोगों को मिले जोकि उसके वास्तविक हकदार हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is difficult to undrestand as to what is the basis for fixing land ceiling at a particular level. Is there any scientific basis for doing that. We should first decide as to what should be the income of a farmer's family. Before fixing ceiling of land we should work out income from different varities of lands.

Even in the past legislations were cnected imposing ceilings on land holding but the Government failed to implement them.

What is the purpose of our reducing the ceiling ? How much land would we get for distribution among the people ?

These farmers who told uneconomic holdings of land are selling their lands. Do we want to give land to persons who cannot till it ? Is it not necessary to provide water for the land ?

The question of reduction of ceiling created uncertainty in the minds of the farmers.

Today certain ceiling is fixed, tomorrow it might be further reduced. This uncertainty would have an adverse affect on our agricultural production. There is feer in the minds of the farmers that the ruling party is in leage with the communists and want to revive collective farming.

We ought to reduce pressure on land. We should create a net work of industries based on agriculture. The iudustries which today depend on agriculture would absorb landless people.

The Government will have to make a distinction between farmers who make their own arrangements for irrigation and those who get irrigation facilities from the Government.

The result of reduction of ceiling was that the farmers dismentled their tube wells. The Government should enquire that no further reduction of ceiling is made during the next ten years.

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकासी) : भारत में 70 प्रतिशत जनता कृषि का कार्य करती है और उसमें से 80 प्रतिशत भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। इसलिये यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अधिक भूमि नहीं रख सकता है।

मैं ग्रामीण परिवारों की महिलाओं की ओर से भूमि की इस अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उनको होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे उनको उपहार में मिलने वाली अथवा स्त्रीधन के रूप में मिलने वाली भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब अधिकांश महिलाओं को अपने पतियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और उनसे स्वतंत्रता छीन ली जायेगी।

मेरा यह निवेदन है कि हिन्दू संहिता में संशोधन करके लड़कियों को भी लड़कों के समान पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाये, नहीं तो कम से कम उन्हें उपहार अथवा स्त्रीधन के रूप में भूमि लेने की अनुमति दी जाए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि हमारा दल केवल नारे ही लगाता है। मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूँ। वास्तव में हमारा दल भूमि सुधारों की क्रियान्विति के लिए वचनबद्ध है।

गत 25 वर्षों में हमारे देश ने महान प्रगति की है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हमारी कमजोरियाँ नहीं रही हैं,

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।
SHRI K. N. TIWARY *in the chair.*]

वस्तुतः हमारे मंत्रालय ने ही कानून और उसकी कियान्वित में विद्यमान त्रुटियों की ओर इशारा किया है। हमें भूमि सुधारों को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कठिनाइयाँ आती हैं। सन् 1947 में 40 प्रतिशत भूमि की काश्तकारी, जमींदारों, इनामदारों, जागीरदारों आदि के अधिकार में थी, अब वे नहीं रहे हैं। इसके बाद भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात उठी है। यह सच है कि वितरण हेतु फालतू भूमि अधिक न थी परन्तु फिर भी यह

कहना ठीक नहीं है कि कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है, कुछ स्थानों को छोड़कर देश के अन्य भागों में लगभग 20 लाख काश्तकार परिवारों को बसाया गया है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

मैं इस संबंध में अपने दल के लिए श्रेय का दावा करता हूँ। इस सभा में आज ही केरल भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्व सम्पति से राय प्रकट की थी। मेरा दल स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही भूमि सुधारों का समर्थन करता आ रहा है। जहाँ तक हमारे दल की प्रतिज्ञा का संबंध है, हम इसे पूरा करेंगे। चूँकि यह लोकतांत्रिक दल है इसलिए इस मामले में मतभेद उपस्थित हो सकते हैं। मेरा दल अन्ततः देश में भूमि सुधारों के समर्थन में जनमत बनाने में सफल होकर रहेगा।

श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया है कि यह राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। यह एक स्वीकृत राष्ट्रीय नीति है और आशा है कि विपक्षी दलों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक मेरे दल का प्रश्न है वह भूमि सुधारों की क्रियान्विति में पीछे नहीं रहेगा।

हमने यह स्वीकार कर लिया है कि भूमि की अधिकतम सीमा घटाई जायेगी। इस संबंध में व्यक्त किए गए विचार सर्व विदित हैं। हरित क्रांति ने कुछ समस्याएँ खड़ी कर दी हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। भूमि की अधिकतम सीमा कम करना हमारी नीनि का अंग बन गई है।

ऐसे समाचार आ रहे हैं कि कानून के उपबंधों से बचने के लिए लोग भूमि को हस्तांतरित कर रहे हैं। इस संबंध में हमने राज्य सरकारों को अपने मन्तव्य से अवगत करा दिया है। हमने उनसे कहा है कि भूमि की अधिकतम सीमा पूर्व तिथि से लागू की जाये। इसके लिए सितम्बर, 1970 की तिथि रखी गयी है और इसके बाद से भूमि के सारे हस्तांतरण रद्द माने जाने चाहिए। इस प्रकार के भूमि के हस्तांतरण वैध नहीं माने जायेंगे।

कुछ समाचार-पत्रों तथा लोगों का कहना है कि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और इसमें मेरे मंत्रालय तथा वरिष्ठ अधिकारियों का नाम जोड़ा गया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरा मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है और वे किसी ऐसी संस्था को बदनाम न करें जो इस प्रकार का कार्य रही है।

इस समूचे प्रकरण में कुछ भ्रांतियाँ हैं। क्या मैं अथवा मेरे वरिष्ठ सहयोगी संसद में उस विषय के बारे में कह सकते हैं जिस पर केन्द्रीय भूमि सुधार समिति में चर्चा नहीं हुई थी? इस बारे में मतभेद हो सकता है कि क्या गैर सरकारी अथवा सरकारी स्रोतों से सिंचित भूमि को एक माना जाये। मेरा इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि मेरे मंत्रालय ने समिति की सिफारिश को तोड़ा-मरोड़ा है। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक 3 अगस्त को हुई जिसमें कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था, मंत्रालय ने उसमें सर्वसम्मति से पारित विषयों को नोट कर लिया था और हमने उसे राज्य सभा में बताना उचित समझा। तत्कालीन सदस्य श्री राज नारायण ने सिंचित भूमि की परिभाषा के बारे में प्रश्न उठाया। मैंने भूमि सुधार समिति में इस संबंध में व्यक्त विचार का हवाला देते हुए बताया कि इसका तात्पर्य उस भूमि से

होता है जो सरकारी साधनों अथवा राज्य के नलकूपों से जल लेती है, अब इसमें उसकी सिफारिश को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का प्रश्न कहाँ उठता है ।

गलती हर व्यक्ति से हो सकती है । यदि आप समझते हैं कि सिफारिश ठीक नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं । अतएव मंत्रालय पर यह दोष लगाना उचित नहीं है कि उसने इस सिफारिश को तोड़ा-मरोड़ा है अथवा जनता को गुमराह किया है । यह संसद सार्वभौम होने के नाते केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों में परिवर्तन ला सकती है । मंत्रालय ने जब प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा है तब यह भ्रांति फैली है कि मंत्रालय ने केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों में कुछ संशोधन किया है ।

सिंचित भूमि का तात्पर्य उस भूमि से किया गया है जो सरकारी साधनों से सिंचित होती है । पश्चिम बंगाल में सलाहकार समिति के समक्ष यह प्रश्न जब उठा था तो किसी दल ने इसका विरोध नहीं किया था । आज वे ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं । योजना मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा मेरे मंत्रालय ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया है कि यह परिभाषा सही है । जब ऐसी बात है तो किस आधार पर मेरे मंत्रालय पर इसको जानबूझ कर परिवर्तित करने का आरोप लगाया जा रहा है ? हमें सब भ्रांतियों को दूर करके भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में ध्यान लगाना है । जहाँ तक भूमि सुधारों का प्रश्न है मेरा किसी राज्य सरकार से झगड़ा नहीं है । तमिलनाडु में जो विधान है वह कई राज्यों के विधान से अच्छा है । किन्तु उसमें कई कमियाँ हैं । जैसे उसमें 60 एकड़ तक की छूट दी गई है । हाल ही में अधिकतम सीमा को उन्होंने कम किया है । हम उनसे इस संबंध में बात करेंगे । हमें आशा है कि वह केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की मुख्य सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे । श्री वाजपेयी जी ने राज्य स्वत्ववाद की बात कही है । मुझे दुख है कि कुछ लोग ऐसी बातें करके जनसाधारण के मन में भूमि सुधार के प्रति गलत धारणा पैदा करना चाहते हैं । वस्तुतः हम तो जोतों की सीमा में विद्यमान विषमता को समाप्त करना चाहते हैं । हम इस समस्या को मुख्य मानते हैं । साथ ही हम देश में छोटी जोत वाले लोगों की सम्पत्ति की रक्षा करना चाहते हैं । राज्यस्वत्ववाद से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri K. D. Malaviya (Domariaganj) : Sir, I am fully satisfied with the Minister's statement. The Central Land Reforms Committee's view that there should be difference between the land irrigated by private sources and the land irrigated by Government sources, is not acceptable to me personally. I would like to know the proportion of private investment and public investment in privately-owned irrigated land.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairman, Sir, this is very important issue. Different States in India have governments of different political parties and they all are taking up this issue in different ways. The performance of the States in this matter is not satisfactory. As regards Punjab State a ceiling of 30 acres has been fixed there. But the owners of 3000 acres of land are taking advantage of loopholes in the measures and they are manupulating things in such a way that they go scot free. In fact the transfer of land should have been banned by issuing an ordinance. At present transfers of lands are taking place on large scale and you will not get the surplus land for land less people or have-nots. I donot hold the view that big agricultural farm are producing more. With the new technology in agriculture small farmers can also produce more. I donot support the idea that the use of tractors should be stopped. I favour the idea that there should be land-driven tractors. I think it will lead to intensive cultivation.

We should adhere to the declaration about land ceiling made by Congress party in its manifesto. I wonder as to why Agricultural University, Ludhiana has suggested a ceiling of 50 acres. It is not good on the part of an Agricultural University to give such a fantastic suggestion. Some Members have suggested that the income from the land in question be taken into consideration while fixing the ceiling. This is a vicious circle. Such a suggestion, if accepted, will lead to a number of complications. The issue of income may be linked with the uaban ceiling but it has no relation with land ceiling. The ceiling should not in any case exceed 18 acres and the Congress Party's menifesto should be implemented in toto.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति महोदय, मुझे जितना समय दिया जा रहा है, उसमें सारे तर्क नहीं दिये जा सकते। यदि इस विषय को मैं अत्यधिक संक्षिप्त कर दूंगा, तो मेरा भाषण ही हास्यास्पद हो जायेगा। मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहूँगा कि हम भूमि की अधिकतम सीमा में परिवर्तन करने के पक्ष में हैं। इस विषय में हम अनेक बार संकल्प पास कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व में समानता आ जाये। मेरे दल की कार्यकारी समिति की ओर से इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया जायेगा जो केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बाद दिया जायेगा। किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर इस तरह से निर्णय किया जाये जिससे कृषि के क्षेत्र में गतिरोध उत्पन्न न हो। यदि औद्योगिक गतिरोध के साथ कृषि-गतिरोध भी मिल गया तो देश के सामने एक गम्भीर संकट उपस्थित हो जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Chairman, Sir, with reference to the question of land ceiling, the Government should furnish figures regarding income that an educated family of five will have from the level covered by ceiling on the basis of the present price structure and whether that will suffice to make both ends meet. Many of our friends even desired know the difference between rain-water irrigation, flow irrigation and lift irrigation. Some people suggest that the land should be distributed to all landless agriculturists. In my opinion it is not proper to make small fragments of total land and distribute to all people. Government should take over land from a person who does not produce anything in his land. I am in favour of a ceiling, but it should be an economic holding.

The farmer of India had taken part in the freedom struggle while supporting his family with little land. It is therefore, wrong to say that Indian farmer is reactionary.

The ceiling on land holdings should be fixed on the basis of the income de ived, so that the farmer could support their family and meet other expenses such as marriage and medical treatment. If there is a ceiling on land holdings, there should also be a ceiling on income of Government servants, President of India, Ministers, Professors, Doctors and Businessmen.

The ceiling should be based on the income and production from the land. First of all, there should be classification of land. There should be equitable distribution of nationai income.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई आधार तो होना ही चाहिए। यह आधार उस भूमि से प्राप्त होने वाली आय होगी अथवा आर्थिक दृष्टि से आधुनिक कृषि करने के लिए कार्यकुशल एकक। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित

करने से आप किसान की आय भी सीमित करने जा रहे हैं। शहरी सम्पत्ति के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मामले में व्यक्ति अपने सामान्य व्यवसाय से आय अर्जित करता रह सकता है।

अन्य आय के बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से एक उच्चतम सीमा है और वह आयकर व अन्य प्रत्यक्ष कर हैं। परन्तु वह लाखों रुपये की आय के बाद है। अगर भूमि के बारे में उच्चतम सीमा का आधार आय है तो आप की गणना करने का क्या आधार है ?

फालतू जमीन भी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होगी और उसे ठीक प्रकार से वितरित करना भी एक कठिन समस्या होगी। चकबन्दी के कार्य में आने वाली कठिनाइयों के कारण अनेक राज्यों में चकबन्दी कार्यक्रम को छोड़ देना पड़ा था। फालतू जमीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए क्या आधार अपनाया जाएगा ? अगर यह जमीन बाँटी भी गई, तो दो एकड़ अथवा दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले व्यक्तियों की बहुत संख्या हो जायेगी ? क्या यह भूमि लाभप्रद होगी ? आवश्यकता तो इस बात की है कि अलाभप्रद जोतों को लाभप्रद बनाया जाये और उसके बाद भूमिहीन श्रमिकों में जमीन बाँटने की बात सोची जाय।

प्रत्येक व्यक्ति सफल किसान नहीं हो सकता इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

किसी व्यक्ति के पास जो जमीन है, बस उसके चार बेटों में बँटने से अलाभप्रद हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जमीन एक व्यक्ति को ही मिले और बाकी भाइयों को मुआवजे के रूप में कुछ धन मिल जाया करे।

हम सारे देश के लिए भूमि सीमा की बात करते हैं, परन्तु देश के विभिन्न भागों में परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। गुजरात के सूरत और बलसर जिले में 6·5 हैक्टेयर, 3·2 हैक्टेयर और 1·6 हैक्टेयर क्रमशः असिंचित, मौसम पर सिंचित और बारह महीने सिंचित भूमि के लिए वर्तमान भूमि सीमा है। यह सीमा 3600 रु० प्रतिवर्ष आय के आधार पर निर्धारित की गई थी। गुजरात में अन्य स्थानों पर भूमि की किस्म, सिंचाई की उपलब्धता आदि के आधार पर 15-20 एकड़ से 200 एकड़ तक भूमि की अधिकतम सीमा है। ये सीमाएँ व्यक्ति के बारे में हैं। परिवार के आधार पर सीमा की बात तो अब प्रारम्भ हुई है। फालतू जमीन को बाँटने से बहुत कम लोगों को ही लाभ होगा।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : The green revolution was brought about with the help of agricultural imputs obtained through Government loan. Now we should change the present system and give an opportunity to the small farmers to have his contribution in the green revolution. These small farmers should also be provided facilities for irrigation and agricultured imputs. I would also urge that there should be land ceiling between 10 acres and 18 acres whether land be irrigated through Government sources or through private sources.

Some of the friends here have suggested a ceiling giving an income of Rs. 15,000/- per annum. It is merely to create a confusion. We have to remove the gap between the rich and the poor as mentioned in our Manifesto.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : So far as statement is concerned, nothing has been cancelled there, nor any wrong statement has been made. Central Land Reforms Committee was set up to suggest uniform land reforms for the whole country. A ceiling of

10 to 18 acres of perenially irrigated land through Government sources and with two crops was recommended by the Committee and facts have not been distorted.

The farmers of India have made the country self-sufficient in food grains through the green revolution. Thus unnecessary and undesirable controversy should not be created regarding farmers. The question of land ceiling between 10 to 18 acres of land irrigated through Government source is already there in the Congress Manifesto. The ceiling may go to 54 acres of land depending on the quality of land. In Rajasthan land ceiling baries from 22 acres to 33? acres. The differing conditions in various parts of the country had been taken into consideration by the Central Land Reforms Committee and the principles in this regard have already been mentioned in the Congress manifesto. There is the need of correct interpretation.

There are nearly 2 crores of farmers without any land. We want to allot them surplus land. Rest of them should be provided with subsidiary occupation. The real thing is to make the country self-sufficient in food grain production.

The farmer has to work very hard to produce food grains. Government is also aware of their diffiulties and provide justice to them.

A report has been published on behalf of the National Commission of Agriculture, but what has been stated in it that is not the view of the commission. This view is expressed by a working group of the commission. It is not proper to do so. The commission would take any decision after considering the recommendation of the group.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतम सीमा के प्रश्न पर कांग्रेस को अपनी सही तस्वीर देखने को मिली है। प्रिवी पर्स समाप्त करना, आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करना, बैंकों तथा अन्य क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना सरल है परन्तु समाजवाद की स्थिति गिर गई है। मैं समझता हूँ कि भारत को अपनी भूमि संबंधी समस्याएँ साम्यवादी रूस की तरह नहीं हल करनी चाहिए, अपितु उनका हल हमें अपने ही ढंग से खोजना चाहिए। रूस की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का एक तिहाई है जबकि वहाँ भूमि भारत से पाँच गुनी है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Russia is our friendly country. Are we discussing land ceiling in India or the systems in Russia ?

श्री समर गुह : मैं बताना चाहता था कि रूस क्रान्ति के 50 वर्ष पश्चात भी अपनी खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। हमारे देश में 18,12,50,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी। 25 वर्ष में अनेक भूमि सुधारों के पश्चात् दस राज्यों में 0·1 प्रतिशत भूमि भी फालतू नहीं है। भूमि का 0·1 प्रतिशत भी भूमि विहीनों को वितरित नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में कुछ अच्छे भूमि सुधार कानून पास किए गए हैं। वहाँ पर इस बारे मे 65,000 दिवानी मुकद्दमे दायर किए गए हैं। इस प्रकार इनकी क्रियान्वित कैसे होगी क्योंकि संविधान की धारा 226 और 227 के अंतर्गत लाखों नए मुकदमे दायर हो जायेंगे।

इसलिए मूल समस्या भूमि की सीमा घटाने अथवा उसके वितरण की ही नहीं है अपितु जोत पर बुवाई करने वालों के हितों के संरक्षण की है।

निजी स्रोतों से सिंचित भूमि को रखने वाले तर्क देते हैं कि यदि ऐसी भूमि को अधिकतम सीमा के कानून के अंतर्गत लाया जाता है तो उसके स्वामी ऐसी भूमि से अपने सिंचाई उपकरणों को हटा लेंगे जिससे उत्पादन का ह्रास होगा। क्यों नहीं ऐसे किसानों को जिन्हें ऐसी भूमि आबंटित की जाती है सिंचाई साधन जुटाने के लिए ऋण दिए जाते ? इसलिए भूमि में सिंचाई साधनों के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैंने अपने 27-4-72 के वक्तव्य में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के संबंध में सभी तथ्य सभा के समक्ष रख दिए थे। विचार के लिए मुख्य विषय यह है कि क्या निजी स्रोतों में सिंचित भूमि को सरकारी स्रोतों से सिंचित भूमि के समान ही समझा जाए।

भूमि सुधार समिति ने इस मामले पर सभी पहलुओं पर तथा समाचार-पत्रों में व्यक्त सभी विचारों पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। समिति इस निश्चय पर पहुँची है कि इस बारे में मुख्य मंत्रियों से परामर्श के पश्चात् ही अंतिम निर्णय लिया जाए।

सरकार मुख्य मंत्रियों से परामर्श के पश्चात ही कोई निर्णय ले पाएगी

Shri Bhogendra Jha : It means that the Central Land Reforms Committee has not as yet taken any decision as regard to land irrigated by public or private sources. It means that the position has not altered.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उनका पूर्व निर्णय अभी बना हुआ है। परन्तु इस मामले में व्यापक आन्दोलन पर ध्यान देते हुए वे मामले पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगवार, 30 मई, 1972/9 ज्येष्ठ, 1894 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, May, 30 1972/Jyaistha, 9, 1894 (saka)

New India Printing Press, Khurja